भारतीय प्रेस परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2011 – 31 मार्च, 2012)

नई दिल्ली

मुद्रक : बंगाल ऑफसेट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू

भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा(3) का खंड (क))

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ती	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	मलयाला मनोरमा, मलयालम दैनिक, कोट्टयम, केरल
श्री श्रवण कुमार गर्ग	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री जगजीत सिंह दर्दी	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	चढ़दी कला, पंजाबी दैनिक, पटियाला, पंजाब
श्री शीतला सिंह	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, फ़ैजाबाद, उत्तर प्रदेश
श्री अनिल जुगलकिशोर अग्रवाल	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	डेली अमरावती मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र
श्री बिशंभर नेवाड़	ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस और हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	छपते-छपते, हिंदी दैनिक, पश्चिम बंगाल

सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री राजीव रंजन नाग	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन	इंडिया न्यूज़ वीकली, नई दिल्ली
श्री उप्पाला लक्षमण	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	समायम, तेलगु दैनिक, हैदराबाद
श्री अरविंद एस. तेंगसे	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	स्वच्छंद फोटो पत्रकार
श्री कौसरी अमरनाथ	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	स्वच्छंद पत्रकार, हैदराबाद
श्री कल्याण बरूआ	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन	दि सेंटिनल/असम ट्रिब्यून
श्री सोनदीप शंकर	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन	स्वच्छंद फोटो पत्रकार

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री अरूण कुमार	राष्ट्रीय पत्रकार संघ, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	नवभारत टाइम्स/ द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना

बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)*

श्री विजय कुमार चोपड़ा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	पंजाब केसरी, हिंदी दैनिक, जालंधर, पंजाब
श्री संजय गुप्ता	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	दैनिक जागरण, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरिन्दर सिंह	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	इंडियन आबजरवर, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली
श्री विजय कुमार चोपड़ा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	फिल्मी दुनिया, हिंदी मासिक, दिल्ली
डॉ0 रामासुब्बा अय्यर लक्ष्मीपति	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्माल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	हेल्थ, अंग्रेजी मासिक, तमिलनाडु
रिक्त पद	—	—

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री नीरज बाजपेई	यूनाईटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया	संयुक्त संपादक, यूनाईटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद् से नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री राजीव साबाड़े	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
श्री मिलन कुमार डे	भारतीय विधिज्ञ परिषद्
श्री ए. कृष्णा मूर्ती	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दि-ट)

**कुमारी मीनाक्षी नटराजन	(लोक सभा)
श्री हरीन पाठक	(लोक सभा)
श्री संजय दीना पाटिल	(लोक सभा)
श्री राजीव शुक्ला	(राज्य सभा)
श्री प्रकाश जावड़ेकर	(राज्य सभा)

सचिव : श्रीमती विभा भार्गव

*5(3)(ख) में शेष एक सदस्य की अधिसूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

**23 जनवरी, 2012 को त्यागपत्र दे दिया।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन

अध्याय I	सामान्य समीक्षा	...	...	1
अध्याय II	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा संबंधी शिकायतों में न्याय निर्णय	...	...	100
अध्याय III	प्रेस के विरूद्ध दााखिल शिकायतों में न्याय निर्णय	...	...	110
अध्याय IV	प्ररिषद् का वित्त वर्ष 2011-2012	...	...	122

संलग्नक :

क	मामलों का विवरण 1 अप्रैल, 2011-31 मार्च, 2012	...	...	144
ख	विचारगोष्ठी की रिपोर्ट : दिल्ली घोषणा	...	...	145
ग	राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 15 जून, 2011	...	...	151
घ	राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011	...	...	158
ङ	न्यायनिर्णयों के आलेख 2011-2012	...	...	159
च	दिनांक 23.11.2011 को अनुसंधान मिशन संबंधी दक्षिण अफ्रीका के प्रेस फ्रीडम कमीशन के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर रिपोर्ट	...	...	160
छ	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्याय निर्णयों की विषयगत सारिणी (2011-2012)	...	...	162
ज	प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में न्याय निर्णयों की विषयगत सारिणी (2011-2012)	...	...	166
झ	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकार्ड किए गए सिद्धांतों की सूची	...	...	177
ञ	प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकार्ड किए गए सिद्धांतों की सूची	...	...	178
ट	प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषय सूची (2011-2012)	...	...	180

प्राक्कथन

मैं 05 अक्तूबर, 2011 को उस समय प्रेस परिषद् से जुड़ा जब मुझसे पूर्व प्रतिष्ठित अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी एन रॉय इस संस्थान की लगभग साढ़े 6 वर्ष की विशिष्ट सेवा के बाद इस पद से निवृत्त हुए। अब भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए मुझे लगभग 6 माह हो गए हैं। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि मैंने पिछले महीनों में पत्रकारिता और पत्रकारिता संबंधी परिपाटियों में गहन जानकारी प्राप्त की है। इस प्रकार के निकाय की स्थापना की संकल्पना लोकतांत्रिक देशों की प्रगति के लिए मीडिया में नैतिकता को बढ़ावा देने और इसके साथ ही उसके हितों की रक्षा करने के महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए की गई है।

लोकतंत्र में मुद्दों को आमतौर पर चर्चा, विचार–विमर्श और बातचीत के द्वारा हल किया जाता है और कठोर उपायों का प्रयोग करने की बजाय यही तरीका बेहतर होता है। हालांकि 90 प्रतिशत समस्याएं इस प्रकार हल की जा सकती हैं, तथापि कुछ ऐसे अपवादपूर्ण मामले भी हैं जिसमें उपर्युक्त लोकतांत्रिक विधि की कोशिश करने के बावजूद मीडिया में सुधार करने के लिए कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने इस मामले के संबंध में प्रधान मंत्री जी से चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस परिषद् के अधिकारक्षेत्र में लाने के लिए प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन किया जाए (प्रेस परिषद् का नाम बदलकर मीडिया परिषद् रखा जाए) और इसे और शक्तियां प्रदान की जाएं अर्थात सरकारी विज्ञापन न देने की शक्ति या विशेष मामले में कुछ समय के लिए मीडिया घरानों का लाइसेंस तक भी निलंबित करने की शक्ति। जैसाकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, "भय बिन होय न प्रीत"। लेकिन इसका सहारा केवल विशेष मामलों में ही लिया जाए और वह भी तब जब लोकतांत्रिक तरीके निरर्थक साबित हो जाएं।

मैं मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा हूं। हाल के न्यायालय के आदेश में टाइम्स नाउ चैनल से अनजाने में की गई भूल के लिए क्षति के रूप में 100 करोड़ रुपए की अदायगी करने को कहा गया है, जिसे मैं अपराध के अनुपात में काफी विसंगत पाता हूं। इसके अलावा, मीडिया कर्मियों पर हमले के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई रिपोर्टों/शिकायतों को ध्यान में रखते हुए और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करके आंकने के लिए अंगीकृत कृत्रिम उपायों के संबंध में मैंने तथ्यान्वेषी दलों का गठन किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी हकीकतों का पता लगायेंगे। मैंने जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं और प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में उनके पूरे समर्थन को दर्शाने वाले मुझे सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं।

ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में, जिन्होंने अपने मोबाइल पर अश्लील क्लिप देखने वाले विधायक के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की, कर्नाटक

विधानसभा के अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया है कि वे ऐसे विधायकों के खिलाफ सभी पहलुओं पर विचार करते हुए लिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, जिन्होंने सदन की बदनामी की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं प्रेस परिषद् के कार्यों पर ध्यान दे रहा हूं और लोगों के मन में नैतिक आचार (दंड देने की बजाय) बिठाने का प्रयास कर रहा हूं। यह कार्य मैं पक्षकारों के बीच सुलह करके और प्रतिवादियों द्वारा की गई भूलों में सुधार करने का उन्हें अवसर देकर कर रहा हूं। मैं यह सोचता हूं कि परिषद् लोकतांत्रिक तरीके से एक मध्यस्थ के रूप में किस प्रकार अपना कार्य करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि स्वनियमन का दावा व्यवहार्य नहीं है और लोकतांत्रिक ढांचे में सभी संस्थाएं एक स्वतंत्र सांविधिक सत्ता के द्वारा विनियमित की जाती हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विनियमन 'नियंत्रण' से भिन्न संकल्पना है। नियंत्रण में स्वतंत्रता नहीं है जबकि विनियमन में स्वतंत्रता है, लेकिन लोकहित में इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

इस प्रयोजन के लिए मुझे सभी मीडिया कर्मियों और मीडिया से जुड़े निकायों की सहायता, सहयोग, और सलाह की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि सरकार प्रेस परिषद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिषद् द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, इसे सुदृढ़ करने और अपने दायित्वों को और अधिक दक्षता और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए संगत संशोधन करती है तो परिषद् प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इसके समर्थक के रूप में एक सत्ता के रूप में उभरेगी और उसके साथ ही वह प्रेस को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए कहेगी।

मुझे आशा और विश्वास है कि पाठकों को यह रिपोर्ट पिछली रिपोर्टों की भांति उपयोगी और सूचनाप्रद लगेगी।

मार्कण्डेय काटजू
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.3.2012

अध्याय - I
सामान्य समीक्षा

बेहतर समाज और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए लोकतंत्र और मीडिया एक–दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र के उचित कार्यचालन के लिए यह अनिवार्य है कि देश और विश्व के विभिन्न भागों के समाचारों की नागरिकों को जानकारी दी जाए क्योंकि इन बातों की जानकारी होने पर ही वे विवेकपूर्ण राय बना सकते हैं। निश्चित रूप से किसी नागरिक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसी सूचनाएं एकत्र करे जिससे वह ऐसी राय बना सके। अतः, लोकतंत्र में मीडिया महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जनता के लिए समाचार और सूचना एकत्र करने हेतु एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि प्रेस की स्वतंत्राता पर सभी लोकतांत्रिक देशों में बल दिया जाता रहा है, हालांकि सामंती या सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली में इसकी अनुमति नहीं थी।

वर्ष 2010–11 से पहले मीडिया को प्राधिकारियों द्वारा कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2011–12 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके समर्थन में रैली निकाली गई और जनता का ध्यान आकर्षित किया गया। टाइम्स पत्रिका के अनुसार, इस वर्ष की विश्व के पहले उन दस समाचारों में इसकी गणना की गई, जिनमें अरब स्प्रिंग और ओसामा बिन लादेन की हत्या के समाचार भी शामिल थे, जिन्होंने लोगों का ध्यान सबसे अधिक था और जो सबसे अधिक सुर्खियों में रहे। हजारे के उपवास के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी भारतीयों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया और इसे एक व्यापक आवाज दी और सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि यह एक ऐसे स्वतंत्र लोकपाल का गठन करे जो राष्ट्र की राजनीति के विशिष्ट वर्ग, यहां तक कि प्रधान मंत्री तक भी जांच कर सके और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई कर सके।

न्यायालय ने 'टाइम्स नाउ' को आदेश दिया कि वह न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत के मानहानि के मामले में अपील करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में 100 करोड़ रुपए जमा कराए। यह बात समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में चर्चा का विषय बना रहा।

केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की यह मांग कि इंटरनेट माध्यमों यथा सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल, फेसबुक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट में से ऐसी उत्तेजक विषय–वस्तु और अन्य सामग्री और फोटो हटा दिए जाएं जिनसे शांति भंग हो सकती है और कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। उनके इस बयान पर काफी गर्मागर्म चर्चा हुई और ऐसी मुहिम के खिलाफ विश्व में विरोध प्रकट किया गया।

इस वर्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का भी गठन किया गया ताकि न्यायालय में मामलों में पड़े मामलों की सूचना देने के लिए मीडिया के लिए मार्गदर्शीसिद्धांत जारी किए जा सकें, जिसके बाद न्यायालय की सुनवाई की गलत रिपोर्टिंग करने और वादियों को गोपनीय सूचना बता देने की शिकायतों के बारे में कार्रवाई की जा सके।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभवतः इस वर्ष एक ही सबसे महत्त्वपूर्ण घटना, जिसने इंग्लैंड की जनता में घृणा पैदा कर दी थी, वह थी रूपर्ट मर्डोक का ब्रिटिश पत्रिका 'न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड' पर गैर–कानूनी तरीके से फोन हैकिंग घोटाले का आरोप लगाया जाना। उनके स्वामित्व का यह प्रकाशन अनैतिक कार्य में लगा हुआ था। उनके पत्रकारों के बारे में बताया गया कि वे लोगों के फोन हैक करते हैं जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विद्यालय जाने वाली एक बालिका की हत्या की थी और ईराक तथा अफगानिस्तान में सैनिकों की हत्या की थी।

इस अध्याय में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् के क्रियाकलापों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रेस की स्थिति का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना की गई थी। अपने दोहरे दायित्वों अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रेस के मानकों में सुधार का निर्वहन करते हुए परिषद् बहु–आयामी भूमिका निभाती है। एक ओर यह सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों वाले न्यायिक–कल्प प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और दूसरी ओर, सलाहकार की अपनी हैसियत से यह प्रेस और प्राधिकारियों को ऐसे किसी मामले में दिशानिर्देश देती है जो प्रेस की स्वतंत्रता और इसकी रक्षा से संबंधित हों। प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं जो परंपरा के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिषद् के 28 अन्य सदस्य हैं, जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दो सदनों से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया जाता है। परिषद् की वित्त व्यवस्था समाचारपत्रों के प्रचालन के आधार पर देश के पंजीकृत समाचारपत्रों पर लगाए जाने वाले शुल्क से प्राप्त राजस्व से की जाती है और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से पूरा किया जाता है। हालांकि कुछ हद तक परिषद् वित्त के संबंध में सरकार पर निर्भर है, लेकिन वह अपने न्यायिक–कल्प संबंधी कार्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।

न्यायिक–कल्प निकाय के रूप में प्रति वर्ष अधिकाधिक शिकायतें परिषद् को भेजी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रेस की नैतिकता या उसकी स्वतंत्रता को खतरा संबंधी हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वास्तव में, परिषद् इस बात पर नजर रखती है कि प्रेस और सत्ता

की बागडोर संभालने वाले लोग जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। परिषद् के पास दायर होने वाली शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि का कारण यह है कि परिषद् के फोरम को न्यायालय की तुलना में वरीयता दी जाती है क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाही बहुत महंगी पड़ती है और उसमें समय भी अधिक लगता है। परिषद् का प्रयास है कि वह द्वार पर ही तत्काल न्याय प्रदान करे और इसके लिए वह देश के विभिन्न भागों में उस क्षेत्र के मामलों की सुनवाई करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है।

परिषद् द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिकायतें मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक प्रेस द्वारा की जाने वाली शिकायतें और दूसरी प्रेस के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे किए गए किसी कार्य के बारे में व्यथित महसूस करे जिससे प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आती है या हस्तक्षेप किया जाता है तो वह परिषद् से संपर्क कर सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी समाचारपत्र या पत्रिका में प्रकाशित या प्रकाशित होने वाली किसी बात से व्यथित महसूस करता है तो वह परिषद् के पास शिकायत दायर कर सकता है, जो पत्रकारिता की नैतिकता और रुचि के स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन हो। परिषद् को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी प्राधिकारी के आचरण के संबंध में टिप्पणी कर सकती है जिसमें सरकार भी शामिल है, बशर्ते कि इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा जाए। दूसरी ओर, यदि ऐसा पता चलता है कि कोई समाचारपत्र या समाचार एजेंसी पत्रकारिता की नैतिकता या जनता की रुचि के मापदंडों के खिलाफ अपराध करता है या कोई संपादक या श्रमजीवी पत्रकार कोई व्यावसायिक कदाचार करता है तो ऐसे समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दी जा सकती है, उसे फटकार लगाई जा सकती है या उसकी निंदा की जा सकती है अथवा ऐसे संपादक और पत्रकार के आचरण को अनुचित ठहराया जा सकता है। अतः, परिषद् के पास व्यापक नैतिक प्राधिकार है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और किसी न्यायालय में इसके खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिषद् के निर्णय का सामान्यतः आदर किया जाता है और मीडिया तथा प्राधिकारियों आदि द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

विश्व के अन्य इसी प्रकार के संस्थानों से अलवा, भारतीय प्रेस परिषद् इस दृष्टि से भिन्न है कि इसका गठन संसद के एक अधिनियम के अधीन किया गया है और हालांकि इसकी निधि का अधिकांश भाग सरकार से सहायता–अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, तथापि इसे अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन में सरकार के नियंत्रण से पूर्ण प्रकार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है।

भारतीय प्रेस परिषद् की दूसरी अति स्वस्थ विशेषता यह है कि भारतीय प्रेस परिषद् ब्रिटिश प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन सहित विश्व की अन्य प्रेस परिषदों की भांति केवल प्रेस के खिलाफ ही की गई शिकायतों पर न्यायनिर्णय नहीं करती अपितु सरकारी और अन्य प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस द्वारा की गई शिकायतों पर भी न्यायनिर्णय करती है।

परिषद् का कार्यकरण
(01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012)

भारतीय प्रेस परिषद् का पुनर्गठन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में यह प्रावधान किया गया है कि परिषद् का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्गठन किया जाए। परिषद् का दसवां तीन वर्षीय कार्यकाल 06 जनवरी, 2011 को समाप्त हो गया था और लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद दिनांक 15.06.2011 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए 15 जून, 2011 से ग्यारहवें तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए परिषद् का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 27 सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया गया (अनुबंध–ग)। 5(3)(ख) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शेष एक सदस्य से संबंधित अधिसूचना अभी जारी की जानी है।

अध्यक्ष को नामित करने के लिए प्रेस परिषद् के नामिती का चयन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष का नामांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य होगा। यह परिषद् अध्यक्ष के चयन के लिए नामांकन समिति संबंधी बैठक परिषद् के नामिती का चयन करने के लिए 15 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रेस परिषद् के सदस्यों ने इस प्रयोजन के लिए गठित समिति में अपने नामिती के रूप में श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति का सर्वसम्मति से चयन किया। उनका नाम इस संबंध में निर्धारित नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, राज्य सभा के सभापति को भेजा गया।

नए अध्यक्ष

वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रॉय का कार्यकाल 18 मई, 2011 को पूरा हो गया था, लेकिन न्यायमूर्ति रॉय इस अधिनियम की धारा 6(1) के परंतुक के अधीन 04 अक्तूबर, 2011 तक केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डे काटजू, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को 05 अक्तूबर, 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने तक प्रेस परिषद् के अध्यक्ष बने रहे। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई राजपत्रित अधिसूचना अनुबंध–घ में प्रस्तुत है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में अपना कॅरियर आरंभ करने वाले न्यायमूर्ति मार्कण्डे काटजू को स्थायी काउन्सेल्, आयकर विभाग के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद वर्ष 1991 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया।

उन्हें अगस्त, 2004 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, नवंबर 2004 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अक्तूबर 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अप्रैल 2006 में उन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति दी गई और वे 20 सितंबर, 2011 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

अपने शानदार व्यावसायिक कॅरियर के दौरान, माननीय न्यायमूर्ति श्री काटजू ने लीक से हटकर और कई अपारंपरिक न्यायनिर्णय दिए, जिसमें उन्होंने मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा को अपने ध्यान में रखने की अभिव्यक्ति दी। उन्होंने अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भारत के संविधान के तीन अंगों – कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं को निर्धारित करने में अटल साहस का प्रदर्शन किया।

05 अक्तूबर, 2011 को अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले न्यायमूर्ति श्री एम. काटजू के निर्णय मीडिया से अपेक्षित भूमिका के संबंध में मीडिया द्वारा मीडिया में बहस और आत्मविश्लेषण के विषय बने, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया द्वारा अपनी शक्ति और कमजोरी को पहचानने का आह्वान किया गया था और अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने आम आदमी को दिशानिर्देश दिए थे। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकारियों को सशक्त रूप से सलाह दी थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि मीडिया अपना कार्य निर्बाध और निष्पक्ष रूप से कर सके।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें

परिषद् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) में निर्धारित अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें कहा गया है कि "इस अधिनियम के अधीन अपने कार्य का निष्पादन करने के लिए परिषद् अपने सदस्यों में से सामान्य या विशेष प्रयोजन के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित समिति परिषद् द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगी।"

इस प्रावधान के अनुसरण में परिषद् ने केवल स्थायी समितियों का गठन ही नहीं किया है अपितु समय–समय पर तदर्थ समितियों का भी गठन किया है ताकि सौंपे गए कार्य में सुविधा हो सके। सामान्यतः सभी समितियों के अध्यक्ष परिषद् के अध्यक्ष होते हैं लेकिन कभी–कभी तदर्थ समितियां इसके किसी सदस्य के संरक्षण में भी गठित की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन समितियों का गठन किया गया और जिन्होंने कार्य किया, वे इस प्रकार हैं:

1. "मीडिया कंपनियों द्वारा निजी संधियों" संबंधी मुद्दे पर जांच करने के लिए उप–समिति।
2. पत्रकारों के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में उनकी सुरक्षा के मुद्दे की जांच करने के लिए उप–समिति।

3. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रत्यायन/विज्ञापन नियमावली को नहीं अपनाए जाने के संबंध में छोटे और मध्यम समाचारपत्रों द्वारा झेली जा रही धमकियों/समस्याओं के मुद्दों की जांच करने के लिए उप–समिति।

4. "महिलाओं को अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत करने (निषेध) संशोधन विधेयक, 2011" संबंधी मंत्रिमंडलीय टिप्पणी के मसौदे पर विचार करने – उस पर टिप्पणी करने के लिए उप–समिति।

5. प्रेस द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं की जांच संबंधी उप–समिति।

6. अपने–अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने के लिए परिषद् द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस प्रयोजन के लिए मापदंड और रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया।

तथ्यान्वेषी दल

1. मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में श्री चंद्रिका राय और उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले की जांच करने के लिए तथ्यान्वेषी दल का गठन किया गया है। इस वर्ष के अंत तक इस तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है।

2. बिहार में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की शिकायत के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए तथ्यान्वेषी दल का गठन किया गया है। इस दल की रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त हो जाने की संभावना है।

लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद दिनांक 15.06.2011 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए 15 जून, 2011 से परिषद् का ग्यारहवें तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए इसके गठन के साथ ही समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसकी चार बैठकें आयोजित की गईं। परिषद् का कार्य कई गुना बढ़ गया है।

परिषद् के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति, जो एक स्थायी समिति है, ने परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच आयोजित करके परिषद् के कार्य के भार को काफी हद तक निपटाने में सहयोग दिया है। उनकी कार्यवाहियां जनता के लिए खुली हैं। इन मामलों के पक्षकार सुसंगत मौखिक या दस्तावेजी प्रमाणों के माध्यम से अपने पक्ष का सबूत प्रस्तुत करने के हकदार हैं। उन्हें वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी गई है। रिपोर्टों और उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों और मौखिक बयानों पर विचार करते हुए जांच की समाप्ति पर समिति अपने द्वारा जांच किए गए मामलों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इस वित्त वर्ष के दौरान दो जांच समितियों की 11 बैठकें आयोजित की गईं और उन्होंने अंतिम न्यायनिर्णय के लिए परिषद् को 109 मामलों

में अपनी सिफारिशें की हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन इस प्रकार किया गया है:

जांच समिति (I)

श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति

श्री अरविंद एस. तेंगसे

श्री कौसरी अमरनाथ

डॉ. आर. लक्ष्मीपति

श्री मिलन कुमार डे

श्री हरीन पाठक, संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री जगजीत सिंह दर्दी

श्री राजीव रंजन नाग

श्री संजय गुप्ता

श्री विजय कुमार चोपड़ा

श्री ए. कृष्णा मूर्ति

श्री राजीव शुक्ला, संसद सदस्य (राज्य सभा)

*कुमारी मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य (लोक सभा)

जांच समिति (II)

श्री श्रवण गर्ग

श्री बिशंभर नेबाड़

श्री उप्पाला लक्ष्मण

श्री अनिल अग्रवाल

---

*दिनांक 23.01.2012 को त्यागपत्र दे दिया।

श्री गुरिन्दर सिंह

श्री नीरज बाजपेई

श्री संजय दीना पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री शीतला सिंह

श्री सोनदीप शंकर

श्री अरूण कुमार

श्री बी.के. चोपड़ा

श्री कल्याण बरुआ

श्री राजीव साबाड़े

श्री प्रकाश जावेडकर, संसद सदस्य (राज्य सभा)

परिषद् के समक्ष शिकायतें

परिषद् का दसवां कार्यकाल 06 जनवरी, 2011 को समाप्त हो गया था। इसलिए लगभग 6 माह तक इसमें कोई कार्य नहीं हो पाया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् में कुल 885 शिकायतें दायर की गईं। इनमें से 715 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण सरकारी प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस द्वारा की गई थीं और 715 शिकायतें प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता की नैतिकता को भंग करने के कारण की गई थीं। पिछले वर्ष से लंबित 1047 मामलों सहित परिषद् द्वारा कुल 1932 मामलों का निपटान किया गया। इनमें से 1116 मामले इस वर्ष के दौरान निपटाए गए जो न्यायनिर्णय के माध्यम से या अध्यक्ष महोदय के बीचबचाव द्वारा या जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने के कारण या आगे पहल न किए जाने के कारण, वापस लिए जाने या न्यायनिर्णयाधीन होने के कारण अध्यक्ष द्वारा तत्काल निपटाए गए। इन मामलों में से दो मामले न्यायनिर्णय के लिए परिषद् के समक्ष सीधे रखे गए। वर्ष के अंत में कुल 816 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दायर की गई और निपटाई गई शिकायतों का विस्तृत विवरण अनुबंध–क में प्रस्तुत है।

प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड

भारतीय प्रेस परिषद् को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीयकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8ग के अधीन अपीलीय अधिकारिता सौंपी गई है। यह अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी घोषणा के गैर–प्रमाणीकरण संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेशों और धारा 8ख के अधीन बाद में इन्हें रद्द करने के संबंध में सौंपी गई है। बोर्ड में परिषद् के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से ही नामित किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के शुरू होने पर एक पुनर्विलोकन याचिका सहित 10 अपीलें बोर्ड के समक्ष लंबित थीं और 6 और अपीलें दायर की गई। 15 जुलाई, 2011 को परिषद् का गठन किए जाने के बाद बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की। इन 16 अपीलों में से 4 का निपटान कर दिया गया है और 12 अपीलें पुनर्विलोकन याचिका सहित अपीलीय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लंबित हैं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यक्त की गई राय

न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डे काटजू, अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर इस बात पर बल दिया कि मीडिया का मुख्य कार्य लोगों को सच्ची और उद्देश्यपरक जानकारी देना है ताकि वे राष्ट्रीय राय बना सकें। इस बात पर बल देते हुए कि देश में मीडिया प्रायः ऐसे मुद्दों पर बात करता है जो महत्त्व के नहीं होते हैं जबकि आर्थिक समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसे वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा हो जाती है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि "स्व–विनियमन कोई विनियमन नहीं है।" उन्होंने इस बात को दोहराया कि परिषद् का प्रस्ताव है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रेस परिषद् के अधीन लाया जाना चाहिए और इसका नाम मीडिया परिषद् रखा जाना चाहिए, जिसमें पर्याप्त शक्ति निहित हो ताकि यह युक्तिसंगत विचारों को बढ़ावा देने के लिए अपने दायित्व को पूरा करते हुए मीडिया पर नजर रख सके। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करना प्राधिकारियों का कर्त्तव्य है कि प्रेस के लोगों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में किसी भी राज्य की एजेंसी द्वारा रोका न जाए। मीडिया के लोगों पर हमले के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई रिपोर्टों और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए और प्रेस की स्वतंत्रता को महत्त्व देते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यान्वेषी दल का गठन किया।

संगोष्ठियाँ और कार्यशालायें

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रेस परिषद् ने विभिन्न विचार–गोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों के माध्यम से मीडिया संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2011

इस वर्ष "जनता के प्रति दायित्व के साधन के रूप में मीडिया" विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस समारोह का उद्घाटन श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने सम्मानित अतिथि के रूप में इस अवसर को गरिमा प्रदान की जबकि श्री राजीव शुक्ला, माननीय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय और सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् तथा प्रकाश जावडेकर, संसद सदस्य और सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक स्मारिका जारी की गई जिसमें इस विषय से संबंधित लेख प्रकाशित किए गए। राज्यों ने भी इस दिवस को विभिन्न स्तरों पर मनाया।

विश्व प्रेस निकायों के साथ विचार–विमर्श

भारतीय प्रेस परिषद् वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल (डब्ल्यूएपीसी) का सक्रिय सदस्य है। डब्ल्यूएपीसी की कार्यकारी परिषद् की बैठक नई दिल्ली में 27 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गई थी, जिसमें डब्ल्यूएपीसी के सदस्य देशों ने भाग लिया था।

इसके बाद दिल्ली में 28–29 अप्रैल, 2011 को "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकार" विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में व्यक्त विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सिविल सोसाइटी के अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा के रूप में मीडिया, मानव अधिकारों की बढ़ा–चढ़ाकर रिपोर्टिंग करना और शांति पत्रकारिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती अंबिका सोनी, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने किया तथा इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रॉय, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने की। संयुक्त राष्ट्र और भारतीय प्रतिनिधियों के साथ–साथ आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, टर्की, इजरायल, तंजानिया, नेपाल, इंडोनेशिया आदि जैसे विभिन्न देशों के मीडिया संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय और उनके अपने–अपने देशों के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर विचार व्यक्त किए। इस महासम्मेलन में हुए विचार–विमर्श और प्रस्तुतिकरणों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित और प्रचालित किया गया।

परिषद् ने विश्व के विभिन्न भागों की प्रेस/मीडिया परिषदों और इसी प्रकार के निकायों के साथ परामर्श और बातचीत करने की प्रक्रिया भी शुरू की है ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने को सक्रिय प्रोत्साहित किया जा सके और पूरे विश्व में इसके मानकों और नैतिकताओं को बढ़ावा दिया जा सके। इस बातचीत में (i) कुआलालांमपुर, मलेशिया में प्रेस परिषद् की स्थापना के संबंध में परामर्श करने के लिए 07 से 09 अप्रैल, 2011 को कुआलालांमपुर, मलेशिया का दौरा; (ii) हांगकांग का 27 से 30 नवंबर, 2011 का दौरा; और (iii) 07 से 08 दिसंबर, 2011 को इंडोनेशिया का दौरा शामिल है। 26 अप्रैल, 2011 को अफगानिस्तान और 23 नवंबर, 2011 को दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी इस परिषद् में आए। अनुसंधान के उद्देश्य से नवंबर, 2011 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका के प्रेस फ्रीडम कमीशन के प्रतिनिधियों के दौरे की संक्षिप्त रिपोर्ट अनुबंध–च में प्रस्तुत है।

पारदर्शिता तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव इस कार्यालय की मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद् के सतर्कता ढांचे में उप सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, जो परिषद् की सचिव (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। यह तंत्र सचिवालय में किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने/उसका मुकाबला करने के लिए नियमित और औचक जांच करता है।

आंतरिक और बाह्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र गठित किया गया है, जिसमें सचिव, भारतीय प्रेस परिषद्, शिकायत निवारण निदेशक हैं। कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें परिषद् के उप–सचिव के रूप में कर्मचारी शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सुनी जाती हैं।

परिषद् के सिटिजन चार्टर में संगठन के सभी आवश्यक विवरण टाइप प्रति में और सॉफ्ट प्रति में कार्यालय पते पर और प्रेस परिषद् की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध हैं।

सदस्य का त्याग–पत्र देना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य (लोक सभा) ने अपनी व्यस्तताओं के कारण 23 जनवरी, 2012 को अपना त्यागपत्र दे दिया। उनका नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ग) के अधीन परिषद् के 11वें कार्यकाल के लिए दिनांक 15 जून, 2011 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए सदस्य के रूप में किया गया था।

श्रद्धांजलि

परिषद् ने (i) श्री अजित भट्टाचार्य (अप्रैल 2000 से मार्च 2001), जिनका 04 अप्रैल, 2011 को निधन हुआ था; और (ii) श्री महेश्वर दयालु गंगवार (1995–1998 और 1998–2001), जिनका 01 जनवरी, 2012 को निधन हुआ था, नामक अपने दो सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिषद् ने उनके द्वारा परिषद् को दिए गए बहुमूल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित और निस्वार्थ सेवाओं का उल्लेख करते हुए, एक प्रस्ताव भी पारित किया।

राजभाषा को बढ़ावा देना

परिषद् ने अपने कार्यालयी प्रयोग में हिंदी के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया है। इस कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) के नियम 10(4) के अधीन पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक तिमाही के दौरान परिषद् की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। राजभाषा से संबंधित तिमाही कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि उनसे कर्मचारी लाभान्वित हो सकें।

हिंदी के प्रयोग पर बल देने के लिए दिनांक 14.09.2011 से 28.09.2011 तक परिषद् के सचिवालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह दिनांक 21.09.2011 को आयोजित किया। भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और परिषद् के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने परिषद् में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने–अपने संदेश दिए और विचार व्यक्त किए।

इसके अलावा, "हिंदी हमारी संगिनी" विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रॉय, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने इस वाद–विवाद प्रतियोगिता में विजेता/भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किए। इसके साथ–साथ, परिषद् के ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय व्यवहार और प्रक्रिया में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में उनकी प्रतिभागिता/योगदान के लिए हिंदी प्रशिक्षण योजना की प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

परिषद् के न्यायनिर्णय और अन्य निर्णय हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिकार्ड किए जाते हैं और उन्हें पब्लिक डोमेन में डाला जाता है।

मीडिया कर्मियों के प्रति हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के खतरे की घटनाओं का भारतीय प्रेस परिषद् ने निम्नलिखित मामलों में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लियाः

1. श्री ज्योतिर्मय डे, 'मिड डे' के खोजी पत्रकार, मुंबई की हत्या की रिपोर्ट पर स्व–प्रेरणा से जांच

भारतीय प्रेस परिषद् ने मुंबई उपनगरी के अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा 'मिड डे', मुंबई के खोजी पत्रकार श्री ज्योतिर्मय डे की निर्मम हत्या के बारे में दिनांक 12/06/2011 के विभिन्न प्रमुख समाचारपत्रों के अंक में प्रकाशित कई समाचार रिपोर्टों को देखा। रिपोर्टों के अनुसार, श्री डे जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की प्रमुख घटनाओं पर व्यापक रिपोर्ट देते थे, को राज्य के उन तेल माफिया पर हाल ही में दी गई रिपोर्टों की श्रृंखला के बाद धमकी प्राप्त हुई थी, जिन्होंने जनवरी, 2011 में नासिक के समीप अपर कलेक्टर को जिंदा जला दिया था और उनकी हत्या कर दी थी।

रिपोर्टों को देखने पर परिषद् ने इस मामले में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया था और महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री से तत्काल जांच करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि मीडिया अपने दायित्वों का निर्वाह बिना किसी डर या धमकी के कर सके और मुख्य मंत्री महोदय से एक लिखित पुष्टि पत्र भी प्राप्त हुआ था। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

2. श्री डेविड देवदास, पत्रकार पर घातक हमला/हत्या के बारे में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

भारतीय प्रेस परिषद् ने दिनांक 14/07/2011 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अंक में "एक पत्रकार का दावा है कि जम्मू–कश्मीर के न्यायाधीश के अंगरक्षक द्वारा उस पर हमला किया गया" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार को पढ़ा। इस समाचार में बताया गया था कि एक पत्रकार ने, जो कश्मीर घाटी के संबंध में कई प्रकाशनों और कई पुस्तकों का लेखक है, आरोप लगाया है कि जम्मू–कश्मीर पुलिस और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड ने उस पर हमला किया था और उसे गाली दी थी। उन्होंने श्रीनगर की गली में न्यायाधीश की

कार के काफिले का रास्ता रोकने का आरोप लगाकर ऐसा किया। डेविड देवदास ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है कि उसे अपनी जान का खतरा है और हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज कर दिया जाए। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने पुलिस प्रमुख श्री कुलदीप खोड़ा और मुख्य मंत्री श्री उमर अबदुल्ला से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक पुलिस अधिकारी, जिसने अपना नाम न बताने की बात कही, ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से कहा कि उस पत्रकार ने न्यायाधीश के काफिले के मार्ग में व्यवधान पैदा किया था और उन्होंने उसे नजरबंद करने का निदेश दिया था।

पत्रकार पर हमला करने संबंधी समाचार दिनांक 13.09.2011 और 1409.2011 के 'दॅ हिंदू' और 'दॅ इंडियन एक्सप्रेस' के अंकों में भी प्रकाशित किया गया था।

रिपोर्टें देखने पर परिषद् ने इस मामले में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया था और जम्मू–कश्मीर के माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत निदेश दें कि मीडिया को बिना किसी रुकावट के अपने दायित्वों का निर्वहन करने दिया जाए। जम्मू–कश्मीर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में आगे पहल न किए जाने के कारण यह मामला बंद समझा गया।

3. जम्मू–कश्मीर में सशस्त्र बलों द्वारा मीडिया कर्मियों को पीटने और उन्हें उनके दायित्व का निर्वहन करने से रोकने के बारे में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

परिषद् ने दिनांक 08/07/2010 को "मीडिया प्रतिबंध से अप्रसन्न" शीर्षक के अधीन 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित मामले पर विचार किया और इसे नोट किया कि तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 05/10/2010 को जम्मू–कश्मीर के माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था कि वे इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें ताकि मीडिया बिना किसी भय या रुकावट के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय के पत्र के उत्तर में जम्मू–कश्मीर के मुख्य मंत्री ने दिनांक 15/07/2010 के अपने पत्र के जरिए सूचित किया था कि जम्मू–कश्मीर सरकार घाटी के कुछ भागों में प्रतिबंध और कर्फ्यू लगाने के लिए बाध्य है जिसके कारण मीडिया कर्मियों को शुरू–शुरू में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों को, जिसमें अखबार डालने वाले और उनके वितरकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, कर्फ्यू पास दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू के कुछ समाचारपत्रों ने दक्षिण कश्मीर के एक मंदिर को तथाकथित रूप से अपवित्र करने के बारे में एक निराधार और झूटी कहानी प्रकाशित की थी। यह समाचार समाज के ऐसे वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काफी था, जिसके कारण सामुदायिक भावना भड़क सकती थी। इसलिए सरकार ने ऐसी निराधार और द्वेषपूर्ण रिपोर्टों को प्रकाशित करने के कारण इन समाचारपत्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी। समाचारपत्र का संपादक प्राधिकारियों से मिला था और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे भविष्य में इस संबंध में सावधानी बरतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रेस की स्वतंत्रता के पूरे समर्थक हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक

है कि प्रेस परिपक्व और जिम्मेदार तरीके से अपना आचरण करे और तथ्यों को तोड़–मरोड़कर या गलत तरीके से प्रस्तुत न करें

परिषद् ने जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकार्ड में ले लिया है।

4. मुंबई में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के भवन पर हमले के बारे में स्व–प्रेरणा से संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद् ने मुंबई में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के भवन पर हमले के बारे में विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ समाचार रिपोर्टों को पढ़ा था। समाचारों में इस बात की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि शरारती तत्त्व, केसरिया झंडा फहराते हुए और शिव सेना समर्थक नारे लगाते हुए 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के भवन में घुस गए और उन्होंने पुलिस द्वारा स्थिति को संभालने से पहले स्वागत कक्ष के क्षेत्र में तोड़–फोड़ की। यह भी रिपोर्ट छपी थी कि ये हमलावर 'महाराष्ट्र टाइम्स', जो मराठी का सुबह का अंक है और टाइम्स समूह का प्रकाशन है, में छपी एक समाचार रिपोर्ट से भड़क गए थे। ये हमलावर संभवतः इस बात से क्रोधित थे कि उसमें एक रिपोर्ट छपी थी कि कुछ लोगों की शिव सेना से टूटकरएनसीपी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। जो राज्य की डेमोक्रेटिक फ्रंट एलायंस का साथी है। इसमें यह रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी कि भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष मार्कण्डे काटजू ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के बंबई कार्यालय पर हमले की निंदा की थी और महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

सचिव, भारतीय समाचारपत्र संघ, नई दिल्ली ने दिनांक 29/01/2012 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इन समाचारों की क्लिपिंग अग्रेषित करते हुए दिनांक 30/01/2012 के पत्र के जरिए परिषद् से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में कार्रवाई करे।

माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने दिनांक 28/01/2012 के अपने पत्र के जरिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि वह इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करे। परिषद् ने दिनांक 08/02/2012 के अपने पत्र के जरिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

सलाहकारी कार्य

अपनी सलाहकार की हैसियत से परिषद् सरकार और अन्य प्राधिकारियों को कई मुद्दों पर अपनी राय देती है। इनमें से कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं:

1. लोक सभा में स्वीकार किए गए नियम 189 के अधीन अनियत दिन वाला प्रस्ताव, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिए जाने वाले अश्लील कार्यक्रमों और समाचार रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की गई थी।

2. ज्योतिष संबंधी विज्ञापनों के बारे में कानून और न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त संदर्भ

3. 'पेड न्यूज' पर न्यायनिर्णय देने के कुछ ठोस मापदंड निर्धारित करने के बारे में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से प्राप्त संदर्भ – परिषद् ने ऐसे चार मापदंड/दिशानिर्देश देने का निर्णय लिया है जिनका उपयोग 'पेड न्यूज' की प्रवृत्ति पर अपने कार्यों के निष्पादन के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं अर्थात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को ये मापदंड भेजे जाएं।

अन्य मामले जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले (प्रचार प्रभाग) विभाग, नई दिल्ली ने दिनांक 22/07/2011 के अपने पत्र के जरिए माननीय राज्य मंत्री (प्रभारी), उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की अध्यक्षता में स्टेकहोल्डरों का एक समूह गठित किया गया है ताकि मीडिया में "भ्रामक विज्ञापनों" के कारण उपभोक्ताओं द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं और ऐसी घटनाओं से निपटने के तौर–तरीकों पर चर्चा की जा सके। बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) के मकड़जाल में उपभोक्ताओं को ठगने और धन परिचालन योजना के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा।

श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् को उसमें भारतीय प्रेस परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

2. चंडीगढ़ के संपादकों और पत्रकारों की भांति पंजाब के संपादकों और पत्रकारों को भी पंजाब सचिवालय में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र जारी करने और पंजाब सरकार के विज्ञापन जारी करने के बारे में श्री जगजीत सिंह दर्दी, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् के प्रस्ताव पर परिषद् ने पंजाब सरकार के साथ कार्रवाई की ताकि मीडिया कर्मियों की समाचारों तक पहुंच हो सके।

परिषद् ने इसे नोट किया और 'पेड न्यूज की प्रवृत्ति' पर इसकी उप–समिति की रिपोर्ट परिषद् की वेबसाइट पर डालने के लिए दिनांक 19/09/2011 के केंद्रीय सूचना आयोग के निदेशों का पालन किया।

भारत में प्रेस की स्थिति

वर्ष 2011–12 में देश में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन ने काफी तनाव पैदा कर दिया था। इसके कारण मीडिया और विशेषतः इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का सशक्त परीक्षण हो गया। टी.वी. मीडिया ने अन्ना हजारे के उपवास

की घटना को तोड़–मरोड़ कर पेश किया और इस प्रवृत्ति के कारण भारतीय मीडिया ने इस आंदोलन की नई परिभाषा दी जिससे मीडिया के बारे में पुनः सोचने, उसे निखारने और उसकी स्थिति के बारे में नए विचार पैदा हुए। इस अवधि के दौरान मीडिया जनता की आवाज बन गया और इसने आर्थिक गरीबी, भ्रष्टाचार आदि जैसे वास्तविक मुद्दों के संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित की जिससे जनता की राय और मानसिकता पर प्रभाव पड़ा और राय बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका रही।

ऐसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया आलोचना का शिकार हुआ। स्व–विनियमन की कमी के कारण ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर रिपोर्ट करने से सरकार ने इन विनियमों की विषय–वस्तु में संशोधन किया।

यह अवधि प्रेस की परीक्षा और संकट की अवधि थी जिससे देश में काबू न पाई जा सकने वाली हिंसा और आतंकवाद को बल मिला। सरसरी तौर पर देखने पर भी इस वर्ष की समाचार रिपोर्टों से यह बात स्पष्ट हो गई कि स्थिति को कम आंकने से मीडिया के दृष्टिकोण को कोई सकारात्मक दृष्टि नहीं मिल सकती है। उत्तर और पूर्वोत्तर में अपने व्यवसाय के कारण पत्रकारों के साथ टकराव बना रहा। देश के अन्य भागों में उनके साथी बार–बार राजनीतिक दलों और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों और हमलों के शिकार हुए।

जम्मू कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन की इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया गया कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके विरोध में मीडिया कर्मी अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्होंने यह मांग करते हुए कार्रवाई का विरोध किया कि अध्यक्ष अपने शब्दों को "वापस लें"।

नीचे ऐसी रिपोर्टों का संकलन दिया जा रहा है, जिनके कारण वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय प्रेस में काफी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं:

साइबर कर्मी, ब्लॉगर और कानूनी विशेषज्ञ सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के अधीन जारी किए गए नए नियमों और दिशानिर्देशों में काफी कमियां हैं। इनसे विनियमों और सूचना की सुरक्षा की विषय–वस्तु पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, इसके अधीन ये साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा के संबंध में भी कार्रवाई की जाती है। इन्होंने इसे अनर्गल नाम दिया, जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वेब होस्टिंग कंपनियों, संर्च इंजनों और साइबर कैफे पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त किया गया है। नए नियमों में वेबसाइट के होस्टों या मालिकों के खिलाफ "आपत्तिजनक विषय–वस्तु" के कारण कार्रवाई की जा सकती है। इसे "अनुचित", "उत्पीड़क", "ईश–निंदापूर्ण" या "घृणापूर्ण" नाम दिया गया। इसमें ऐसी बातों को भी शामिल किया जा सकता है जिससे देश की एकता, अखंडता, रक्षा, संरक्षा या प्रभुसत्ता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है।

यदि शिकायत प्राप्त होने के बाद 36 घंटे के अंदर मध्यस्थ इस पर कार्रवाई नहीं कर पाए, तो इसके लिए उच्च प्रबंधक वर्ग के खिलाफ सिविल या ऐसी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है जिसके कारण उन्हें भारी दंड और यहां तक कि जेल भी भेजा जा सकता है। बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार ने यह दावा किया है कि "निहित स्वार्थ" के कारण ऐसी 'अफवाह' फैलाई जा रही है कि इंटरनेट का दुरुपयोग फल–फूल रहा है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2011)**।

राजनीतिक दलों के स्वामित्व के टी.वी. चैनलों पर रोक लगाने के प्रयास में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस. वाई. कुरेशी ने कहा कि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में निर्वाचन आयोग दिशानिर्देश तैयार करने पर कार्य कर रहा है। राजनीतिक दल अपने स्वामित्व वाले टी.वी. चैनलों का दुरुपयोग संभवतः राजनीतिक लाभ के लिए कर सकते हैं, यह स्वीकार करते हुए श्री कुरेशी ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि असीमित प्रचार के लिए आप अपने चैनल का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगले चुनाव से पहले हमारे पास इस संबंध में कोई नीति होगी। श्री कुरेशी ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि जिन कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें अधिकांश चैनल राजनीतिक दलों के स्वामित्व के हैं। उन्होंने कहा कि इन चैनलों ने अन्य चैनलों पर स्थान खरीदने की बजाय अपने चैनल की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। निर्वाचन आयोग ने यह स्वीकार किया कि यह एक बहुत जटिल मुद्दा है और दृश्य मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए हम दिशानिर्देश तैयार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री वी.एस. सम्पत्त ने कहा कि "हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और कुछ दिशानिर्देश तैयार कर दिए गए हैं। हम जल्दबादजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं।" श्री कुरेशी ने 'पेड न्यूज' पर मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा स्व–नियंत्रण रखने पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि "पेड न्यूज की परिभाषा और पहचान ठोस करने की आवश्यकता है।" **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 2011)**।

टेलीविजन के दर्शकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए केंद्र ने एक प्रसारण–विषय शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) का गठन किया है। इस 13 सदस्यों वाली परिषद् के प्रमुख दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ए.पी. शाह होंगे। यह परिषद् जून के प्रथम सप्ताह से कार्य करना आरंभ कर देगी। यह परिषद् गैर–समाचार चैनलों द्वारा प्रसारण की जाने वाली विषय–वस्तु के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई करेगी, जिनमें सामान्य मनोरंजन, वर्तमान घटनाएं, बच्चों के कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। बीसीसीसी के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र के साथ–साथ स्व–नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश भारतीय प्रसारण परिसंघ (आईबीएफ) द्वारा तैयार किए गए हैं, जो गैर–समाचार चैनलों के लिए हैं और ये भी परिषद् के साथ ही अस्तित्व में आएंगे। शिकायत निवारण तंत्र दो चरणीय प्रक्रिया होगी, जिसमें दर्शक अपनी शिकायतें पहले प्रसारक/चैनलों के पास दायर करेंगे। लेकिन ये शिकायतें आपत्तिजनक कार्यक्रम के प्रसारण के एक सप्ताह के अंदर दायर की जानी चाहिए। आईवीएफ के दिशानिर्देशों के अधीन प्रसारक एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करेगा जिसका प्रमुख विषय वस्तु का प्रेक्षक

होगा ताकि वह दर्शकों या किसी अन्य निकाय से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई कर सके। विषय–वस्तु प्रेक्षक शिकायत का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होगा और शिकायत दायर करने के एक सप्ताह के अंदर बीसीसीसी को इसकी प्रतिलिपि भेजेगा। यदि प्रसारक की ओर से दर्शक को असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है तो शिकायतकर्ता सीधे बीसीसीसी से संपर्क कर सकता है। यह परिषद् तब इस मामले का संज्ञान लेगी और यदि प्रसारक को दोषी पाया जाता है तो यह आवश्यक कार्रवाई करेगी जिसमें चेतावनी जारी करना भी शामिल है। यह परिषद् प्रसारक से यह भी कह सकती है कि वह चैनल के संबंध में माफी मांगे या परिषद् उस प्रसारक के लाइसेंस को निलंबित करने की सिफारिश कर सकती है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि "शिकायतों का निवारण तीन सप्ताह के अंदर किया जाएगा।" मंत्रालय के अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि बीसीसीसी के निदेशों की प्रसारक द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है तो यह शिकायत उचित कार्रवाई और सिफारिश करने के लिए अंतर–मंत्रालयी परिषद् को भी भेजी जा सकती है।

इस 13 सदस्यीय परिषद् में चार सदस्य आईबीएफ के और सिविल सोसाइटी के चार प्रतिष्ठित नागरिक होंगे। इसके अलावा, कुछ सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से होंगे, जो इसके स्थायी सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे सांविधिक निकाय भी शिकायत की प्रकृति के अनुसार, इस समिति के सदस्य होंगे **(डेकन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 28 मई, 2011)**।

विधि मंत्रालय निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है। कॉरपोरेट जगत की नीरा राडिया के फोन टैपिंग और आर्थिक अपराधों को करने में व्यापक रूप से प्रयुक्त नई पीढ़ी की खोजी तकनीकों को इस मुहिम से अलग रखा गया है। विधि मंत्री, वीरप्पा मोइली ने कहा कि "हम निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहते हैं। इसे संसद के मानसून सत्र में पटल पर रखे जाने की संभावना है। लेकिन समय–सीमा के बारे में कोई वायदा करना कठिन है।" निजता का अधिकार संप्रेषण, निजी या पारिवारिक जीवन की गोपनीयता, उसके सम्मान और सद्नाम की रक्षा व्यक्तियों के बीच कानूनी रूप से तलाशी, नजरबंदी या प्रकटन से रक्षा, निगरानी से निजता, बैंक, वित्तीय चिकित्सा और कानूनी सूचना की गोपनीयता, विभिन्न प्रकार की चोरी की पहचान करने से रक्षा, व्यक्तियों के फोटोग्राफ का प्रयोग करने से रक्षा, पुलिस थाने में लिए जाने वाले डीएनए के नमूने और अन्य नमूनों तथा व्यक्ति से संबंधित डेटा की रक्षा भी शामिल है। यदि यह विधान पास हो जाता है तो इससे सिविल सोसाइटी के कुछ वर्गों द्वारा व्यक्त की गई कई चिंताओं का निराकरण हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यूआईडी जैसी परियोजनाओं में किसी व्यक्ति के "कंप्रोमाइज"

पर घोर विरोध होने की संभावना है जिसमें सभी व्यक्तिगत डेटा माउस के एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 2011)**।

संघ सरकार ने पत्रकारों की रक्षा के लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया है जिससे महाराष्ट्र को राहत मिल सकती है, जहां राजनीतिक दल ऐसे विधान की आवश्यकता पर एकमत नहीं हैं। वहां राज्य के मंत्रिमंडल में पहले ही यह मतभेद था कि क्या ऐसा कानून आवश्यक है। इसके संबंध में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के मंत्रियों दोनों ने अपनी–अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं। यहां यह महसूस किया जा रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ गैर–जमानती अपराध बनाए जाने के लिए इस विशेष कानून को बनाया जा रहा है ताकि फिल्म निर्माता या अध्यापक जैसे समूह द्वारा भी ऐसी मांग की जा सके। इसके अलावा, सरकार यह महसूस करती है कि पत्रकारों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए एक निवारण तंत्र की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल की एक उप–समिति इसके सक्षम प्रावधानों की जांच करेगी और तदनुसार, राज्य के कानून के विद्यमान मसौदे में संशोधन करेगी, जिसे बाद में विधानमंडल के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। "महाराष्ट्र पत्रकार (हिंसा और संपत्ति की क्षति निवारण) अध्यादेश, 2010" नामक अध्यादेश का मसौदा अशोक चव्हाण के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। इसमें पत्रकारों पर बढ़ते हुए हमलों का उल्लेख किया गया था जिसके कारण समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थापनाओं को नुकसान पहुंच रहा था और इसमें ऐसे अपराधों को संज्ञान और गैर–जमानती अपराध बनाकर ऐसी हिंसा की घटनाओं और हमलों को रोकने की आवश्यकता की पहचान की गई थी। इस मसौदे में समाचारपत्र के कर्मचारियों, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा या समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थापना की संपत्ति को नुकसान संबंधी कृत्यों पर रोक लगाई गई है। ऐसे अपराधियों को ऐसी अवधि तक के लिए जेल का दंड दिया जाएगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उन पर दंड भी लगाया जा सकता है, जो 50,000/– रुपए तक का हो सकता है। इसके अलावा, अपराधी को क्षतिग्रस्त उपस्करों और नुकसान पहुंचाई गई संपत्ति का जो क्रय मूल्य न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा, उससे दुगुनी रकम दंड के रूप में अदा करनी होगी। यदि अपराधी इस जुर्माने की अदायगी नहीं करता है तो इसकी वसूली महाराष्ट्र भू–राजस्व संहिता के अधीन देय भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। लेकिन इसमें मुख्य बाधा यह है कि इस अध्यादेश के मसौदे में चूककर्ता पत्रकारों के खिलाफ दायर की जाने वाली शिकायतों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कुछ पत्रकार जो इस मसौदे को तैयार करने में शामिल थे, उन्होंने पत्रकारों और निवारण तंत्र की संहिता लागू करने का सुझाव दिया था।

"प्रतिवारक"

वरिष्ठ पत्रकार जतिन देसाई ने कहा कि प्रस्तावित कानून प्रतिवारक है। क्या नया कानून बिना राजनीतिक इच्छाशक्ति के कोई परिवर्तन ला पाएगा। वर्ष 1991 से महाराष्ट्र में पत्रकारों पर 1750 हमले हुए और एक भी दोषसिद्ध नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि 85 प्रतिशत

से अधिक मामले दबाव में वापस लिए गए। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पृथ्वी राज चव्वहाण ने भारतीय प्रेस परिषद् की भांति एक राज्य निकाय के बारे में भी कहा, जहां कोई मीडिया के खिलाफ शिकायत दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद् के पूर्व अध्यक्ष ने 'दॅ हिंदू' को टेलीफोन पर कहा कि महाराष्ट्र स्तर के निकाय का प्रस्ताव बहुत पहले समाप्त हो गया है। पूर्व मुख्य मंत्री विलास राव देसमुख ने महाराष्ट्र प्रेस परिषद् का प्रस्ताव दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति सामंत ने कहा है कि चूंकि पहले ही एक राष्ट्रीय निकाय विद्यमान है, अतः यह योजना बंद कर दी गई है। न्यायमूर्ति सामंत ने पत्रकारों के लिए अलग कानून बनाने की आवश्यकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। उन्होंने कहा कि मसौदे के प्रावधान अपराध को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाने और जुर्माने को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए विशेष कानून भेदभावपूर्ण होगा और इसे चुनौती दी जा सकती है। "यहां जो कुछ पत्रकारों के लिए करने की आवश्यकता है, वह है भारतीय दंड संहिता में संशोधन और इन प्रावधानों को सभी पर लागू किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा अलग कानून बनाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता जो पत्रकारों पर हमले को रोक पाएगा। उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि पत्रकारों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन रक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति की, की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता मारे गए। उन्होंने कहा कि "पत्रकारों को एक विशेष समुदाय के रूप में समझने का कोई औचित्य नहीं है। इस वर्ष पूरे देश में पत्रकारों पर हमले की 14 घटनाएं हुई हैं और दो लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें श्री जे. डे. भी शामिल है। हमले से पत्रकारों की रक्षा करने की परम आवश्यकता है।" एक विशेष कानून मीडिया की रक्षा या इन हमलों का निवारण कैसे कर पाएगा, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। यहां तक कि पत्रकार समुदाय भी बिना अधिक चर्चा और सोच के यह कानून बनाने पर बल दे रहा है जबकि अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि यह हमलों के खिलाफ प्रतिवारक है। इसका तथ्य यह है कि जब तक मामलों पर तेजी से कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में कुछ और चिंतन नहीं किया जाएगा, यह एक अन्य निरर्थक कानूनी प्रावधान होगा।

देश में मीडिया, प्रसारण और मनोरंजन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 33 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के विस्तार की रूपरेखा के लिए एक कार्यनीति और प्रस्ताव तैयार करेगा। इस समूह का गठन "योजना आयोग द्वारा किया गया है और यह समूह मीडिया प्रसारण और मनोरंजन क्षेत्रों में नीति संबंधी ढांचे के बारे में सिफारिश करेगा। कार्य समूह के अंतर्नियमों में यह कहा गया है कि इसकी स्थापना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए योजना और कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उपागम विकसित करने के लिए की गई है, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, गैर–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम अनुप्रयोगों में उभरती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया है।" कार्य समूह को निदेश दिया गया है कि वह इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। इस समूह को देश में सरकारी

क्षेत्र की प्रसारण सेवाओं के सुचारु संचालन और पुनर्गठन के लिए नीति संबंधी ढांचे की सिफारिश करने और वर्तमान ऐनालॉग प्रणाली से डिजिटल ट्रांसमिशन की ओर जाने की नीति के संबंध में सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह भी अपेक्षा की गई है कि वह सामुदायिक रेडियो और एफएम रेडियो स्टेशनों के विस्तार की नीति की भी सिफारिश करे, जिसके संबंध में सरकार महसूस करती है कि इससे देश के ऐसे भागों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी जहां आज पहुंचना संभव नहीं है। इन निदेशों में यह भी कहा गया है कि "यह समूह देश में विशेषतः ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार करने के लिए समुचित कार्यनीति बनाएगा, जिसमें सरकारी के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।" फिल्म और प्रसारण क्षेत्रों में भारत की शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए यह नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करेगी **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2011)**।

घबराहट पैदा करने के अलावा, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी–हरभजन सिंह के नकली विज्ञापनों को स्पोर्ट लाइट में दिखाकर यह साबित किया है कि टी.वी. पर विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा देकर किस प्रकार शराब ब्रांड विद्यमान मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। "मैकडावेल और रॉयलस्टैग व्हिस्की के विज्ञापन प्रसिद्ध क्रिकेटरों को दिखाते हैं और इसी प्रकार के अन्य विज्ञापन विद्यमान मापदंडों का भारी उल्लंघन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कभी भी ऐसे टेलीविजन प्रसारणों का अनुमोदन नहीं किया है।" केबल नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन चैनलों पर प्रकाशित की जाने वाली सभी सामग्री को केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम में उल्लिखित 'कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता' का पालन करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि "इस संहिता के अनुसार, नकली विज्ञापन या शराब ब्रांड के विस्तार के विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि नकली विज्ञापन ग्रे एरिया में जारी किए जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि "हम नकली विज्ञापनों के इस जटिल मुद्दे को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में हैं और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहे हैं।" धोनी–हरभजन के शराब के विज्ञापनों पर हाल ही में उठे विवाद के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्य को गति देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने वाले निकायों को स्मरण पत्र भेजे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने हाल ही में यह रिपोर्ट दी है कि भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) और समाचार प्रसारण संघ (एनबीए) विज्ञापनों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर रहे हैं। वर्ष 2010 में सरकार ने सभी शराबों के विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाने (जिसमें कोई अपवाद नहीं है) की घोषणा की है **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2011)**।

सरकार मीडिया में ऐसे विज्ञापनों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाने के लिए एक नियामक तंत्र लाने की तैयारी कर रही है जिनसे भ्रामक सूचना दी जाती है और झूठे दावे किए जाते हैं। सूत्रों ने कहा है कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने उपभोक्ता कार्य विभाग को अनुदेश दिए हैं कि इस प्रकार के विनियामक तंत्र का गठन करने के संबंध में रूपरेखा तैयार करे। इस विभाग से कहा गया है कि वह एक महीने के अंदर प्रधान मंत्री कार्यालय को पहला मसौदा प्रस्तुत कर

दे। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि यह विनियामक ढांचा अगले एक वर्ष के अंदर तैयार कर दिया जाए। यह मामला कुछ समय से उपभोक्ता कार्य विभाग के विचाराधीन है। विनियामक तंत्र को जल्दी तैयार करने के संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों यथा कृषि, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य उत्पादन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा खाद्य प्रसंस्करण के साथ इसके कार्य–निष्पादन पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2011)**।

इस माह के शुरू में जारी "सरकारी संगठनों के लिए सामाजिक मीडिया के उपयोग संबंधी ढांचे और दिशानिर्देशों" का संघ सरकार का मसौदा इन प्रयासों के समेकन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें इस संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं कि "एक ही झटके में अपने श्रोताओं तक पहुंच" के इस माध्यम का उपयोग सरकारी एजेंसियां कैसे करें। इस नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकारी विभाग केवल सूचना के प्रसारण के लिए इस नए माध्यम का उपयोग ही नहीं कर सकता है अपितु नीति निर्माण में जनता का सहयोग लेने और दी गई सेवाओं के संबंध में फीडबैक लेने के लिए भी किया जा सकता है।

एक व्यापक ढांचे को तैयार करने के संबंध में 40 पृष्ठ का दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें कानूनी और ढांचागत दोनों पहलुओं पर विचार किया गया है। संसाधनों के आबंटन के संबंध में इसमें सिफारिश की गई है कि सरकारी एजेंसियां इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक समप्रित दल की नियुक्ति करें और उसे इस नए माध्यम के संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करें।

यह दस्तावेज जिसमें कई देशों की सर्वोत्तम परिपाटियों का उल्लेख किया गया है और सरकारी विभागों में की जा रही विद्यमान पहलों का उल्लेख किया गया है, में कई सामाजिक नेटवर्क साइटों, ब्लॉगों, विडियो शेयरिंग साइटों, माइक्रोब्लॉग्स और विकीज का उपयोग मुख्य प्लेटफार्मों के रूप में करने की पहचान की गई है। ऐसा करने के लिए अपने और स्वतंत्र प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इन दिशानिर्देशों में सूचना के प्रकटन, शिष्टता और बौद्धिक संपदा अधिकार का लाभ उठाने जैसे विषयों पर भी काफी विस्तार से उल्लेख किया गया है।

आंकड़ो का रखरखाव

आंकड़ों के रखरखाव के संबंध में इस मसौदे में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आदान–प्रदान की जाने वाली किसी सूचना के रिकार्ड और परीक्षणों को दर्ज किया जाएगा और उनका रिकार्ड रखा जाएगा। इसमें सिफारिश की गई है कि "सरकार द्वारा विशेष पहुंच का आदेश उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे टेकडाउन नोटिसों में दिया जाता है और सामाजिक मीडिया और अन्य मंचों को वर्तमान में भेजे जा रहे सूचना संबंधी अनुरोधों को लिया जाता है ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने और अन्य अपराधों के संबंध में कार्रवाई की जा सके।"

सुरक्षा नीतियां

इस प्रयोजन के लिए यह बताया गया है कि सूचना की सुरक्षा और अभिलेखाकरण के लिए विशेष नीति का मसौदा तैयार किया जा सकता है, जिसमें सरकार और सेवा प्रदाताओं के बीच "सेवा स्तरीय करार" भी शामिल है ताकि सामग्री का भंडारण, आदान–प्रदान और अभिलेखन किया जा सके और कम से कम पांच मिनट और अधिक से अधिक 15 मिनट में आपराधिक विषय–वस्तु को हटाया जा सके **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 19 सितंबर, 2011)**।

सरकार ने दिनांक 17 नवंबर, 2011 को भ्रामक विज्ञापनों पर चिंता व्यक्त की है और सुझाव दिया है कि सहयोगियों द्वारा चलाए जाने वाली भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) और अधिक जिम्मेदार प्रणाली बनाए ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने एएससीआई से कहा है कि एएससीआई द्वारा प्राप्त शिकायतों की तारीख और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बीच समय के अंतराल को कम किया जाए और तत्काल सुधारात्मक तंत्र की सुविधा प्रदान की जाए। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री के.वी. थॉमस ने कहा कि सरकार एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन कर रही है ताकि भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त कानून और विनियम बनाए जा सकें **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2011)**।

सरकार ने बड़े परदे और टेलीविजन पर तंबाकू के सेवन को दर्शाने के नए नियम बना दिए हैं जिससे तंबाकू का पूरी तरह निषेध और फिल्मों और टी.वी. कार्यक्रमों के इसके सेवन संबंधी मूल अधिसूचना की भावना काफी हलकी हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 नवंबर को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है। उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय से परामर्श करने और उनके विचारों को ध्यान में रखने के बाद 27 नवंबर को संशोधित कर दिया गया है ताकि इसे अधिक व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य बनाया जा सके। इस नई अधिसूचना में धूम्रपान के दृश्य और तंबाकू उत्पादों के सेवन को कुछ शर्तों सहित जैसे फिल्म के शुरू में और बीच में स्क्रोल पर दिखाने की छूट दी गई है। लेकिन फिल्म जगत इन नए नियमों से प्रसन्न नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना के समर्थन में उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया है ताकि इसे अन्य उच्च न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके। नए नियमों के अनुसार 14 नवंबर से पहले की सभी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में, जो तंबाकू उत्पाद या तंबाकू उत्पादों का सेवन दिखाया जाता था, वे यह अनिवार्य रूप से दर्शायें।

* फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों के शुरू या बीच में प्रत्येक कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू–विरोधी स्वास्थ्य चित्र या संदेश दिखाया जाए; और

* ऐसे प्रदर्शन की अवधि के दौरान परदे के नीचे प्रसिद्ध स्क्रोल के रूप में तंबाकू–रोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाए।

ऐसे कार्यक्रम ऐसे समय पर प्रसारित किए जाएंगे जिनके देखने वाले अवयस्क बहुत कम होने की संभावना है। नई फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए एक सशक्त संपादकीय औचित्य होना चाहिए ताकि तंबाकू उत्पाद या उनके सेवन को दर्शाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और यूए प्रमाणन दिया जाएगा और इसमें संबंधित अभिनेता द्वारा कम से कम 20 मिनट का ऐसा डिस्क्लेमर दिया जाएगा जो ऐसे उत्पादों के सेवन से दुष्प्रभावित होता है। ऐसा किसी भी फिल्म या टेलीविज़न कार्यक्रम के शुरू में या बीच में किया जाएगा।

फिल्म या टेलीविज़न कार्यक्रम के शुरू या बीच में कम से कम 30–30 सेकंड के तंबाकू–रोधी स्वास्थ्य चित्र या संदेश, ऐसे प्रदर्शन के दौरान परदे के नीचे प्रमुख स्क्रोल के रूप में तंबाकू–रोधी स्वास्थ्य चेतावनी दी जाएगी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि भी होगा **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 29 नवंबर, 2011)**।

19 दिसंबर, 2011 को संसद ने राज्य सभा में ध्वनि मत से अंगीकृत किए जाने के बाद केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन विधेयक, 2011 पास कर दिया है। इस विधेयक पर चर्चा का समापन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा है कि यह उपाय 31 दिसंबर, 2014 से चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के ऐनालॉग टी.वी. नेटवर्क के केबल प्रचालकों को नियंत्रित करने और डिजिटलाइजिंग के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधान से चैनलों के बीच अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अधिक टीआरपी का झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक में सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे केबल प्रचालकों का लाइसेंस रद्द कर सकती है जो नियमों का पालन न करें। मंत्री महोदया ने कहा कि "टीआरपी टी.वी. कार्यक्रमों के पतन का कारण है जिससे वे अश्लील सामग्री और अंधविश्वास का प्रदर्शन करते हैं। इस विधेयक से इस मुद्दे का समाधान होगा।" उन्होंने कहा कि इस विधान में नामित कार्यालयों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों की विषय–वस्तुओं का प्रभावी मॉनीटरन के लिए प्रावधान है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2011)**।

19 दिसंबर, 2011 को संघ सरकार ने कहा कि समाचारपत्रों के लिए सरकारी विज्ञापन दरों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री, अंबिका सोनी ने कहा कि "पिछले ढाई वर्षों में ये दरें दुगुनी हो गई हैं। दर ढांचा समिति अद्यतन दरों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर रही है।" उन्होंने कहा कि "डीएवीपी द्वारा उल्लिखित विज्ञापन के प्रकाशन की दरों की नियमित अंतराल में समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, डीएवीपी द्वारा प्रभारित किए जाने वाले कमीशन के संबंध में विशेष उपाय नहीं किए गए हैं ताकि समाचारपत्रों द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरें न बढ़ पाएं।" विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सरकार की नोडल मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। सुश्री सोनी ने सदन को यह भी सूचित किया कि समाचारपत्रों और

पत्रिकाओं से सूची में शामिल किए जाने के लिए लगभग 205 आवेदनपत्र इस वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक स्वीकार किए गए हैं। वर्ष 2011–12 में अब तक सूची में शामिल किए जाने के लिए कुल 704 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2010–11 में प्राप्त 1689 आवेदनपत्रों में से 788 आवेदनपत्रों को अनुमोदित किया गया था **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2011)**।

20 दिसंबर, 2011 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अंबिका सोनी ने कहा कि समाचार उद्योग के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से घरेलू समाचार मीडिया लाभान्वित हो रहा है। लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सुश्री अंबिका सोनी ने कहा कि प्रिंट मीडिया नीति के अनुसार, समाचार और अद्यतन विषयों से संबंधित कार्रवाई करने वाले विदेशी समाचारपत्रों को ऐसे विदेशी प्रकाशन गृहों के माध्यम से भारतीय संस्करण तैयार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिनका अपने स्वामित्व का विदेशी समाचारपत्र है और जिन्हें अपने पूर्ण स्वामित्व की भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से विदेशी समाचारपत्र का प्रतिरूप संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि "हालांकि विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिरूप संस्करणों की अनुमति दी जाती है, तथापि उन्हें भारतीय अभिदाताओं को दिए जाने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने की किसी रूप में भी अनुमति नहीं दी जाती है।" इस ओर, प्रिंट मीडिया में एफडीआई को सीमित करने की दिशा में उठाए गए कदम जैसे उपायों से घरेलू समाचारपत्र उद्योग को काफी लाभ हुआ है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसंबर, 2011)**।

15 फरवरी, 2012 को विधान सभा के अध्यक्ष के.जी. बोपैय्या ने कहा कि यह निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है कि वह सदन की कार्यवाही का प्रसारण करने के लिए टेलीविजन के संबंध में लोक सभा के मॉडल का अनुपालन करे या न करे, जिसकी फुटेज का आदान–प्रदान राज्य के स्वामित्व के दूरदर्शनों द्वारा प्राइवेट टेलीविजन चैनलों के साथ किया जाता है।

चार वर्ष पहले लोक सभा सचिवालय ने विधान मंडलों की कार्यवाही के टेलीविजन प्रसारण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। यह निर्णय लेना सरकार का काम है कि वे इसका पालन करें या नहीं। विधानसभा में पोर्नगेट घटना से शर्मिंदा होते हुए सरकार ने यह संकेत दिया है कि यह प्राइवेट चैनलों द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाही के सीधे टेलीविजन प्रसारण पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। बोपैय्या ने कहा कि एक विधानमंडल समिति जिसने एक ऐसे राज्य के विवरणों का अध्ययन किया, जिसकी विधानसभा की कार्यवाही को प्रसारित करने की अपनी प्रसारण प्रणाली है और परिषद् ने कहा कि इससे इस प्रणाली को लगाने से राज्य के खजाने पर 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी **(डेकन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 16 फरवरी, 2011)**।

प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) ने टेलीविजन चैनलों से पूछा है कि वे अपने कार्यक्रमों में मार–धाड़, दुर्व्यवहार और महिला तथा बच्चों के शौच (कोम–मोडिफिकेशन)

के दृश्यों को कम दिखाएं। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह, अध्यक्ष, बीसीसीसी, जिन्होंने इस संबंध में भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) को पहले ही सलाह दी है, ने कहा कि "हमने टी.वी. चैनलों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों और दुर्व्यवहारों के बारे में धारावाहिक दिखा रहे हैं। उनसे ऐसे आपत्तिजनक दृश्यों को कम दिखाने के लिए कहा गया है।" बीसीसीसी स्व–प्रेरणा से किसी भी टी.वी. चैनल के किसी भी कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। टी.वी. चैनलों के खिलाफ लगभग 400 शिकायतें आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के बारे में प्राप्त हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि " इन शिकायतों में से 20 शिकायतें महिलाओं और बच्चों के आपराधिक चित्रों से संबंधित हैं **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2011)**।

इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने, जिनमें प्रसारक और विज्ञापन प्रकाशक भी शामिल हैं, ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् (बीएआरसी) के गठन की घोषणा की, जो टी.वी. के दर्शकों की रेटिंग का मापन करेंगे और उस हद तक टीएएम के एकाधिकार को समाप्त करेंगे।

ऐसा पहली बार हुआ है कि मीडिया उद्योग के प्रतिनिधि श्रोताओं रेटिंग निकाय के भाग होंगे और इसकी इक्विटी भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ), भारतीय विज्ञापन–प्रकाशक समाज (आईएसए) और भारतीय विज्ञापन एजेंसी संस्था (एएएआई) को क्रमशः 60 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

बीएआरसी का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टी.वी. दर्शक मापन के लिए गठित अमित मित्रा समिति की प्रमुख सिफारिश थी। एक दस सदस्यीय बीएआरसी बोर्ड की शीघ्र घोषणा की जाएगीं। वर्तमान में, टी.वी. के श्रोताओं का मापन टीएएम नामक प्राइवेट फर्म द्वारा किया जाता है **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2012)**।

हमले

पत्रकारों पर बार–बार होने वाले हमले चितां का विषय हैं। वर्ष के दौरान, कई निर्भीक रिपोर्टरों को पीटने का प्रयास किया गया है। इन हमलों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई रिपोर्टों और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय करते हुए परिषद् ने एक तथ्यान्वेषी दल का गठन किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में इनकी वास्तविकताओं का पता लगाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भी लिखे गए हैं।

नीचे ऐसी रिपोर्टों का एक संकलन दिया जा रहा है, जिनमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मीडिया कर्मियों पर हमले/मारपीट की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। उक्त वित्त वर्ष में इन घटनाओं की व्यापक रिपोर्टें परिषद् की गृह पत्रिका 'प्रेस परिषद् समीक्षा' में देखी जा सकती हैं:

- **वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की हत्या**

श्री ज्योतिर्मय डे 'मिड डे' नामक सांध्यकालीन पत्रिका के संपादक (जांच) की दिनांक 11 जून, 2011 के अपराह्न में घाटकोपर में स्पैक्टर बिल्डिंग के नजदीक चार बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्री डे पहले रिपोर्टर थे, जिन्होंने राज्य के 8000 करोड़ रुपए के तेल माफियाओं के गिरोह का पता लगाया था। 'मिड डे' में, उनके साथी के अनुसार, श्री ज्योतिर्मय डे एक निष्पक्ष और विवादरहित व्यक्ति थे। उन्हें अंडरवर्ल्ड के किसी माफिया से कोई धमकी भी नहीं मिली थी जिनके बारे में उन्हें काफी जानकारी थी। उनके साथी ने कहा कि वे पिछले दो सप्ताह से किसी विशेष घटना के संबंध में भी कार्य नहीं कर रहे थे।

इस बीच, एजेंसी की रिपोर्ट में नाम का उल्लेख किए बिना एक पुलिस सूत्र का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि डे को, जो तेल माफिया के संबंध में हाल ही में समाचार रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रकाशित कर रहे थे, असामाजिक तत्त्वों से धमकी मिली थी।

संयुक्त आयुक्त, श्री रजनीश सेठ (कानून और व्यवस्था) ने कहा कि पत्रकार को छाती, सिर और पेट में पांच गोलियां लगी थीं। अस्पताल ले जाते उनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन अपने घावों के कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

उनकी हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री छगन भुजबल ने कहा कि पत्रकार ने किसी गिरोह या माफिया विशेष को लक्ष्य नहीं बनाया था।

यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी मृत्यु का संबंध अंडरवर्ल्ड के तत्त्वों या तेल माफिया से है, श्री भुजबल, जो पूर्व गृह मंत्री भी थे, ने कहा कि "श्री डे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वे अंडरवर्ल्ड पर लिखा करते थे, वे किसी व्यक्ति विशेष पर लक्ष्य नहीं रखते थे, भले ही वह कोई गिरोह या कोई (तेल) माफिया हो।"

उन्होंने कहा कि डे की हत्या पूर्व–नियोजित लगती है। उन्होंने कहा कि "इसके पीछे कोई माफिया होगा।"

गृह मंत्री श्री आर.आर. पाटिल ने कहा कि पुलिस को अभी यह पता लगाना है कि इस निर्मम हत्या के पीछे कौन है। लेकिन उन्होंने पुलिस से अपेक्षा की है कि वे दो–तीन दिनों में हत्यारों का पता लगा लेंगे। श्री पाटिल ने कहा कि पुलिस से कहा गया है कि वह ऐसे किसी भी पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराएं जिसने सुरक्षा की मांग की हो।

डे ने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई प्रमुख समाचारपत्रों में कार्य किया था।

---

* इस घटना का उल्लेख "न्यायालय के मामले" शीर्ष के अधीन भी किया गया है।

कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए डे की हत्या की निंदा की है कि इस प्रकार के कृत्य से मीडिया की आवाज नहीं दबाई जा सकती है **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2011)**।

भारत के संपादक समूह ने, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और अन्य प्रेस संगठनों के मेजबानों ने डे की हत्या की कड़ी निंदा की है और उनकी हत्या पर शोक व्यक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा कि "इस कृत्य ने प्रेस की स्वतंत्रता और उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग करने के कार्य को चुनौती दी है। यह घटना बुद्धिहीन की अपवित्रता का संकेत है जिसमें निर्दोष नागरिकों की हत्या की जाती है। कोई भी सभ्य समाज प्रेस की स्वतंत्रता पर इस प्रकार के हमले को सहन नहीं कर सकता है।"

श्रीमती सोनी ने यह भी आशा व्यक्त की, कि "महाराष्ट्र के गृह मंत्री (श्री आर.आर. पाटिल) यथासंभव शीघ्र हत्यारों का पता लगाने के आश्वासन को पूरा करेंगे।" महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार शासन कर रही है जिसमें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है।

इस घटना की निंदा करते हुए, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार, श्री हरीश खरे ने इसे "हृदय विदारक और असहनीय घटना" बताया **(दॅ संडे स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2011)**।

- **टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के कार्यालय पर हमला**

शरारती तत्त्वों का एक समूह केसरिया झंडा फहराते हुए और शिव सेना के समर्थन में नारे लगाते हुए 28 जनवरी, 2012 को टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में घुस गया और पुलिस द्वारा स्थिति को संभालने से पहले उन्होंने स्वागत कक्ष के क्षेत्र में तोड़–फोड़ की।

ऐसा बताया जाता है कि ये हमलावर महाराष्ट्र टाइम्स, जो टाइम्स समूह के प्रकाशन की प्रातःकालीन मराठी पत्रिका है, में प्रकाशित समाचार से असंतुष्ट थे। इस भीड़ ने लॉबी में रखे फर्नीचर को तोड़ दिया और बर्तनों, खिड़की के शीशों और कंप्यूटरों को नष्ट कर दिया तथा महाराष्ट्र टाइम्स की प्रतियां भी जला दी। ऐसा लगता है कि शिव सेना से कुछ लोगों के टूट कर एनसीपी, जो महाराष्ट्र राज्य पर शासन करने वाली डेमोक्रेटिक फ्रंट एलायंस की सहयोगी पार्टी है, में शामिल होने की संभावना से संबंधित महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट से ये हमलावर नाराज थे **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2012)**।

राजनीतिक दलों ने 28 जनवरी, 2012 की उस घटना की निंदा की, जिसमें शरारती तत्त्वों ने शिव सेना के झंडे लिए और उस दल के नारे लगाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में तोड़–फोड़ की **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2012)**।

28 जनवरी, 2012 को पुलिस ने कहा कि शिव सेना के सदस्य होने के संदेह में 28 लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के स्वागत कक्ष क्षेत्र में तोड़–फोड़ करने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

इन दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अधीन मुकदमा दायर किया गया, जिनमें धारा 447 (आपराधिक तरीके से घुसने के लिए दंड), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए दंड), धारा 452 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से घर में घुसना, मारपीट करना और गलत तरीके से लोगों को रोके रखना), धारा 144 (खतरनाक हथियारों सहित गैर–कानूनी तरीके से सशस्त्र लोगों के बीच शामिल होना), धारा 146 (उपद्रव करना) और आपराधिक संशोधन अधिनियम तथा मुंबई पुलिस अधिनियम के अधीन आजाद मैदान पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज किए गए **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 30 जनवरी, 2012)**।

आजाद मैदान पुलिस ने 28 जनवरी, 2012 के अपराह्न में टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग पर हमला करने के संबंध में 30 जनवरी, 2012 को 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर, 28 जनवरी, 2012 से 30 लोग गिरफ्तार किए गए और पुलिस ऐसे 100 से अधिक अन्य लोगों का पता लगा रही है जो इस हमले में शामिल थे। दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन उपद्रव करने, तोड़फोड़ करने और आपराधिक तरीके से घुसने के लिए आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने उनकी जमानत की अर्जी अस्वीकार कर दी थी और उन्हें 01 फरवरी, 2012 तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इनमें से कोई भी उपद्रवी शिव सेना से नहीं था। वास्तव में, ये लोग को–ऑप्रेटिव बैंकिंग यूनियन के थे, जिसका मुखिया शिव सेना का एमएलए आनंद राव एडसल है। निरीक्षक ए थुप्पे, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने कहा कि वे लोग इस रिपोर्ट को पढ़कर उत्तेजित हुए थे कि एडसल अपनी पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2012)**।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, पृथ्वी राज चव्हाण ने भारतीय प्रेस परिषद् को पत्र लिखकर राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। भारतीय प्रेस परिषद् के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डे काटजू को पत्र उसके बाद आया जब भारतीय प्रेस परिषद् के प्रमुख ने महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हो रहे हमले की अत्यंत निंदा की है। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 03 मार्च, 2012 को जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह कहते हुए लिखा है कि "वे (चव्हाण) भारतीय प्रेस परिषद् के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और उनकी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है।" इस वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि "उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे पत्र में (महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हमले के बारे में) उठाए गए मुद्दों की जांच कर रहे हैं और वास्तविक विवरणों से शीघ्र मुझे अवगत कराएंगे" **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 03 मार्च, 2012)**।

- **मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रिका राय और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या**

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर दूर 18 फरवरी, 2012 की रात को वरिष्ठ पत्रकार और उसके परिवार की निर्मम हत्या ने पूरे देश में दुःख का वातावरण पैदा कर दिया है, जिसमें इस क्षेत्र में सक्रिय अवैध कोयला खनन माफियाओं पर संदेह हुआ। पुलिस का कहना है कि पत्रकार चंद्रिका राय, उनकी पत्नी दुर्गा और उनके दो किशोर बच्चों – पुत्र जलज और पुत्री निशा की हत्या उन्हीं के घर में किसी धारदार हथियार से की गई थी। उनके शव चार अलग–अलग कमरों में पाए गए। श्री राय एक स्वतंत्र पत्रकार थे, जो नवभारत हिंदी दैनिक और दॅ हितवाडा अंग्रेजी दैनिक में नियमित रूप से लिखते थे। वे इस क्षेत्र के अवैध कोयला खनन के खिलाफ लगातार लिखते जा रहे थे। उन्होंने अवैध खनन में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता की तथाकथित लिप्तता पर लेखों की श्रृंखला भी लिखी थी (**दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2012)**।

स्थानीय पत्रकार और उसके परिवार के सदस्यों की उन्हीं के घर में तथाकथित हत्या किए जाने के एक दिन बाद 19 फरवरी, 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष कृतिक बल की घोषणा की **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2012)**।

भारत के संपादकों के समूह ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार चंद्रिका राय और उनके संपूर्ण परिवार की 18 फरवरी, 2012 को की गई हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच का गठन करे ताकि "इस हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके।" समूह द्वारा मुख्य मंत्री, शिवराज सिंह चव्हाण को भेजे गए पत्र में यह शंका व्यक्त की गई है कि यह सामूहिक हत्या श्री राय को चुप कराने का एक प्रयास था, जिन्होंने इस क्षेत्र में अवैध कोयला खनन संबंधी गतिविधियों के खिलाफ लेखों की एक कठोर श्रृंखला हाल ही में लिखी थी और उन्होंने स्थानीय राजनीतिक नेता का इसमें हाथ होने का आरोप लगाया था। पत्र में कहा गया कि "हम यह सुनिश्चित करने के लिए इस साहसिक पत्रकार की याद में यह संकल्प करते हैं कि दोषी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।" दक्षिण एशियाई मीडिया आयोग ने भी इस हत्या की निंदा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया था और इसमें माफिया, राजनीतिज्ञों और नौकरशाही की मिलीभगत की बात की थी जिससे देश के कई भागों में पत्रकार खतरे में पड़े गए हैं **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 2012)**।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस.के. राउत ने 23 फरवरी, 2012 को इस बात की पुष्टि की, कि उमरिया का पत्रकार चंद्रिका राय, जिन्हें पिछले सप्ताह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ मृतक पाया गया था, एक सरकारी अधिकारी के सात वर्षीय बेटे के अपहरण में शामिल था। यह कहते हुए कि हत्या का मामला सुलझ गया है, राउत ने कहा कि "हमारी जांच से पता चला है कि चंद्रिका राय उस बच्चे के अपहरण में शामिल था। जिन लोगों को हमने पत्रकार

की हत्या के संबंध में जांच के लिए रोका था, उन्होंने यह अपहरण की बात स्वीकार की थी।" पुलिस ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के उप–प्रभागीय अधिकारी, हेमंत झारिया के पुत्र अनंत झारिया को अपहरण से मुक्त कराने के लिए बहुत बड़े धन की मांग की गई थी। राय की हत्या इसलिए की गई थी कि बच्चे को छोड़ने के लिए मांगी गई बहुत बड़ी रकम कितनी हो, इसमें संदेह था और राय के घर पर इस रकम के बंटवारे के कारण यह जघन्य हत्या की गई थी। इस बीच, भारतीय प्रेस परिषद् के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डे काटजू ने इस हत्या की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया था **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2012)**।

मध्य प्रदेश पुलिस ने 01 मार्च, 2012 को यह दावा किया कि उन्होंने पत्रकार चंद्रिका राय और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में एक लिपिक सहित 31 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार करके इस मामले का पता लगा लिया है। विशेष कृतिक बल (एसटीएफ), जिसे जांच का कार्य सौंपा गया था, उसकी भी गोली मारकर हत्या करने की बात का पहले दावा किया गया कि उस लिपिक की हत्या अपहरणकर्ताओं के गैंग द्वारा की गई थी, जिसे वह ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने कहा कि "अब हम यह कहने की स्थिति में हैं कि इस हत्या का अपहरण से कोई संबंध नहीं था।" **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 02 मार्च, 2012)**।

- **कर्नाटक का पोर्न कांड**

इससे पहले कि मोबाइल फोन पर अश्लील चित्र वीडियो क्लिपिंग देखते हुए पाए गए तीन पूर्व मंत्रियों को समन करने के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सके, विधान सभा की समिति – जिसका गठन इस घटना की जांच करने के लिए अध्यक्ष के.जी. बोपैय्या द्वारा किया गया था, इन घटिया फोटोग्राफ का टेलीविजन प्रसारण करने वाले टेलीविजन चैनल के प्रतिनिधियों पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई।

कन्नड़ चैनल का संपादक, जो 29 फरवरी, 2012 को समिति के समक्ष उपस्थित हुआ, ने यह प्रश्न पूछा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना को टेलीविजन पर प्रसारित करने का गलत कार्य मीडिया ने किया था। उन्होंने संपादकों से जो 15 प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न यह था कि "क्या आप जानते हैं कि जो कुछ आपने किया, वह कर्नाटक विधान सौध प्रेस दीर्घा नियमावली के नियम 6, 17 और 20 का उल्लंघन था।"

15 प्रश्नों में से पाँच प्रश्न ऐसे थे, जिन्हें सात सदस्यीय पैनल में सत्ताधारी दल के चार विधायकों में परिचालित किया गया था। कांग्रेस और जे.डी. (एस) ने समिति का विरोध किया। अन्य 10 प्रश्न लगातार पूछे गए।

कर्नाटक टेलीविजन चैनल के एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार को समन भेजा गया कि वह 01 मार्च, 2012 को समिति के समक्ष उपस्थित हों। पैनल के सदस्यों ने 'दॅ हिंदू' को इस बात

की पुष्टि की, कि पैनल ने 01 मार्च, 2012 को दूसरे क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल के प्रतिनिधियों को भी समन किया था जिनसें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।

पूर्व मंत्री लक्ष्मण सवाडी, सी.सी. पाटिल और जे. कृष्णा पालेमर को 07 फरवरी को विधान सभा के सत्र के दौरान अश्लील वीडियो क्लिपिंग देखते हुए पाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार से त्याग पत्र देना पड़ा था।

इस बीच, श्रीशैलप्पा बिडारुर, जो विधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे, ने प्रेस के लोगों से कहा कि यह पैनल, जिसे उन तीन मंत्रियों से उत्तर प्राप्त हो गए थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था, के संबंध में 01 मार्च, 2012 को निर्णय लिया जाएगा कि क्या उन्हें पैनल के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजा जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष द्वारा स्थापित यह समिति निर्धारित समय–सीमा अर्थात 13 मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। श्री बिडारुर के अलावा, इस पैनल में बीजेपी के विधायक एस.आर. विश्वनाथ, नेहरू ओलेकर और सुरेश गौडा शामिल थे। कांग्रेस के एच.सी. महादेवप्पा और अमरेह गौडा बायापुर तथा जे.डी.(एस.) के दिनाकर शेट्टी ने इस पैनल का विरोध किया **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च, 2012)**।

पोर्नगेट कांड की रिपोर्ट तैयार करने वाले पत्रकार का बचाव करते हुए प्रेस परिषद् के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डे काटजू ने कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष को लिखा, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि मीडिया कर्मी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को वापस ले लिया जाए। अध्यक्ष, के.जी. बोपैय्या को भेजे गए इस पत्र में उनसे अनुरोध किया गया कि वे मीडिया कर्मी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और उसके खिलाफ कार्रवाई वापस लें और इसकी बजाय "विधानसभा के उन सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने सदन की गरिमा को कम किया है।" न्यायमूर्ति श्री काटजू ने कहा कि वे यह महसूस करते हैं कि मीडिया कर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मीडिया कर्मियों को दी गई स्वतंत्रता की गारंटी को नुकसान पहुंचता है और इससे ऐसा लगता है कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसने सदन की गरिमा घटाई न कि वे विधायक जो इस कांड में लिप्त थे। इस मामले में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति से "घृणित कार्य" के विवरण मांगे जाएं, हालांकि जो प्रश्न उन्होंने पूछने के लिए तैयार किए थे, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अपराध के लिए मीडिया कर्मियों को ही दोषी समझा गया है।

श्री काटजू ने यह भी उल्लेख किया है कि "मेरी राय में जांच समिति इस घृणित कार्य के सही तथ्यों का पता लगाने के बारे में संबंधित मीडिया कर्मियों से अवश्य प्रश्न पूछ सकती है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इन प्रश्नों से ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ अपराध के लिए मीडिया कर्मियों को दोषी समझा जा रहा है और तदनुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।" उन्होंने कहा कि "क्योंकि जनता ही मालिक है और केवल उनके विधायक ही

विधायकों के क्रियाकलापों के बारे में जनता को सूचना देने का अधिकार रखते हैं और मीडिया जनता की एक ऐसी एजेंसी है जो उसे सूचित करती है। अतः, इसमें मैं कोई गलत बात नहीं समझता हूं कि मीडिया ने सदन में विधानसभा के सदस्यों द्वारा अश्लील चित्र देखने की बात का टेलीविजन प्रसारण किया है।"

श्री काटजू ने कहा कि "मैं सोचता हूं कि मीडिया ने केवल शर्मनाक रूप में इस घटना की सूचना लोगों को देकर केवल अपने दायित्वों का निर्वाह किया है जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं।" उन्होंने कहा कि विधान सभा में की जा रही सभी कार्रवाई निर्बाध रूप से टेलीविजन पर दिखाई जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ताकि जो लोग लोकतंत्र के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं, वे यह जान सकें कि उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा है। हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाए। उदाहरण के लिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय हाउस ऑफ कामन्स के कई गुप्त सत्र आयोजित किए गए ताकि नाजी लोग ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं के विचारों को न जान सकें।

काटजू ने कहा कि "लेकिन इस प्रकार की गुप्तता विशेष स्थितियों में ही बरती जा सकती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्नाटक में ऐसी क्या विशेष स्थिति थी जिससे मीडिया के लोगों को सदन की घटनाओं की रिपोर्ट करने से रोकना उचित था।" उन्होंने अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के पेंटागन पेपर मामले में दिए गए न्यायनिर्णय का भी उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया है कि "केवल स्वतंत्र और अप्रतिबंधित प्रेस सरकार के विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकती है और स्वतंत्र प्रेस की जिम्मेदारी यह है कि वह लोगों को सरकार के विचारों से अवगत कराए और इसकी जानकारी कुछ विदेशी लोगों और विदेशी समाचारों को दे।"

उन्होंने इस न्यायनिर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि "मेरे विचार से 'दॅ न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और अन्य समाचारपत्रों की साहसिक रिपोर्टिंग के लिए उनकी निंदा के स्थान पर सराहना की जानी चाहिए क्योंकि वह इस प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम है जिसके संबंध में इसके संस्थापक ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए थे। सरकार के कार्यकरण को उद्घाटित करने से वियतनाम जैसा युद्ध हो जाता है जिसमें समाचारपत्र ने संक्षेप में सही बात भी की थी कि जो कुछ भी उसके संस्थापकों की आशा और विश्वास होता है, वे वैसा ही करेंगे।" **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2012)**।

विधान सभा के अध्यक्ष के.जी. बोपैय्या ने कहा कि उन्हें अभी भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष मार्कण्डे द्वारा लिखित वह पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ जांच वापस लेने का अनुरोध किया हो जिन्होंने पोर्नगेट कांड की रिपोर्ट तैयार की थी। जब डेक्कन हेराल्ड ने उनसे संपर्क किया तो श्री बोपैय्या ने 12 मार्च, 2012 को कहा कि उनके कार्यालय में भी ऐसा पत्र नहीं आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे काटजू के सुझाव पर विचार करेंगे?तो अध्यक्ष ने कहा कि "मैं पत्र को पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं।" **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 14 मार्च, 2012)**।

पोर्नगेट कांड की जांच कर रही विधान सभा की समिति ने यह निर्णय लिया है कि वे ऐसे अन्य आठ विधान सभा सदस्यों को नोटिस जारी नहीं करेंगे जिन पर सदन के अंदर अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाया गया है।

दिनांक 15 मार्च, 2012 को रिपोर्टरों को यह बताते हुए समिति के अध्यक्ष श्रीशैलप्पा बिदारुर ने कहा कि एक पैनल से इस घटना की जांच करने को कहा गया है जिसमें केवल तीन पूर्व मंत्री – लक्ष्मण सवाडी, सी.सी. पाटिल और कृष्णा पालेमर शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाना समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर है कि अन्य संसद सदस्यों ने भी यह अश्लील क्लिपिंग देखी है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओलेकर, जो समिति के एक सदस्य थे, ने हाल ही में यह आरोप लगाया है कि 8 अन्य विधायकों ने भी यह अश्लील वीडियो देखा था और उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने उन विधायकों के नामों का उल्लेख नहीं किया। ओलेकर के वक्तव्य के बारे में पूछे जाने पर बिदारुर ने कहा कि सदन के सी.सी.टी.वी. की फुटेज देखते समय समिति ने पाया कि कई विधायक मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि "लेकिन समिति के अंतर्नियमों में केवल इस बात का उल्लेख है कि वह केवल तीन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच करे।" प्रेस परिषद् के अध्यक्ष मार्कण्डे काटजू के हाल के उस पत्र पर, जिसमें उन्होंने राज्य विधान सभा से पोर्नगेट कांड में मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बिदारुर ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट 20 मार्च से पहले प्रस्तुत कर देगी।

"मीडिया को न फसाएं"

ऐसा पता चला है कि विधि विभाग के अधिकारियों ने समिति को सूचित किया है कि इस अश्लील कांड में मीडिया को नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि उन्होंने केवल अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मीडिया, विशेषतः टी.वी. न्यूज चैनल को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे उस बात को दिखाएं जो कुछ सदस्य सदन में कर रहे हैं।

समिति ने सदन में अश्लील क्लिपिंग देख रहे तीन पूर्व मंत्रियों को दिखाने के संबंध में दो प्राइवेट न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों से हाल ही में पूछताछ की है। समिति ने 15 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में इस कांड के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विधि विभाग के अधिकारियों से परामर्श किया है। अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले 16 मार्च, 2012 को उनकी दूसरी बैठक होने जा रही है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 16 मार्च, 2012)**।

विधान सभा अध्यक्ष के.जी. बोपैय्या ने 15 मार्च, 2012 को पोर्नगेट घटना की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष श्रीशैलप्पा बिदारुर और पैनल के सदस्य नेहरू ओलेकर के सार्वजनिक बयान पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। बंगलौर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन की समिति को चाहिए कि वह मामले की जांच करे और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके बाद यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि "यही परिपाटी

रही है। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले जांच के विवरणों को प्रकट करना अनुचित है। यह एक अच्छी परंपरा नहीं है।"

बोपैय्या ने यह भी कहा कि समिति के अंतर्नियमों में केवल तीन मंत्रियों, लक्ष्मण सवाडी, सी.सी. पाटिल और कृष्णा पालेमर से संबंधित मुद्दे की ही जांच करना है। "जांच का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से बताए जाने के बावजूद ओलेकर ने कहा कि 8 से 10 विधायक सदन के अंदर अश्लील क्लिपिंग देख रहे थे।" यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैं इस मामले को खींचना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष ने इस बात को दोहराया कि इन तीन मंत्रियों को तब तक कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया जाएगा जब तक सदन के पटल पर रिपोर्ट नहीं रखी जाती है। उन्होंने कहा कि "मैं रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। यह बात सदन पर छोड़ दी जाएगी कि वह इस संबंध में क्या समुचित कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। यदि आवश्यक हुआ तो इस मुद्दे पर मतदान करवाया जाएगा। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन पोर्नगेट के मंत्रियों का पक्ष ले रहा है और कौन उनका विरोध कर रहा है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट 20 मार्च तक प्रस्तुत कर दी जाएगी **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 16 मार्च, 2012)**।

"हो सकता है कि उस समय मंत्री सरकारी आदेशों को पढ़ रहे हों जब उनके मोबाइल फोन पर यह अश्लील क्लिपिंग दिखाई जा रही हो और उनका इरादा इस अश्लील क्लिपिंग को देखने का न हो।" यह इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पैनल की टिप्पणी है जिससे इस बात का पता चलता है कि 07 फरवरी को राज्य विधान सभा में कार्यवाही के दौरान अश्लील क्लिपिंग देखने के दोषी पूर्व मंत्री लक्ष्मण सावडी को इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है। यह रिपोर्ट 30 मार्च, 2012 को सदन के पटल पर रखी जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीशैलप्पा वी. बिडारुर की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा तैयार की गई 28 पृष्ठों की रिपोर्ट (जिसमें अनुबंध शामिल नहीं हैं) में निष्कर्ष दिया गया है कि हालांकि इस बात का प्रथमदृष्टया प्रमाण है कि सावडी मोबाइल पर अश्लील क्लिपिंग देख रहे थे, लेकिन केवल इतनी सी बात भारी दंड देने की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

चूँकि सावड़ी सदन में मोबाइल का इस्तेमाल करने पर समिति के सामने पहले ही क्षमा याचना कर चुके हैं और तीनों को दंड के रूप में गत डेढ़ माह से राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था, स्पीकर उन्हें चेतावनी दे सकते हैं कि वे भविष्य में ऐसा न करें और उनकी भर्त्सना कर सकते हैं।

लेकिन दो अन्य पूर्व मंत्री सी.सी. पाटिल और कृष्णा पालेमर पर अश्लील क्लिप देखने और दिखाने का आरोप लगाया जबकि सावडी को छोड़ दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि "इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पूर्व मंत्री सी.सी. पाटिल ने मोबाइल पर अश्लील चित्र देखे और कृष्णा पालेमर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है।

यह देखा गया कि सावडी द्वारा देखे जाने वाले और उसकी पैन ड्राइव में रखी गई क्लिप में कुछ समानता थी। लेकिन यह कहा गया कि जब मोबाइल चालू था, उस समय सदस्य सरकारी आदेश भी पढ़ रहा था और उन्होंने जानबूझकर फूहड़ क्लिप नहीं देखी। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि सदन में मोबाइल पर रोक लगाई जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2012)**।

- **कर्नाटक न्यायालय में पत्रकार पर हमला**

02 मार्च, 2012 को बैंगलोर न्यायालय में वकीलों का मीडिया कर्मियों के साथ टकराव हो गया था। बंगलौर न्यायालय उस समय कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्द्धन रेड्डी के अवैध खनन के मामले में उनकी अभिरक्षा के लिए सीबीआई द्वारा किए गए अनुरोध पर सुनवाई कर रहा था। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोट आई है और मीडिया की वैन क्षतिग्रस्त हुई है। यह टकराव रेड्डी को न्यायालय से ले जाने के तत्काल बाद उस समय हुआ जब रेड्डी के एडवोकेट का साक्षात्कार लेने के लिए मीडिया कर्मियों को न्यायालय परिसर के अंदर आने से वकीलों ने मना किया था। वकीलों ने पत्थर फेंके। पत्रकारों ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन वकील बड़ी संख्या में थे और उन्होंने सरकारी आर्ट एंड साइंस कॉलेज के अगले दरवाजे तक पत्रकारों को खदेड़ दिया और उन्हें पीटा गया। जब पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, उस समय न्यायालय की ऊपरी मंजिल पर उपस्थित वकीलों ने उनके ऊपर कुर्सियां और बेंच फेंके। इससे कई लोग जख्मी हुए, जिनमें उप–पुलिस आयुक्त जी. रमेश भी शामिल हैं, जो न्यायालय में सुरक्षा के प्रभारी थे। बाद में कुछ टी.वी. चैनलों ने यह रिपोर्ट दी कि चंद्रप्पा नामक पुलिस कर्मी की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन बंगलौर के पुलिस प्रमुख ज्योति प्रकाश मिरजी ने इस दावे को गलत ठहराया।

हालांकि 02 मार्च, 2012 की इस ताजी हिंसा का कारण वकीलों द्वारा पत्रकारों को न्यायालय परिसर में न आने देना था। लेकिन दोनों पक्षों के बीच यह आग जनवरी से सुलग रही थी जब मीडिया ने बंगलौर में वकीलों द्वारा थप्पड़ मारे जाने के कारण हड़ताल की थी और इसकी कठोर आलोचना की थी। क्योंकि पुलिस द्वारा यातायाता के नियमों का उल्लंघन करने पर उनमें से एक की पिटाई की गई थी। वास्तव में इस हड़ताल के दौरान जिससे यातायात बिल्कुल ठप हो गया था, यहां तक कि ऐंबुलैंस भी नहीं चल पाई थी, पुलिस ने वकीलों ने पत्रकारों पर हमला किया और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बाहर पुलिस पर हमला किया था। मीडिया द्वारा इस हमले की गंभीर आलोचना करने के कारण इसमें और तनाव बढ़ गया और पिछले कुछ सप्ताहों के बाद वकीलों को अलग–अलग पत्रकारों ने चेतावनी देनी शुरू कर दी कि "बदला लेने के कारण नगर और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मुख्य मंत्री सदानंद गौडा ने 02 मार्च, 2012 के टकराव के संबंध में न्यायिक जांच के आदेश दिए। गौडा ने कहा कि "सभी पक्षों से सूचना एकत्र करने और गृह मंत्री आर. अशोक से इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस शर्मनाक घटना और इस दुस्साहसपूर्ण कार्य के संबंध में वकीलों के एक वर्ग के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू की जाए।" लेकिन मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मीडिया कर्मियों और

वकीलों के बीच चल रहे तनाव को कम करने में मदद करेगी न कि गिरफ्तारियां करके इस मामले को तूल देगी **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 03 मार्च, 2012)**।

02 मार्च, 2012 को बंगलौर सिविल न्यायालय परिसर में पत्रकारों पर हमले की निंदा करते हुए भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति मार्कण्डे काटजू ने ऐसे वकीलों के खिलाफ "कठोर दंड" की मांग की है जिन्होंने "कानून को अपने हाथ में लिया है और मीडिया कर्मियों पर शारीरिक हमला किया है।" **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 03 मार्च, 2012)**।

वकीलों द्वारा सिविल न्यायालय परिसर में मीडिया पर कथित निर्मम हमले के एक दिन बाद 03 मार्च, 2012 को पत्रकार समुदाय ने बंगलौर में एक विरोध प्रदर्शन किया और उन दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की जो पत्रकारों पर अमानवीय और अकारण हमले के जिम्मेदार थे।

इस दौरान, सभी पत्रकार संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल, एच.आर. भारद्वाज से मुलाकात की, जिन्होंने भी इस घटना की निंदा करते हुए पत्रकारों को यह आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इस बीच, कॉरपोरेट कार्य मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि पत्रकारों पर हमला इस बात का प्रतीक है कि यदि सरकार ने पहले इस बात पर ध्यान दिया होता तो इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती। **(दॅ पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 04 मार्च, 2012)**।

03 मार्च, 2012 को पुलिस वकीलों पर टूट पड़ी और उसने 02 मार्च, 2012 की उत्तेजना के कथित अभियुक्त रंगनाथ, संतोष, सुरेश और अरुण नायक को गिरफ्तार किया। इस उत्तेजना में वकीलों ने मीडिया और पुलिस कर्मियों पर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई। वकीलों की गिरफ्तारी उपद्रव करने, उत्तेजना फैलाने, शरारत करने और गंभीर चोट पहुंचाने तथा सरकारी अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के कारण भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन की गई थी। अपर आयुक्त (कानून और व्यवस्था), टी सुनील कुमार ने कहा कि "हमने लगभग 40 वकीलों की पहचान कर ली है और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने इन अभियुक्तों के खिलाफ 31 मामले दर्ज किए हैं"। **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 04 मार्च, 2012)**।

प्रसारण संपादकों के संघ ने मीडिया पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इस संस्था ने बंगलौर में पत्रकारों पर हमले की जांच करने के लिए और कर्नाटक विधान सभा की घटना के संबंध में जांच करने के लिए एक पांच सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है। बीईए के महासचिव, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में यह समिति एक सप्ताह के अदंर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यावसायियों के शीर्ष निकाय ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से ऐसा पता चलता है कि यह मीडिया द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में उन्हें भयभीत करने का प्रयास है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 04 मार्च, 2012)**।

कानून मंत्री, एस. सुरेश कुमार ने 04 मार्च, 2012 को कहा कि सरकार वकीलों और मीडियो कर्मियों की एक बैठक आयोजित करना चाहती है ताकि उनके बीच शांति स्थापित की जा सके। मंत्री महोदय ने डेक्कन हेराल्ड से कहा कि वकील 05 मार्च, 2012 को एक दिन के न्यायालयों का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 05 मार्च, 2012)**।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने यह वायदा किया है कि सिटी सिविल न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने वाले मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के निदेशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का वायदा किया हैं जिन्होंने उनके खिलाफ दुर्व्यहवार किया है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 06 मार्च, 2012)**।

राज्य में मीडिया और पुलिस दोनों की कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने मीडिया, पुलिस और वकीलों के बीच 02 मार्च को बंगलौर में हुए टकराव के संबंध में वकीलों द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की श्रृंखला की सुनवाई करने के दौरान 23 मार्च, 2012 को मीडिया और पुलिस की गंभीर आलोचना की है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पुलिस हिंसा के लिए जिम्मेदार अपने अधिकारियों की पहचान करने में अड़ियल रुख अपना रही है।

न्यायमूर्ति सेन ने कहा कि यदि पुलिस अपने घर में शांति नहीं ला सकती है तो सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया जाएगा।

वकीलों द्वारा पुलिस और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए 18 दिन की हड़ताल करने के संदर्भ में न्यायमूर्ति सेन ने कहा कि पुलिस दोष के अपराधियों की पहचान करने में अड़ियल रवैया अपना रही है। यह न्यायिक प्रणाली की कार्रवाई में हस्तक्षेप है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे न्यायालय में भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रतिकूल कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि "हम ऐसी अव्यवस्था नहीं देखना चाहते हैं जैसी पुलिस ने उस दिन की। हम चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के मामले में सचाई सामने आए और उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाए।"

मीडिया की भूमिका के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे सिद्धांत हैं कि मीडिया और पुलिस साथ–साथ मिलकर कार्य करें। न्यायमूर्ति श्री सेन ने कहा कि "मीडिया को गलत रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वे चाहते हैं कि उन्हीं के तरीके से कार्य किया जाए और उसी तरीके से वे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।" **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली 27 मार्च, 2012)**।

न्यायालयिक मामले

उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2011 को इस संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त की, कि वह सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पी.डी. दिनाकरण के खिलाफ महाभियोग की जांच समिति की जांच संबंधी कार्यवाही को रिपोर्ट करने से नहीं रोक पाया, जिनके वकील ने यह तर्क दिया था कि जांच पैनल द्वारा बंद कमरे में सुनवाई की गई थी।

हालांकि उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि मीडिया की रिपोर्टिंग अपुष्ट आरोपों और न्यायनिर्णयाधीन मामलों से संबंधित थी, जो उस स्थिति में किसी व्यक्ति के 'जीवनपर्यंत' नुकसान का कारण हो सकती थी यदि बाद में उन पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं होते। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और सी.के. प्रसाद की पीठ ने न्यायमूर्ति दिनाकरण के वकील से कहा कि अब इससे वे बच नहीं सकते हैं क्योंकि मीडिया की यह एक 'नई प्रवृत्ति' है। उनके वकील ने यह तर्क दिया कि मीडिया की रिपोर्टिंग किसी के पक्षद्रोही होने के लिए खतरा बन सकता है **(दॅ डेक्कन क्रानिकल, हैदराबाद, दिनांक 27 मई, 2011)**।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को निदेश दिया कि वे 21 जून, को जे.डे. की हत्या की जांच के मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें जांचकर्ताओं ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे सुराग का पता लगा लिया है जिससे यह मामला औंधे मुंह गिर सकता है।

एक दिन जब नगर अपराध शाखा ने अपने इस निर्णय को सही बताया कि डे के हत्या के संबंध में नजरबंद किए गए गिरोह के तीन सदस्यों को थोड़े ही समय में छोड़ देने का शर्मनाक निर्णय लिया तो उच्च न्यायालय ने भी महाराष्ट्र के महाधिवक्ता रवि कदम को भी इस मामले की सुनवाई के समय 21 जून को न्यायालय में उपस्थित रहने का निदेश दिया।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ की न्यायमूर्ति रंजना देसाई और आर.वी. मोरे, जो वरिष्ठ वकील वी.पी. पाटिल और पूर्व पत्रकार केतन तिरोदकर की डे की हत्या के संबंध में दायर सीबीआई जांच की मांग करने संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, ने दो पत्रकार संगठनों – प्रेस क्लब, मुंबई और मराठी पत्रकार परिषद् द्वारा हस्तक्षेप आवेदनपत्र को स्वीकार किया था जो इसी तर्क पर दाखिल किए गए थे।

डे की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को अंतरित करने का विरोध करते हुए सरकारी अभियोजक पांडुरंग पोल ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि चूंकि इस मामले में जांच सही दिशा में की जा रही है, अतः इस मामले को इस अवस्था में सीबीआई को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेकिन न्यायाधीशों ने राज्य सरकार और मुंबई पुलिस से कहा कि वे 21 जून को स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से इस हत्या की जांच में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराएं **(दॅ पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 2011)**।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि जांच के दौरान जे. डे. हत्या मामले के बारे में मीडिया से बात करने वाले पुलिस अधिकारियों के संबंध में भी उत्तर दाखिल करे।

इस मामले के संबंध में अलग–अलग रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति रंजना देसाई और आर.वी. मोरे की खंड पीठ ने कहा कि "यह इसी मामले तक सीमित नहीं है। पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में मीडिया से क्यों बात करते हैं जिनकी जांच चल रही हो?"

हस्तक्षेप याचिकाकर्ता "प्रेस क्लब", मुंबई ने इस मामले में जांच के बारे में समाचारपत्र के लेखों का संकलन प्रस्तुत करने के बाद खंड पीठ ने महाधिवक्ता रवि कदम से पूछा कि "कौन से पुलिस अधिकारी मीडिया से संपर्क कर रहे हैं?या मीडिया किन पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रहे है? क्या यह प्रचार का एक नाटक है?

एडवोकेट वी. पी. पाटिल और पत्रकार केतन तिरोदकर और एस बालाकृष्णन ने उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका दायर की, जिसमें यह मांग की गई कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जाए।

प्रेस क्लब के वकील नवरोज सीरवई ने जे. डे हत्या मामले की जांच में मुंबई पुलिस के निष्पक्ष होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि "पुलिस ऐसी स्थिति में कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है जबकि जे. डे ने अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र पुलिस के एक वर्ग के बीच मिलीभगत के बारे में लेख लिखे हैं।

श्री सीरवई ने न्यायालय से कहा कि "मेरे पास उन लेखों का संकलन है जो बिल्कुल गैर–जिम्मेदार हैं। यह देखते हुए बड़ा झटका लगता है कि पुलिस मीडिया को जानबूझकर गलत सूचना दे रही है। वे अपने आप में ही एक–दूसरे का विरोध कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि पुलिस केवल ज्योतिर्मय डे के व्यावसायिक जीवन के बारे में ही सूचना का प्रकटन नहीं कर रही है अपितु उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी सूचना दे रही है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार (ज्योतिर्मय डे का परिवार) में केवल तीन महिलाएं हैं – उनकी बूढ़ी मां, उनकी एक बहन जो पूर्णतया सामान्य नहीं है और उनकी पत्नी। इस प्रकार के लेख उनके परिवार को दुःखी कर रहे हैं।

ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ दिन पहले एक टी.वी. चैनल के संवाद्दाता को छोटा राजन के गिरोह के एक सदस्य से कथित कॉल मिली थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि उसने उनकी हत्या का आदेश दिया था। महाधिवक्ता ने न्यायालय से कहा कि उस रिपोर्टर को बुलाया गया था और उसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने कहा कि पुलिस ने पहले ही आठ गिरफ्तारियां की हैं। "उन्हें इस बात की जांच करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है।"

उन्होंने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि इस मामले का पता लगाने में मुंबई पुलिस कितना समय लेती है। प्रश्न यह है कि क्या जांच स्वतंत्र हो रही है या नहीं। हम गुणवत्ता चाहते हैं।

श्री सीरवई ने दावा किया है कि पुलिस वास्तविक दोषियों या इस मामले के मास्टरमाइंड का पता लगाने में असमर्थ रही है और केवल 'छोटी मछली' को ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि "यदि आप उन (मुंबई पुलिस) पर यह मामला छोड़ देते हैं तो पक्का समझें कि आप इस मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे।"

राष्ट्रीय महत्त्व

उन्होंने कहा कि जे. डे पर हमला राष्ट्रीय महत्त्व का है। उन्होंने कहा कि "यह हमारी लोकतांत्रिक नीति पर ही हमला है जिसमें प्रेस का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) (बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का एक संरक्षक है।"

न्यायालय ने राज्य को यह भी निदेश दिया है कि वह पुलिस और अंडरवर्ल्ड के संबंधों के आरोपों का भी उत्तर दे। दूसरे याचिकाकर्ता श्री तिरोदकर ने कहा कि पुलिस की निष्ठा और चरित्र पर कोई संदेह नहीं है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली दिनांक 07 जुलाई, 2011)**।

बंबई उच्च न्यायालय ने ऐसी कई याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की निर्मम हत्या के संबंध में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस विशिष्ट मामले को देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को अंतरित करने संबंधी निर्णय लेने में न्यायालय को कठिनाई हो रही है।

"हमें यह बताना चाहिए कि रिपोर्टों को देखने के बाद (जो रिपोर्टें 07 जुलाई, 2011 को पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई) और विद्वान महाधिवक्ता को सुनने के बाद यह हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस मामले की जांच में कोई कमी है, उसे ठीक से नहीं किया जा रहा है या जांच सही दिशा में नहीं चल रही है।" न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने यह टिप्पणी की है कि एडवोकेट वी.पी. पाटिल, प्रतिष्ठित पत्रकार एस. बालाकृष्णन और पूर्व पत्रकार केतन तिरोदकर द्वारा जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। प्रेस क्लब, मुंबई और मराठी पत्रकार परिषद् ने हस्तक्षेप आवेदनपत्र दाखिल किए हैं।

डे, जो 'मिड डे' के संपादक (विशेष जांच) के रूप में कार्य किया करते थे, को 11 जून को उत्तर पूर्वी मुंबई के पोवई में गिरोह के लोगों द्वारा नजदीक से गोली मारी गई थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डे की हत्या का मामला इस आधार पर सीबीआई को सौंपा जाए चूंकि वे मुंबई पुलिस से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह डे के मामले में 'निष्पक्ष और सही' जांच करेगी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि पुलिस और अंडरवर्ल्ड की मिलीभगत इस मामले में प्रभावी जांच करने में बाधक बनेगी।

लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों से असहमत होते हुए, न्यायाधीश ने नोट किया कि "हालांकि हमें यह शक्ति प्राप्त है कि हम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कम से कम और विशिष्ट मामलों में ही किया जा सकता है। इस आरोप की पुष्टि में कोई महत्त्वपूर्ण अभिलेख न होने के कारण कि इस मामले की जांच करने वाली मुंबई पुलिस का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध है, हमारे लिए यह निर्णय लेना कठिन है कि यह एक ऐसा विशिष्ट मामला है जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।"

उन्होंने यह भी कहा कि "यह मामला केवल राष्ट्रीय नहीं है अपितु इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी हैं। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि मुंबई पुलिस सफलता से इसकी जांच नहीं कर सकती है।" क्योंकि उन्होंने मुंबई पुलिस की क्षमता पर विश्वास रखा है, अतः न्यायाधीश ने 26/11 के हमले की जांच का उदाहरण देते हुए, इस मामले की ओर इशारा किया, जिसमें पाकिस्तान का आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाव शामिल था।"

उन्होंने आगे कहा कि "हमारी राय में, यह आरोप कि क्योंकि डे एक खोजी पत्रकारिता कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या अंडरवर्ल्ड द्वारा की गई है और यह कि क्योंकि मुंबई पुलिस के अंडरवर्ल्ड से संपर्क हैं, इसलिए वह निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, यह एक अति सामान्य प्रकृति है ..... लेकिन ऐसा प्रथम दृष्टया कुछ भी नजर नहीं आता है जिससे यह बात स्थापित होती हो कि डे की हत्या की जांच करने वाले अधिकारियों के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध हैं। इस संबंध में आवश्यक विशेष सामग्री की कमी है।" **(दॅ पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2011)**।

संगठित अपराध पर कार्रवाई करने वाले विशेष न्यायालय ने 01 दिसंबर, 2011 को मुंबई पुलिस के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि पत्रकार, जिग्ना वोरा का नारको टेस्ट किया जाए। श्रीमती वोरा को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में तथाकथित रूप से शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसकी पुलिस अभिरक्षा 05 दिसंबर, 2011 तक बढ़ाई गई थी।

वोरा पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 120(ख)(साजिश) और 302 (हत्या) के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। जांच दल का मानना है कि वोरा ने "आका छोटा राजन के फरार अपराधी गैंगस्टर सदाशिव निकाकालजे को 'मिड डे' के पत्रकार ज्योतिर्मय डे के खिलाफ उकसाया था।"

सरकारी अभियोजक ने पहले यह कहते हुए उसकी अभिरक्षा 8 दिन बढ़ाने की मांग की थी कि वोरा का सेल फोन प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे उसने बेच दिया है और फोन रिकार्ड को नष्ट कर दिया है। वोरा की गिरफ्तारी की घोषणा करते समय प्रेस के साथ की गई भेंट में 25 नवंबर, 2011 को पुलिस ने कहा कि "सूत्रों से पता चला कि यह व्यावसायिक दुश्मनी का मामला है।" डे ने पहले छोटा राजन की प्रशंसा की और उसके बाद ऐसी कहानी लिखनी शुरू कर दी जो राजन के विरोधी छोटा शकील की प्रशंसा में थी।"

वोरा, जिसने न्यायालय का रिपोर्टर बनने से पहले फिल्म पत्रकार के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया था, पिछले दो वर्षों से पुलिस और अपराध की रिपोर्टिंग कर रही थी। दोनों में एक बार 'स्माल टाइम स्टूली' और 'फिक्सर खरीद तनाशा' पर बहस हुई थी। तनाशा की हत्या के बाद डे और वोरा दोनों ने तनाशा को 'सूत्र' के रूप में बताया था।

इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर वोरा ने फोन पर डे के खिलाफ राजन को तथाकथित रूप से भड़काया था। इस फोन के रिकार्ड के संबंध में पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है। **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 02 दिसंबर, 2011)**।

24 दिसंबर, 2011 को विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) न्यायालय ने पत्रकार जिग्ना वोरा की गिरफ्तारी के आवेदनपत्र को अस्वीकार किया था, जिसमें इस आधार पर मीडिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि वह तथाकथित रूप से मानहानि संबंधी सूचना प्रकाशित कर रही है।

जिग्ना वोरा एशियन ऐज की डिप्टी ब्यूरो चीफ, मिड डे के वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के मामले में लगाए गए आरोपों के कारण मकोका के अधीन गिरफ्तार की गई हैं।

विशेष सरकारी अभियोजक दिलीप शाह ने कहा कि "न्यायालय ने यह पाया कि प्रथम दृष्टया मानहानि के लिए कोई मामला नहीं बनता है। न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह इस मामले में कोई पार्टी नहीं है।" उन्होंने कहा कि "न्यायालय ने यह भी कहा कि मकोका न्यायालय मानहानि के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए उचित प्राधिकारी नहीं है।"

सुश्री वोरा ने न्यायालय में एक आवेदनपत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में मीडिया की रिपोर्टों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उसने कहा कि इस मामले में रिपोर्टें सूचना के सूत्र का उल्लेख किए बिना प्रकाशित की जा रही हैं और यह कथन मानहानि की प्रकृति का है।

उसने तर्क दिया कि मीडिया को चाहिए कि वह उन सूत्रों के नामों का उल्लेख करे जो इस मामले के बारे में सूचना दे रहे हैं।

निचले न्यायालय में जाना

न्यायालय ने कहा कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस बात का पता चलता हो कि उसकी मानहानि हुई है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे इस बात का पता चल सके कि न्यायालय की सुनवाई की कार्रवाई की प्रेस मुद्रण के कारण उसकी मानहानि हुई हो।

श्री शाह ने कहा कि "इसके अलावा, यह न्यायालय मानहानि के मामलों की सुनवाई करने के लिए समुचित प्राधिकरण नहीं है। इसके लिए आवेदक को निचले न्यायालय में जाना होगा।"

सुश्री वोरा ने पहले यह भी तर्क दिया था कि संपूर्ण सुनवाई बंद कमरे में की जाए। अन्य आरोपी ने इस तर्क पर आपत्ति जताई और इच्छा व्यक्त की, कि जो कुछ भी वह इस मामले में कहे, उसे रिकार्ड भी किया जाए। सुश्री वोरा ने बाद में यह तर्क वापस ले लिया।

प्रतिलिपियां प्रदान की गईं

इस बीच, न्यायालय ने 24 दिसंबर 2011 को तीन आरोपियों अर्थात श्री अरुण डाके, दीपक सिसोदिया और विनोद चैम्बुर के स्वीकारोक्ति बयानों की संक्षिप्त प्रतियां उनके वकीलों को मुहैया करा दी। इससे वे अपनी जमानत के तर्क में इसे प्रस्तुत कर सकेंगे।

न्यायालय ने पुलिस द्वारा रिकार्ड किए गए तीन गवाहों के बयानों की प्रतियां भी मुहैया करा दी।

स्वीकारोक्ति से मुकरना

एक आरोपी यह कहते हुए अपने स्वीकारोक्ति बयान से मुकर गया कि उसे पुलिस द्वारा धमकाया गया था और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बयान में क्या कहा गया है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 25 दिसंबर, 2011)**।

प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के घोटाले के 11 संसद सदस्यों के निष्कासन को सही ठहराने के पांच साल बाद उच्चतम न्यायालय ने उन दो पत्रकारों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करने की दिल्ली पुलिस की कोशिश को रद्द कर दिया, जिन्होंने यह स्टिंग आपरेशन किया था।

उपसिद्धांत के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय का वर्ष 2010 के इस निर्णय पर कि भ्रष्टाचार को प्राधिकारियों को सूचना दिए बिना पत्रकारों द्वारा उद्घाटित किया जा सकता है, अंतिम रूप से कार्रवाई की गई है।

न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोबरापोस्ट डॉट कॉम के अनिरुद्ध बहल और सहासिनी राज के संबंध में आरोप पत्र रद्द करने की बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत हुआ कि यदि पत्रकारों ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत स्वीकार करने के मामले में संसद सदस्यों का भंडाफोड़ करने के लिए अपने ऑपरेशन के बारे में पुलिस को विश्वास में लिया होता तो "संबंधित संसद सदस्यों को पहले ही पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई होती और वे इस संपूर्ण ऑपरेशन के बारे में सचेत हो गए होते।"

इससे पत्रकारों और संसद सदस्यों तथा बिचौलियों के अभियोजन के संबंध में पुलिस का प्रयास उनकी तथाकथित असफलता के कारण था, जिसमें उन्होंने 'ऑपरेशन दुर्योधन' नामक कहानी से पहले शिकायतकर्ता के रूप में दिसंबर, 2005 में यह बात फैला दी थी। प्रत्येक व्यक्ति को जिसे इस बात की जानकारी हो कि कोई अपराध होने वाला है, उसका यह दायित्व है कि वह निकटतम पुलिस अधिकारी को सूचित करे।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव यह है कि गुप्त पत्रकारों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 के अधीन सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान, जो किसी लोक सेवक को रिश्वत दे रहा हो, "ऐसे व्यक्ति पर इस आधार पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है कि उसने अपराध की जानकारी नहीं दी।" यह पहली घटना थी जब उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय लेना था कि क्या उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 2011)**।

दिल्ली उच्च न्यायालय इस तर्क की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है कि किसी भी ऐसे लेख पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं, जिसमें न्यायनिर्णय की ही आलोचना न की गई अपितु न्यायाधीश या न्यायिक प्रक्रिया पर "व्यक्तिगत आक्षेप" लगाया गया हो।

एक ऐसी याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसमें किसी वकील का "मानहानि" लेख उसकी वेबसाइट पर डाला गया था, जो वर्ष 1999 में शिवानी भटनागर हत्या के मुकदमे में दिए गए निर्णय से संबंधित था। यह निर्णय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव साहनी एंडलॉ की खंड पीठ ने दिया था जिसमें उस स्थिति में इस मामले के तर्कों को सुनने का निर्णय लिया गया था, यदि ऐसी परिपाटी के खिलाफ न्यायिक आदेश के रूप में रोक लगाई जा सकती है।

एक वकील द्वारा दायर याचिका न्यायालय के ध्यान में लाई गई थी जो अशोक अरोड़ा, पूर्व सचिव, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा लिखे गए लेख से संबंधित थी। यह लेख न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 12 अक्तूबर को दिए गए निर्णय से संबंधित था।

इस न्याय निर्णय में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आर.के. शर्मा और दो अन्यों को दोषमुक्त कर दिया गया था, जो दॅ इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के संबंध में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इसमें उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

यह न्यायनिर्णय जिसने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बदल दिया था, के संबंध में कहा गया था कि शिवानी की हत्या क्यों की गई और किसके कहने पर की गई। लेकिन इसमें कहा गया कि अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपूर्ण और अविश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता है, जिसमें इन तीनों को "संदेह का लाभ" दिया गया। केवल प्रदीप शर्मा की आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा गया जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें दोषी साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं।

अरोड़ा ने 17 अक्तूबर के अपने लेख में इस न्यायनिर्णय के गुण–दोषों पर टिप्पणियां की हैं और एडवोकेट मनीष कौशल को उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई आरंभ करने पर बल दिया। इस याचिका में वेबसाइट की विषय–वस्तु को ब्लॉक करने और आक्षेपित लेख के प्रचालन को भी रोकने के संबंध में तत्काल आदेश जारी करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, अपर महान्यायवादी ए.एस. चंदियोक केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए और दिल्ली सरकार के स्थायी काउंसेल, नाज़मी वजीरी ने पीठ से अनुरोध किया कि वे इस याचिका के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाएं और न्यायिक आदेश के द्वारा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति लेख के माध्यम से किसी न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर आरोप लगाने के लिए कोई लेख न लिख सके।

चंदियोक ने कहा कि "किसी भी लेख में यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधीश को कानून की जानकारी नहीं थी। उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। हम माननीय न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले में कार्रवाई करें।"

इस पर न्यायमूर्ति सीकरी ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और इस मुद्दे पर कानूनी तर्क की सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की।

यह भी स्वीकार करते हुए कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना आवश्यक है, न्यायालय ने पुलिस उपायुक्त, साइबर अपराध प्रकोष्ठ को आदेश दिया कि वह इस लेख को तत्काल हटा दें और इसके परिचालन पर तत्काल रोक लगा दें।

उन्होंने अरोड़ा को केंद्र तथा राज्य सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी 09 नवंबर को नोटिस जारी किया **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर, 2011)**।

न्यायालय की कार्यवाही की निष्पक्ष रिपोर्ट और न्यायिक मामलों पर निष्पक्ष टिप्पणी को अवमानना समझने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने नियम जारी किए।

पीठ के न्यायमूर्ति एच एल दत्ता और सी.के. प्रसाद ने कहा कि "अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति न्यायालय में निहित है और इसका उल्लेख प्रत्येक न्यायालय की घटनाओं में करना आवश्यक है। यह शक्ति न्यायालय का अभिन्न अंग है और इसका रिकार्ड प्रत्येक न्यायालय में निहित है। यह शक्ति हालांकि उच्च न्यायालय में निहित है। लेकिन इस शक्ति को अनुच्छेद 215 द्वारा सांविधानिक स्थिति दी गई है।

न्यायनिर्णय लिखते समय न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा है किः "यह (अवमानना की शक्ति) लोक सम्मान और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को सुनिश्चित करती है। कानून का नियम सभ्य लोकतांत्रिक समाज की सरकारों का मूल नियम है। न्यायालयों के माध्यम से ही इसकी रूपरेखा बताई जाती है और इसकी संकल्पना स्थापित की जाती है।

खंड पीठ ने कहा कि न्यायपालिका अपने दायित्वों का प्रभावी तरीके से और सच्ची भावना से निर्वहन कर सके जिससे उसे यह अपवित्र काम सौंपा गया है। सांविधिक न्यायालयों को यह शक्ति इसलिए दी गई है ताकि वे अवमानना के लिए दंड दे सकें। लेकिन इससे भी बड़ी शक्ति यह है कि इसके संबंध में उन्हें काफी जिम्मेदारी से कार्य करना होता है।

इस मामले में स्व–प्रेरणा से अवमानना की कार्रवाई शुरु करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से एच जी रंगनगौड़ा व्यथित हुए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भेजने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह कंपनी के पक्ष में खान का पट्टा दिए जाने के संबंध में था। जब राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के पक्ष में पट्टा दिए जाने की सिफारिश की थी, तब केंद्र सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा लौह अयस्क भंडारों के क्षेत्र से खनन करने को आरक्षित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी और इस सिफारिश को लौटा दिया।

लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। यहां तक कि एक रिट अपील खंड पीठ के समक्ष लंबित पड़ी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पुनः पत्र भेजा है कि अपीलकर्ता को खनन का पट्टा दिया जाए। खंड पीठ इसे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप के रूप में समझ रहा है और अपीलकर्ता तथा के जयाचंद्रा, तत्कालीन अवसर सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी।

इस आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा किः "न्यायिक प्रक्रिया के दौरान केवल अभ्यावेदन दायर करना और उस पर सिफारिश करना किसी प्रकार से पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप नहीं है या हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है। ऐसे किसी मामले के संबंध में, जो न्यायालय में लंबित हो, कोई बात कहना आपराधिक अवमानना है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है और यह किसी

एक पक्षकार के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। लेकिन हमें यह जोड़ते हुए संकोच होता है कि न्यायालय की प्रक्रिया की निष्पक्ष रिपोर्टिंग और न्यायिक मुद्दों पर निष्पक्ष टिप्पणियां अवमानना नहीं समझी जाएं।"

अपीलकर्ता और श्री जयचंद्रा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करना उचित और समुचित नहीं था और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना था। पीठ ने इस आदेश को निरस्त कर दिया **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 15 नवंबर, 2011)**।

उच्चतम न्यायालय ने 14 नवंबर, 2011 को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में ढील देने से इनकार कर दिया, जिसमें मानहानि के मामले में परीक्षण न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील को स्वीकार करने से पहले 'टाइम्स नाऊ टी वी चैनल' को 100 करोड़–20 करोड़ रुपए नकद और शेष बैंक गारंटी के रूप में जमा करने को कहा गया था।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत ने 'टाइम्स नाऊ' के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा 10 सितंबर, 2008 को एक रिपोर्ट में गलती से उनका फोटो लगाए जाने के खिलाफ दायर किया गया था। यह मामला कई करोड़ रुपए के भविष्य निधि घोटाले में लिप्त एक ऐसे व्यक्ति (जिसका नाम संयोग से उनके नाम से मिलता–जुलता था) के खिलाफ था। पुणे परीक्षण न्यायालय ने उस टी.वी. चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की डिक्री का मुकदमा दायर किया था। टाइम्स नाऊ ने इस परीक्षण न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील की थी, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने इस वर्ष सितंबर में टी.वी. चैनल से कहा कि वह टी.वी. चैनल अपील की सुनवाई की पूर्व शर्त के रूप में पहले 20 करोड़ रुपए नकद और बैंक गारंटी के रूप में 80 करोड़ रुपए जमा करे। इस टी.वी. चैनल की ओर से उपस्थित होते हुए वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि चैनल ने इस गलती के संबंध में माफी मांग ली है और लगातार पांच दिनों तक वह इस माफी का प्रसारण करता रहा और उसने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह अपील के लिए पूर्व शर्त के रूप में 100 करोड़ रुपए जमा करने की कठोर शर्त में ढील दे।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और एस.जे. मुखोपाध्याय की एक खंड पीठ ने याचिकाकर्ता टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके स्वामित्व का यह टी.वी. चैनल है। उन्होंने यह कहा कि उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश में कोई कमी नहीं है। खंड पीठ ने कहा कि "अपीलकर्ता को 20 करोड़ रुपए नकद जमा करने और शेष रकम की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।"

लेकिन पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उपर्युक्त रकम जमा करने की पूर्व शर्त के खिलाफ अपील खारिज करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुए बिना गुण–दोष के आधार पर इस अपील पर निर्णय लेगा।

जब 'टाइम्स नाऊ' चैनल के प्रमुख अर्नव गोस्वामी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि "किसी अन्य न्यायाधीश की बजाय उनके चित्र को अज्ञानतावश भूल से प्रसारित करने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत क्षति की गलती के कारण हम न्यायमूर्ति सावंत से विनम्रता से माफी मांगते हैं। यह चित्र केवल 15 सेकंड के लिए दिखाया गया था और प्रसारण के दौरान इसे देखा जाना स्वाभाविक था। हम इस गलती के लिए बहुत खेद व्यक्त करते हैं और हम न्यायमूर्ति सावंत को आश्वासन देते हैं और कहा कि रिपोर्टिंग में इसके पीछे जानबूझकर कोई दुर्भावना नहीं थी।" **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 15 नवंबर, 2011)**।

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह निदेश दिया है कि वह ई.टी.वी. चैनल के प्रसारण की अनुमति दे, जिसे खानों के आबंटन के एक घोटाले में मुख्य मंत्री रमण सिंह के रिश्तेदार के कथित रूप से शामिल होने के बारे में रिपोर्ट प्रसारित किए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा 7 दिन बाद "बंद" कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और दीपक मिश्रा की पीठ का आदेश चैनल के छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ, शैलेश पांडे द्वारा दाखिल की गई याचिका पर दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें 'अचानक रोकना' संविधान के अधीन दी गई बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

न्यायालय ने मुख्य मंत्री रमण सिंह को भी नोटिस जारी किया, जो व्यक्तिगत रूप से एक पक्षकार थे। इसके अलावा, राज्य गृह सचिव, रायपुर के कलेक्टर और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए।

उन्हें अपने मामले की प्रस्तुति 5 जनवरी तक करनी होगी।

पीठ ने 16 दिसंबर के अपने आदेश में यह टिप्पणी की है कि "प्रतिवादी 1 (छत्तीसगढ़ राज्य) को निदेश दिया जाता है कि वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में ई.टी.वी. के प्रसारण की अनुमति दे और हमें आशा और विश्वास है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पवित्रता को बनाए रखेगा।

पांडे, जिनकी ओर से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक सिंघवी उपस्थित हुए थे, ने तर्क दिया है कि "छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री, रमण सिंह द्वारा अपनी शक्ति के उपागम और मनमाने तरीके से उसे प्रयोग करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है जिसके कारण क्षेत्र के प्रमुख न्यूज चैनल ई.टी.वी., छत्तीसगढ़ को एक ऐसी कहानी दिखाने के बाद अचानक बंद कर दिया गया, जिसमें खानों के आबंटन में मुख्य मंत्री के ससुराल पक्ष के लोगों के प्रति पक्षपात दिखाया गया था। मुख्य मंत्री के कहने पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इस चैनल को जबर्दस्ती बंद कर दिया गया था।" यह कहानी 7 दिसंबर को प्रसारित की गई थी। **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2011)**।

01 फरवरी, 2012 को सत्र न्यायालय ने एन राम, पूर्व प्रधान संपादक, दॅ हिंदू और बी. कोलप्पन, विशेष संवाद्दाता को समन जारी करने का आदेश दिया। यह समन श्रीमती जयललिता को 'बदनाम' करने संबंधी समाचार प्रकाशित करने के खिलाफ मुख्य मंत्री जयललिता की ओर से सिटी नगर लोक अभियोजक (सीपीपी) द्वारा 05 मार्च को की गई शिकायत के संबंध में उन्हें सत्र न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया था।

इस शिकायत में नगर के लोक अभियोजक ने कहा है कि 07 जनवरी को नक्खीरण के कार्यालय पर हमला करने की रिपोर्टिंग करते समय समाचारपत्र ने इस लेख को बार–बार दिखाया, जो मुख्य मंत्री के संबंध में तमिलनाडु की पाक्षिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

इस आक्षेपित समाचार में "माननीय मुख्य मंत्री को अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कथित एकमात्र उद्देश्य से यह समाचार प्रकाशित किया गया था।"

शिकायतकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि कथित अपराध के लिए दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के अधीन दंडित किया जाए। श्री कोलप्पन इस समाचार के लेखक और श्री राम को इस शिकायत में दोषी बताया गया है।

इस शिकायत को फाइल पर लेते हुए, प्रधान सत्र न्यायाधीश (पीएसजे) पी. कलईयारासन ने आदेश दिया कि उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए जाएं। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने इस पाक्षिक के नक्खीरन गोपाल, प्रिंटर, प्रकाशक और संपादक, ए. कामराज, संयुक्त संपादक और उपमरमुक्थाट, रिपोर्टर को 01 मार्च को सत्र न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का भी आदेश दिया।

न्यायाधीश ने यह कहते हुए नगर के लोक अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर आदेश पारित किया कि इस लेख से मुख्य मंत्री की 'मानहानि' हुई है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2012)**।

उच्चतम न्यायालय ने 03 फरवरी, 2012 को उद्योगपति रतन टाटा को अनुमति दी कि वह उस गोपनीय रिपोर्ट की कुछ विषय–वस्तु को बताने के लिए केंद्र से संपर्क करे जो तत्कालीन कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और मीडिया कर्मियों की गुप्त बातचीत में बाधा डालने के संबंध में उसे प्रस्तुत की गई है।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने, जिसने टाटा के वकील मुकुल रोहतगी को अपनी बात रखने की अनुमति दी, केंद्र से कहा कि वह ऐसा समुचित आदेश पारित करे कि वह इसकी विषय–वस्तु का प्रकटन कर सकती है या सूचना के प्रकटन से प्रतिरक्षा चाहती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह फोन टेप करने संबंधी विवाद में कुछ प्राइवेट ऑपरेटरों की कथित भूमिका की बाद में जांच करेगा। पीठ ने न्यायालय के कर्मचारियों को यह भी निदेश दिया कि वे सरकार द्वारा 31 जनवरी को इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत गोपनीय रिपोर्ट को पुनः मुहरबंद कर दें और मामले को स्थगित रखें।

पहले केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राडिया का टेप, जो मीडिया संगठनों के हाथ में पाया गया, के साथ छेड़छाड़ की गई थी और सरकारी एजेंसियां इसके प्रकटन के संबंध में जिम्मेदार नहीं थीं।

इस पीठ के समक्ष मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने कहा कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत को टेप करने में आठ–दस एजेंसियां शामिल थीं, जिनमें सेवा प्रदाता भी शामिल थे।

न्यायमूर्ति सिंघवी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते समय, पहले कहा था कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बातचीत का शुरू का और आखिरी हिस्सा मूल टेप से मेल नहीं खाता है।

उन्होंने कहा कि इसमें उन अधिकारियों के बारे में भी रिपोर्ट दी गई है जिन्होंने जांच की थी और जिन्हें यह मालूम नहीं हो पाया कि किसने यह टेप प्रकट किया था। पीठ ने कहा कि "यह काफी संभव है कि किसी अन्य व्यक्ति ने यह काम किया है।" **(दॅ पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 03 फरवरी, 2012)**।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 08 फरवरी, 2012 को सरकार से कहा है कि वह इस तर्क पर एक समिति का गठन करे जिसमें मीडिया रिपोर्टिंग को विनियमित करने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती दो वर्ष की जख्मी बच्ची फलक जैसे बच्चों के मामले के बारे में विस्तृत प्रकटन को विनियमित करने संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हों।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक पीठ ने स्व–प्रेरणा से उन्हें लिखे गए पत्र का संज्ञान लिया जिसमें ऐसे संवेदनशील मामलों पर मीडिया की रिपोर्टों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने के बारे में लिखा गया था। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक सप्ताह के अंदर अपना उत्तर देने को भी कहा है।

फलक को सिर की गंभीर चोटों और उसके पूरे चेहरे पर आदमी के काटने के निशानों सहित 08 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस समिति में बाल न्याय बोर्ड के अध्यक्ष अधिकारी, केंद्र और दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, भारतीय प्रेस परिषद्, मीडिया और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

मीडिया को भेजे गए पत्र के कारण फलक और अस्पताल में इस बच्ची को कथित रूप से लाने वाली एक युवती के बारे में काफी रिपोर्टें प्रकाशित होने लगी।

पत्र में कहा गया कि "मीडिया की रिपोर्टिंग में दोनों प्रकार के बच्चों के जीवन की संवेदनशीलता के बारे में रिपोर्टिंग की गई है और यह इस हद तक की गई है कि वे इसे कभी भी भुला नहीं पाएंगे।" वकीलों ने भी यह तर्क दिया कि "भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं और अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की निजता में गैर–कानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ कानून की रक्षा करे या बच्चों के सम्मान पर होने वाले हमले से उनकी रक्षा सुनिश्चित करे।"

वकीलों के इस मुख्य तर्क पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि "यह समिति इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करेगी और 07 मार्च तक एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसमें मीडिया द्वारा पहले की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जाएगा जिनमें बच्चों और अन्य किशोरों के बारे में कानून के अधीन निषिद्ध बातों का भी विस्तार से प्रकटन किया गया हो **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 09 फरवरी, 2012)**।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 08 मार्च, 2012 को आदेश दिया कि केंद्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नोटिस जारी किए जाएं। यह निर्णय 02 मार्च को सिटी सिविल कोर्ट परिसर में हिंसा के दौरान वकीलों पर हमले के दृश्य प्रसारित किए जाने के मीडिया के निदेश चाहने संबंधी दो जनहित याचिकाओं के बाद जारी किए गए।

याचिकाकर्ता बंगलौर की एडवोकेट एसोसिएशन ने वकीलों पर हमले को दर्शाने वाली क्लिपिंग और वीडियो को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित करने का निदेश देने की मांग की है।

उनका कहना था कि इस घटना के "एक पक्ष" को दिखाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कार्य और फुटेज के प्रसारण में इसकी "असफलता", जिसमें वकीलों पर कथित हमले को दिखाया गया है, उनकी "व्यावसायिक नैतिकता और आचरण" के खिलाफ है।

इसी प्रकार की जनहित याचिका एडवोकेट प्रसाद हिरेमथ ने भी दायर की है जिसमें उन्होंने इसी प्रकार के निदेश जारी करने की मांग की है और दो स्थानीय चैनलों पर यह "गलत और झूठी" रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है कि इस हिंसा के दौरान तीन पुलिस वालों की मृत्यु हो गई है जिसे बाद में सिटी पुलिस आयुक्त, ज्योति प्रकाश मिरजी ने एक स्थानीय चैनल में स्पष्ट रूप से इनकार किया था।

मुख्य न्यायमूर्ति विक्रम जीत सेन और न्यायमूर्ति बी.वी. नगरतन वाली खंड पीठ ने दो जन हित याचिकाओं में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और 14 मार्च,

2012 तक मामले को स्थगित रखने का आदेश दिया है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 09 मार्च, 2012)**।

उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की सांविधिक पीठ इस माह के तीसरे सप्ताह से उन सुझावों की सुनवाई करेगी, जिनके आधार पर न्यायालय की रिपोर्टिंग के संबंध में मीडिया के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का सुझाव दिया गया हो ताकि दिन–प्रतिदिन की कार्यवाहियों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें तोड़–मरोड़ कर पेश नहीं किया जाता है या उनकी रिपोर्ट गलत तैयार नहीं की जाती है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति एच.एस. कपाडिया करते हैं, ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन से संबंधित समाचार को देखने के बाद 13 मार्च, 2012 को एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार का संकेत दिया है।

न्यायमूर्ति कपाडिया ने कहा, "हम सब इस रिपोर्ट से खिन्न हैं। कुछ बयान महान्यायवादी, जी. ई. वाहनवति से संबंधित हैं, जिसे उन्होंने कभी न्यायालय में नहीं बताया। हमने एक संविधान पीठ का गठन किया है ताकि मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने तब वरिष्ठ वकील फली नरीमन और के.के. वेणुगोपाल तथा महान्यायवादी से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने में न्यायालय को सहयोग दें।

न्यायमूर्ति कपाडिया ने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, पी.जे. थॉमस से संबंधित रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान श्री वेणुगोपाल द्वारा की गई शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि प्रवक्ता द्वारा उनके तर्कों को गलत ढंग से पेश किया गया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि न्यायालय संबंधित टेलीविजन चैनल के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने श्री वेणुगोपाल से कहा कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुरोध करने पर श्री वेणुगोपाल न्यायालय को सहयोग देने के लिए तत्काल सहमत हो गए।

हाल ही में, श्री नरीमन ने एक समाचार के संबंध में आपत्ति उठाई जो मीडिया के एक वर्ग द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह समाचार सहारा इनवेस्टमेंट और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड के बीच हुए करार के बारे में था जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले ही प्रकाशित हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर श्री नरीमन ने पहले ही आवेदनपत्र दाखिल कर दिया है ताकि इस गलत रिपोर्टिंग का रिकार्ड प्रस्तुत किया जा सके। अब संविधान पीठ से अपेक्षा की जाती है कि वह इस विशेष घटना और सामान्य मुद्दों तथा दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में सुनवाई करे **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2012)**।

रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में मीडिया को सलाह देने के लिए न्यायपालिका की भूमिका के संबंध में कई चर्चाएं की गईं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एच.एस. कपाडिया की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 20 मार्च, 2012 को न्यायालयों में मामलों की रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के मुद्दे पर विचार किया।

पूर्वाह्न में संक्षिप्त सुनवाई के बाद, दिन में बाद में उच्चतम न्यायालय की सरकारी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि यह पीठ 27 मार्च को और उसके बाद से "मीडिया में मुकदमों की रिपोर्टिंग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित" मामलों की सुनवाई शुरू करेगी।

इस नोटिस में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह "निदेश दिया है कि कोई भी पक्षकार जो इस मामले के संबंध में अपनी बात कहना चाहेंगे, वे यहां अपने सुझाव दे सकते हैं।"

एक बार दिशानिर्देश तैयार हो जाने पर वह न्याय के प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन प्राप्त प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का मीडिया के लिए एक महत्त्वपूर्ण सीमा तय करेगा।

इस पीठ में न्यायमूर्ति डी.के. जैन, एस.एस. निज्जर, जे.एस. खेहर और रंजना प्रकाश देसाई शामिल होंगे और इसमें फाली नरीमन, के.के. वेणुगोपाल, टी.आर. अंध्यारुजिना जैसे उच्चतम न्यायालय के बार के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सहयोग देने के लिए कहा गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान पीठ का गठन करने के बाद न्यायालय की सुनवाइयों की गलत रिपोर्ट करने और ऐसी गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने, जिनके कारण मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं। 20 मार्च, 2012 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि यह मुद्दा "बहुत महत्त्वपूर्ण" है और इसकी पूरी सुनवाई आवश्यक है।

एडवोकेट अनूप भंभानी, जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की ओर से उपस्थित हुए, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया, ने कहा कि ये दिशानिर्देश पूरे देश के सभी न्यायालयों की रिपोर्टिंग के संबंध में लागू होंगे ताकि यह "उचित परीक्षण के अधिकार" की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर विचार किया जा सके। इसके लिए आरोप, गोपनीय सूचना का प्रकटन के संबंध में मीडिया द्वारा परीक्षण किए बिना कार्य किया जाएगा जिनके कारण न्यायालय में लंबित पड़े मामलों में पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे गवाहों की सुरक्षा के अधिकार पर भी विचार किया जाएगा **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2012)**।

उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च, 2012 को यह संकेत दिया है कि वह न्यायालय के अधीन आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में मीडिया के लिए "क्या करें और क्या न करें" की पुष्टि का प्रकाशन कर सकता है ताकि निष्पक्ष परीक्षण के लिए अभियुक्त के अधिकार की सुरक्षा हो सके।

मुख्य न्यायमूर्ति श्री एच.एस. कपाडिया की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि "हमें अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(क) का संतुलन बनाए रखना है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन सभी आरोपी निष्पक्ष परीक्षण के हकदार हैं जबकि अनुच्छेद 19(1)(क) मीडिया की स्वतंत्रता सहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।

यह पीठ सहारा इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मीडिया की एक प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्टिंग के बारे में शिकायत की गई थी जो प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को भेजा गया था। कंपनी ने दावा किया है कि इस समाचार रिपोर्ट के कारण उसके बाजार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

न्यायमूर्ति डी.के. जैन, एस.एस. निज्जर, रंजना देसाई और जे.एस. खेकर ने तथाकथित मीडिया परीक्षण पर चिंता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति खेहर ने टिप्पणी की है कि "मीडिया एक विचार बिंदु तैयार कर देता है कि क्या सही है या क्या गलत। जब न्यायनिर्णय उस तरह से नहीं आता है तो न्यायाधीशों की छवि पर धब्बा लगता है और उन पर सभी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं।"

उन्होंने कहा कि यह पीठ विशेष रूप से मीडिया की उन घटनाओं के बारे में चिंतित है जिसमें जैसे ही किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वैसे ही वे उसे दोषी प्रदर्शित करने लग जाते हैं। परीक्षण की रिपोर्टिंग भी इसी प्रकृति की होती है और वह विशेष दंड देने के बारे में दबाव डालने लग जाता है।

सहारा के काउन्सेल फली एस. नरीमन ने यह कहते हुए हलचल मचा दी कि न्यायालय किसी विशिष्ट मामले में आदेश जारी कर सकता है, लेकिन कोई सामान्य दिशानिर्देश तय नहीं कर सकता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि यदि ऐसा कर भी दिया जाता है तो न्यायालय, कानून का समर्थन न होने के कारण इसे कैसे लागू कर सकता है।

न्यायमूर्ति कपाडिया ने कहा कि न्यायालय मीडिया की विषय वस्तु पर नियंत्रण लगाने में रुचि नहीं रखता था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बारे में 11 शिकायतें लंबित हैं।

नरीमन ने लगातार इस बात पर बल दिया कि कानून न होने के कारण न्यायालय के पास दिशानिर्देश तय करने की कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण वह गलत रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टरों को दंड दे सके। उन्होंने कहा कि "यह केवल न्यायाधीश की मर्जी पर निर्भर नहीं है।" सभी वकीलों और न्यायाधीशों ने अलग–अलग बातें कही। उन्होंने कहा कि "हम अपने आसपास कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते.....। यह कोई क्लब नहीं है।"

नरीमन ने यह वकालत की, कि न्यायाधीशों और मीडिया दोनों को आत्मसंयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी सामान्य सिद्धांत का सुझाव नहीं दे सकते जो किसी गलत रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सके क्योंकि इसके कारण मीडिया पर अनावश्यक रोक लगेगी।

महान्यायवादी जी.ई. वाहनवति ने कहा कि इस प्रकार के दिशानिर्देश केवल मार्गदर्शी हो सकते हैं, अनिवार्य नहीं। उन्होंने कहा कि "मीडिया जनता का प्रतिनिधि है" और उन्होंने उसके बाद 18वीं सदी के अंग्रेज व्यावहारिक दार्शनिक जेरेमी बेनथम की इस बात को उद्धृत किया कि "प्रचार न्याय की आत्मा है"।

वाहनवति ने कहा कि एक व्यथित व्यक्ति हमेशा क्षति पहुंचा सकता है या प्रेस पर मानहानि का आरोप लगा सकता है, लेकिन उन्होंने मीडिया को सलाह दी कि मीडिया अपने आपको नियंत्रण में रखे।

पीठ ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि क्षति पहुंचाने के बाद मीडिया द्वारा इनकार करना या स्पष्टीकरण देना उचित नहीं है और न्यायालय से अपेक्षा की, कि यदि संभव हो तो न्यायालय इस संबंध में निवारक कार्रवाई करे।

इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। भारतीय प्रेस परिषद्, संपादकों के संघ और राष्ट्रीय प्रसारक संघ मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किए **(दॅ टेलीग्राफ, कोलकाता, दिनांक 28 मार्च, 2012)**।

महान्यायवादी जी.ई. वाहनवति ने 28 मार्च, 2012 को उच्चतम न्यायालय से कहा कि केंद्र मीडिया द्वारा 'परीक्षण' नामक विधि आयोग की 200वीं रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, जिसमें न्यायालय की अवमानना के संबंध में संशोधन करने की सिफारिश की गई जिससे न्यायपालिका को न्यायपालिका के प्रशासन, निष्पक्ष परीक्षण की सुरक्षा और दोषी व्यक्ति के अधिकार में संभावित हस्तक्षेप करके रिपोर्टिंग करने के संबंध में रोक लगाने की शक्ति प्राप्त हो सके।

वरिष्ठ एडवोकेट फाली एस नरीमन द्वारा यह कहे जाने के बाद महान्यायवादी का उत्तर प्राप्त हुआ कि विधि आयोग की अगस्त 2006 की रिपोर्ट में न्यायनिर्णयाधीन मामलों पर रिपोर्ट करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन सरकार ने न तो इसे रद्द किया और न ही इस पर कार्रवाई करने की जहमत उठाई।

आयोग ने कहा था कि "न्यायालय को यह शक्ति देनी आवश्यक है कि वह प्रकाशनों को 'स्थगित' करने के संबंध में आदेश पारित कर सके। हालांकि न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि रोक लगाने से पूर्व आदेश पारित करने की शर्त केवल विकट स्थिति में दी जा सकती है, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि प्रकाशन के अस्थायी स्थगन संबंधी आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसा पूरे विश्व में कई न्यायनिर्णयों में स्वीकार किया गया है।"

आयोग ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के चरित्र से संबंधित उसकी गिरफ्तारी, पूर्व दोषसिद्ध होने और कथित रूप से स्वीकारोक्ति के बाद किसी व्यक्ति के न्यायनिर्णय से पूर्व प्रकाशन को भी न्यायालय की अवमानना समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद गवाहों का साक्षात लेना बहुत आपत्तिजनक है, भले ही ऐसा करना विद्यमान कानून में संभव हो। लेकिन अवमानना संबंधी कानूनों की जानकारी न होने से मीडिया इसका दुरुपयोग कर रहा है।

न्यायालय ने विधि आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 171 की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें अवमानना संबंधी आस्ट्रेलिया के विधि सुधार आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और जूरी ने इस यह कहते हुए पूर्वाग्रही बताया कि कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण हो सकती है जिससे जूरी के परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आस्ट्रेलिया के पैनल ने कहा कि न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वह किसी कार्यवाही के किसी भाग की रिपोर्ट के प्रकाशन को स्थगित कर सके, "बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकाशन से दोषी के निष्पक्ष परीक्षण का काफी जोखिम रहता है ताकि अभ्यारोप्य अपराध पर इसलिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कि इससे वह इस प्रकार प्रभावित हो जिसका जूरी के सदस्य के संबंध में प्रकाशन किया गया हो।"

न्यायालय ने कहा कि वह ऐसे दिशानिर्देश तय करेगा जो तब तक लागू रहें जब तक सरकार द्वारा समुचित कानून नहीं बना दिया जाता। उसने कहा कि "यदि न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम कार्रवाई करेंगे" **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2012)**।

उच्चतम न्यायालय ने इस बात की जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या किसी समाचारपत्र या पत्रिका के मुद्रक और प्रकाशक को आपराधिक मानहानि की कार्यवाही में उप–स्थिति में आवश्यक पक्षकार बनाया जा सकता है जबकि मानहानि की शिकायत के लिए संपादक को पहले ही दोषी करार दिया गया हो।

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और जे. चेलमेश्वर की पीठ ने 16 मार्च, 2012 को जारी किए गए एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि "ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है (इस याचिका में) यथा भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 506 के अधीन शिकायतों के मामले में समाचारपत्र

के 'प्रकाशक' को उक्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार बनाया जाए या नहीं, जो उस संपादक से भिन्न होगा जिसे एक दोषी के रूप में दर्शाया गया है।"

विशेष अनुमति याचिका

इस पीठ ने पंजाब केसरी के रिपोर्टर द्वारा दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जिसमें दैनिक भास्कर समाचारपत्र के प्रकाशक को इस आधार पर शामिल न करने को चुनौती दी गई है कि वह आवश्यक पक्षकार नहीं है, चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि), 500 (आपराधिक मानहानि के लिए दंड) और 506 (आपराधिक अनुकरण) के अधीन दाखिल की गई मानहानिक की शिकायत में दोषी करार दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील की सुनवाई करने के बाद पीठ ने हरियाणा सरकार और प्रकाश को नोटिस दिया है, जिसका उत्तर चार सप्ताह में मांगा गया है।

इस मामले में अपीलकर्ता पंजाब केसरी के रिपोर्टर दल सिंह रोहेरियान अपनी फोटो के साथ दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार से व्यथित थे।

इस बात का आरोप लगाते हुए कि यह समाचार उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और जनता की नजर में उनकी छवि धूमिल करने की दुर्भावना से प्रकाशित किया गया था, उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल के समक्ष एक मानहानि की शिकायत दाखिल की, जिन्होंने तीन प्रतिवादियों को समन जारी किए जिनमें मुद्रक और प्रकाशक, रमेश चंद अग्रवाल भी शामिल हैं।

इस आदेश के संबंध में हस्तक्षेप करने से सत्र न्यायालय द्वारा इनकार किए जाने के बाद प्रकाशक ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन संबंधी आदेश को उस हद तक निरस्त कर दिया, जहां तक उसका संबंध था। वर्तमान अपील इस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है।

दुर्भावनापूर्ण आशय

अपीलकर्ता ने कहा कि श्री अग्रवाल उस समाचारपत्र के मुद्रक और प्रकाशक हैं। इसलिए उन्हें आपराधिक मानहानि की कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार बनाया जाएगा क्योंकि यह समाचार दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रकाशित किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2012)**।

मीडिया सिंहावलोकन

श्री विभूति शर्मा, आवासी संपादक, नई दुनिया, जबलपुर को माधवराव सप्रे समाचारपत्र

संग्रहालय एवं शोध संस्थान द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 22 अप्रैल, 2011 को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रदान किया गया **(नई दुनिया, नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 2011)**।

चेन्नै के अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र 'दॅ हिंदू' ने सिद्धार्थ वर्द्धराजन, राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ, नई दिल्ली को अपना संपादक नियुक्त करने का निर्णय लिया। वे मुख्य संपादक, एन. राम के साथ कार्य करेंगे। इस दैनिक समाचारपत्र ने "केवल संपादकीय पक्ष का ही नहीं" लेकिन "कारोबार पक्ष का भी" स्वामित्व पृथक करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 23 अप्रैल, 2011)**।

इंटरनेट, फ्रीडम हाउस, यू एस के संगठन में दी गई अपनी अद्यतन रिपोर्ट में लोकतंत्र में परिवर्तन, मानव अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता की मॉनीटरिंग करने में उसे ऐसे 37 देशों में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ, जिनका वेब.एस्टोनिया की स्वतंत्र पहुंच और अप्रतिबंध के आधार पर मूल्यांकन किया गया था, इस सूची में वेब.एस्टोनिया सबसे ऊपर था।

रिपोर्ट के अनुसार, केवल यही इंटरनेट भारत में "आंशिक रूप से स्वतंत्र" है। हालांकि इस पर कोई राजनीतिक प्रतिबंध नहीं है और इसके ऑनलाइन प्रयोक्ताओं और ब्लॉगरों को पिछले दो वर्ष में गिरफ्तार किया गया था। एशियाई देशों में भारत का स्थान दूसरा है। इस देश को 100 में से 36 अंक प्राप्त हुए हैं। दक्षिण कोरिया (32) ने इस महाद्वीप में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में भारत ने 34 अंक प्राप्त किए थे।

रिपोर्टर ने लिखा है कि "भारतीय ब्लॉगोस्फेयर बहुत सक्रिय और वाक्पटु है और विभिन्न रुचि वाले समूहों तथा सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है। ब्लॉगरों से सरकार या व्यक्तियों द्वारा प्रायः जोर–जबर्दस्ती नहीं की जाती कि वे अपने लिए लिखें। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जोर–जबर्दस्ती हुई है।"

जहां तक नई प्रवृत्ति का संबंध है, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की और यू.के. जैसे लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट की स्वतंत्रता बढ़ रही है जिसे कानूनी प्रताड़ना, अपारदर्शिता के स्वामित्व वाली प्रक्रिया या उन पर और नजर रखे जाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "पूरे विश्व में इंटरनेट पर नए प्रतिबंध फेसबुक जैसे उन्नत अनुप्रयोगों की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है जिससे प्रयोक्ता अपनी विषय–वस्तु भी उसमें डाल सकते हैं।" **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 2011)**।

दैनिक जागरण को डब्ल्यूएएन आईएफआरए–2010 पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो ब्रेकिंग न्यूज की श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय समाचारपत्र जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार उसे "अभूतपूर्व मुफ्तखोरी", 74 करोड़ के टिकट मुफ्त बांटे थे, के लिए दिया गया। दैनिक

जागरण ही एक ऐसा हिंदी समाचारपत्र है जिसने ब्रेकिंग न्यूज के लिए डब्ल्यूएएन आईएफआरए–2010 पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उसे इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए मिला था जिसमें ब्यूरो चीफ, श्री अंशुमन तिवारी ने इस बात को उजागर किया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में टिकटों का घोटाला करते हुए निःशुल्क टिकट बांटे गए थे **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2011)**।

दॅ एक्सप्रेस समूह ने भारत में फाइनेंशियल टाइम्स के साथ विषय–वस्तु की भागीदारी का समझौता किया है। इस करार की घोषणा मुख्य समूह संपादक, दॅ एक्सप्रेस समूह ने दॅ फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दॅ इंडियन एक्सप्रेस के ब्रांडिड पृष्ठों में दी गई एफटी की विषय–वस्तु को देखते ही की थी। स्तम्भ लेखकों जैसे मेघनाद देसाई, राजेश चक्रवर्ती, सुरजीत एस. भल्ला, एम. गोविंद राव, अरविंद भट्टाचार्य, महेश व्यास, इला पटनायक, सुनील जैन और एम.के. वेणु के सशक्त गठबंधन के कारण फाइनेंशियल टाइम्स की नई विषय–वस्तु दॅ फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दॅ इंडियन एक्सप्रेस के पाठकों को मुहैया कराई जाएगी जिसमें विश्व परिप्रेक्ष्य में उसका गहन विश्लेषण होगा। दॅ फाइनेंशियल टाइम्स के दैनिक समाचारों और फीचरों के अलावा, पाठकों को विश्व के एफटी ब्यूरो और मार्टिन वोल्फ, लूसी केल्लावे तथा साइमन शामा जैसे प्रतिष्ठित लेखकों के स्तंभ भी पढ़ने का लाभ मिलेगा **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 04 मई, 2011)**।

कांग्रेस ने 'नेशनल हेराल्ड' को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। इस समाचारपत्र को भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 70 से भी अधिक वर्ष पूर्व शुरू किया था। इसका कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है जिसका पता देश के राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित हेरालड भवन की मरम्मत से चलता है, जहां से इस समाचारपत्र ने अपना अंतिम संस्करण 01 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित किया था। इस भवन की मरम्मत की जा रही है ताकि इसे सिल्वर ग्रे टाइल और ग्लास विंडोपेन के साथ नया लुक दिया जा सके। यह कार्य इस भवन के आगे वाले हिस्से में किया जाएगा। कांग्रेस इस कार्यालय को 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर खोलने की योजना बना रही है। श्री मोती लाल वोहरा, कांग्रेस के खजांची ने कहा कि "हम इस समाचारपत्र को अगले कुछ महीनों में पुनः शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी इस समाचारपत्र के 'कौमी आवाज' के उर्दू संस्करण को भी पुनः शुरू करने की योजना बना रही है। यह भी इसी बिल्डिंग में स्थित होगा। नेशनल हेराल्ड और कॉमी आवाज – ये दोनों समाचारपत्र नेहरू ने 1938 में लखनऊ में शुरू किए थे।" श्री वोहरा ने कहा कि "हम एक साथ ही अंग्रेजी और उर्दू दोनों संस्करण प्रकाशित करेंगे" **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 06 मई, 2011)**।

श्री नरेश मोहन ट्रिब्यून ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। श्री मोहन एक उत्कृष्ट प्रिंट मीडिया उद्योग व्यवसायी हैं जिन्हें इस कारोबार के प्रबंधन का 51 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उनका चयन 06 मई, 2011 को नई दिल्ली में

अध्यक्ष श्री आर.एस. तलवार की अध्यक्षता में आयोजित ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से किया गया था **(दॅ ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 10 मई, 2011)**।

सुदूर दक्षिण के राजनीतिक दलों की भांति जिनके अपने स्वामित्व के मीडिया माध्यम हैं, उन्हीं की भांति के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी कुछ समय पहले एक टेलीविजन चैनल शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना संबंधी विचारों का प्रचार करना है। और अब यह अपनी व्यापकता बढ़ाते हुए अगले सप्ताह से एक दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करने जा रहा है। इस समाचारपत्र का नाम 'नमस्ते तेलंगाना' होगा, इसके कई दैनिक संस्करण होंगे। टीआरएस के नेताओं का कहना है कि यह तेलंगाना के विरोधियों द्वारा मीडिया का विरोध करने के लिए शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नामक एक उद्यम की स्थापना पार्टी के न्यूज समाचार चैनल द्वारा की गई है, जिसका नाम 'टी न्यूज' होगा और जो तेलंगाना क्षेत्र में लोकप्रिय बनने के लिए अन्य मीडिया नेटवर्क के साथ पहले ही प्रतियोगिता कर रहा है **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2011)**।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरेशी ने 03 जून, 2011 को 'दॅ न्यू इंडियन एक्सप्रेस' समूह, चेन्नै के तमिल दैनिक 'दिनमानी' का विमोचन किया है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 05 जून, 2011)**।

प्रजावाणी के लिए एक स्टाफ रिपोर्टर और तीन सहयोगियों को चरखा पुरस्कार–2010 के लिए चुना गया है। मैसूर के समाचारपत्र 'आंदोलन' के राजशेखर कोटि को स्मारक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका चयन कन्नड में विकास के लिए संप्रेषण और विकास पत्रकारिता में उत्कृष्ट पाठन के लिए किया गया है। डॉ. टी.आर. चंद्रशेखर की यह रिपोर्ट "व्यवसाय व्याते अभिवृद्धिया काते" और डॉ. लीला संपागे के "एचआईवी/एड्स" के संबंध में लिखे गए लेख ने यह पुरस्कार जीता है। शारदा गोपाल की "स्ट्रीट सबालिकामदत्त मट्टोंडु हेजे" ने महिलाओं की श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है और प्रजावाणी स्टाफ रिपोर्टर मंजुश्री एम कडाकोला की रिपोर्ट ने स्वच्छता के संबंध में अपनी पहचान बनाने के लिए यह पुरस्कार जीता है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 25 जून, 2011)**।

श्री विकास कुमार झा, बिहार के पत्रकार और लेखक ने सुश्री नलिनी सूरी, भारत के उच्चायुक्त से हाऊस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन में 16वां अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कहानी पुरस्कार प्राप्त किया है। हिंदी लेखक सुश्री नीना पॉल को भी बारहवां परमानंद साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया **(नई दुनिया, नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2011)**।

संस्कृत प्रतिष्ठान ने प्रभा दत्त अध्येतावृत्ति की घोषणा की, कि यह अध्येतावृत्ति दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के वरिष्ठ संवाद्दाता सुखद तडके को प्रदान की गई। उन्हें यह अध्येतावृत्ति वर्ष 2010 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रदान की गई। अध्येतावृत्ति के भाग के रूप में तडके को "विदर्भ में ऋण के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों द्वारा अपने पीछे छोड़े

गए बच्चों की स्थिति" का अध्ययन करने के लिए चुना गया है। यह अध्येतावृत्ति 10 माह की अवधि के लिए है और इसमें 1,00,000 रुपए की रकम प्रदान की जाती है। एक सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि "यह अध्येतावृत्ति केवल प्रिंट पत्रकारों के लिए है ताकि वे 25 से 40 आयु वर्ग की महिला पत्रकारों के समर्पण को बढ़ावा दे सकें कि वे सार्थक परियोजनाओं में काम करें जिनमें अंग्रेजी, हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में अनुसंधान करना या पुस्तक लिखना भी शामिल है।

प्रभा दत्त अध्येतावृत्ति का गठन और उसका संचालन संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के तत्वावधान में किया जाता है। स्टेटमैंट में कहा गया है कि "संस्कृति प्रभा दत्त अध्येतावृत्ति स्वर्गीय प्रभा दत्त के सम्मान और शाश्वत स्मृति में स्थापित की गई है जिन्होंने दॅ हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे में निर्भीक पत्रकार का आभावान और प्रगतिशील कॅरियर शुरू किया था **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2011)**।

प्रेम भाटिया पुरस्कार 15 साल पहले शुरू किए जाने की तारीख से पहली बार उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण तथा पर्यावरण संबंधी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए दो पत्रकारों को दिया गया है। राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया के जोसि जोसफ को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन, राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श आवासीय सोसाइटी घोटाले जैसे प्रमुख घोटालों की लगातार उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। 'मिड डे' के ज्योतिर्मय डे को मरणोपरांत यह पुरस्कार बंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस तथा नौकरशाही के भ्रष्टाचार को उजागर करने में अपने संपूर्ण कॅरियर के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है, जिसके लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। डे की हाल ही में मुंबई के एक माफिया द्वारा हत्या की गई थी। पर्यावरण संबंधी पुरस्कार के दो विजेता मातृभूमि के मुख्य समाचार फोटोग्राफर मधुराज हैं। उन्हें उनके विविध फोटोग्राफों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जिसमें उन्होंने केरल में इंडोसल्फान नाशी जीव के सेवन के परिणामतः उसके भयंकर परिणामों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। दूसरी पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी. निर्मला हैं जिन्होंने समकालिक मलयालम वारिके के एक प्रकाशन में इस विषय पर सशक्त रूप से लिखा था। ये दोनों पुरस्कार 11 अगस्त को वार्षिक प्रेम भाटिया स्मारक व्याख्यान में दिए जाएंगे **(दॅ ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 27 जुलाई, 2011)**।

अनुभवी पत्रकार और पूर्व सांसद इंद्रजीत की लंबी बीमारी का कारण 31 जुलाई 2011 को निधन हो गया है। वे इंडिया न्यूज और फीचर एलायंस (आईएनएफए) के प्रबंध निदेशक थे। इंद्रजीत ने त्रिपक्षीय दार्जीलिंग गोरखा हिल काउंसिल में 1989 को सक्रिय भूमिका निभाई थी और बाद में वर्ष 1989 में उन्हें लोक सभा के लिए चुना गया था और उन्हें वर्ष 1991 से 1996 की अवधि में दार्जीलिंग से लोक सभा के लिए चुना गया था। उन्होंने दॅ लंदन टाइम्स, दॅ डेली टेलीग्राफ से अपना पत्रकारिता का कॅरियर शुरू किया था और वे वर्ष 1954 से 1962

के बीच दॅ टाइम्स इंडिया के राजनीतिक और संसदीय संवाद्दाता रहे हैं। उन्होंने आईएनएफए में 1962 में इसके संपादक के रूप में कार्यभार संभाला था **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 01 अगस्त, 2011)**।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने मलयालम मनोरमा के प्रतिष्ठित मुख्य संपादक स्व. के.एम. मैथ्यू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें "भारतीय महापुरुष" कहा है। उन्हें 02 अगस्त, 2011 को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से डाक विभाग द्वारा जारी किए गए मैथ्यू के स्मारक टिकट वाली ऐल्बम भी प्रदान की गई। इस ऐल्बम में माननीय मैथ्यू द्वारा पहले दिन तैयार की गई रिपोर्ट भी थी जो 01 अगस्त, 2011 को मैथ्यू की पहली बरसी पर जारी की गई थी। सिब्बल ने कहा कि मैथ्यू एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अपने समाचारपत्र के माध्यम से महान मूल्यों को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय अखंडता तथा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कठोर परिश्रम किया था **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 03 अगस्त, 2011)**।

हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड (एचएमवीएल) को फोर्ब्स द्वारा एशिया पेसिफिक क्षेत्र में सर्वोत्तम 'अंडर ए बिलियन कंपनी' के रूप में समझा गया है। यह भारतीय कंपनी है, जिसे फोर्ब्स एशिया की 200 की सूची में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। एचएमवीएल हिंदुस्तान का प्रकाशक है जो हिंदी भाषा का भारत का प्रमुख समाचारपत्र है और यह इस सूची में भारतीय मीडिया की एकमात्र कंपनी है। इस सूची में नाम आने के लिए कंपनी का वार्षिक राजस्व 5 मिलियन अमेरिकी डालर (23 करोड़ रुपए) और 1 बिलियन डालर (4,500 करोड़ रुपए) के बीच होना चाहिए और उसे एक वर्ष में यह प्रचार व्यापार करना चाहिए। अमित चोपड़ा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एचएमवीएल ने कहा कि इस सूची में शामिल किए जाने से पाठकों और ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रमाणित हुई है। उन्होंने कहा कि "यह सम्मान पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और हिंदी क्षेत्र में प्राथमिकता वाला दैनिक समाचारपत्र बने रहने के उच्च मानदंडों को बनाए रखने के हमारे उद्देश्य को बल प्रदान करता है।" **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 05 सितंबर, 2011)**।

'दॅ हिंदू' के छत्तीसगढ़ के संवाद्दाता अमन सेठी को रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार मानवीय मुद्दों पर प्रिंट मीडिया में भारत के संबंध में सर्वोत्तम लेख लिखने के लिए प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के तीन गांवों पर उनका लेख, जो मार्च 2011 में पुलिस कमांडो की ज्यादतियों के संबंध में था, देश में लगभग 80 प्रविष्टियों में सर्वोत्तम पाए जाने के कारण चुना गया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 19 अक्तूबर, 2011 को प्रदान किए गए आईसीआरसी पुरस्कार प्राप्त करने में तहलका के उमर बाबा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जबकि तीसरा पुरस्कार राष्ट्र दीपिका के रेजी जोसफ को प्राप्त हुआ है और सांत्वना पुरस्कार दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया के अनूप शर्मा को प्राप्त हुआ है **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर, 2011)**।

'दॅ इंडियन एक्सप्रेस' अब आईपैड में भी उपलब्ध है। कुछ ही दिनों में यह 21 नवंबर, 2011 को एप्पल आईस्टोर पर निःशुल्क जुड़ने वाले 10 प्रतिष्ठानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। पाठकों के अनुकूल एप्पल नियमित समाचारपत्र की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है – इसका एक दैनिक ई–समाचारपत्र भी है जो मुद्रित संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसकी भारत के समाचार और समाचार विश्लेषणों के कारण पूरे विश्व में आवश्यकता बढ़ रही है, इसमें अंतर्दृष्टि है और यह उत्कृष्ट और विश्वसनीय है। दॅ इंडियन एक्सप्रेस के बारे में यही सब कुछ कहा जा सकता है। एप्पल पर ई–समाचारपत्र, जो अपनी किस्म का पहला पेपर है, वह पूरे विश्व के पाठकों को अपने आई पैड पर समाचार पढ़ने का अवसर देता है और वे इसे उसी तरह पढ़ सकते हैं जैसे मुद्रित प्रति को पढ़ते हैं। ई–समाचारपत्र, समाचारपत्र के विभिन्न संस्करणों के पृष्ठ और खंड होते हैं। इसमें समर्पित फोटो खंड भी हैं जिन्हें दिन के चित्र के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 22 नवंबर, 2011)**।

कोलकाता के 'दॅ स्टेट्समैन' की रिपोर्टर सोमा बसु को 06 दिसंबर, 2011 को प्रिंट मीडिया की श्रेणी में सीएमएस–पीएएनओएस युवा पर्यावरण पत्रकार पुरस्कार–2011 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सीएमएस वातावरण, पर्यावरण और वन्यजीव फिल्म समारोह के छठे अंतरराष्ट्रीय संस्करण के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया गया। सीएमएस पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को पर्यावरण संबंधी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर आदर्श जांच और प्रेरणादायक रिपोर्टिंग की हो। 'मनोरमा न्यूज', मुंबई के मनु सी. कुमार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 07 दिसंबर, 2011)**।

'डेक्कन हेराल्ड' ने देश की राजधानी में 10 दिसंबर, 2011 को अपना संस्करण शुरू किया है। यह समाचारपत्रों में ऐसा सातवां समाचारपत्र है और कर्नाटक से बाहर का पहला समाचारपत्र है **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 11 दिसंबर, 2011)**।

फोटो पत्रकारिता के लिए टी एस सत्यन स्मारक पुरस्कार का पहला संस्करण 18 दिसंबर, 2011 को इस क्षेत्र के 6 विशिष्ट फोटोग्राफरों को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का नाम सत्यन के नाम से है जिन्हें देश का सबसे पहला और फोटो पत्रकारिता में पहला फोटोग्राफर समझा जाता है। आजीवन उपलब्धि पुरस्कारः यगनेश्वर आचार्य 'योजना' (मंगलौर) को, सर्वोत्तम समाचार फोटोग्राफी : के गोपीनाथन (बंगलौर), सर्वोत्तम व्यावसायिक फोटोग्राफीः नेत्र राजू (मैसूर), सर्वोत्तम पत्रिका फोटोग्राफीः भानु प्रकाश चंद्रा (बंगलौर), सर्वोत्तम स्वतंत्र फोटोग्राफीः रेग्रेट अय्यर (बंगलौर), सर्वोत्तम ऑलाइन फोटोग्राफीः एम एस गोपाल को प्रदान किए गए **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 19 दिसंबर, 2011)**।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार श्री श्रवण गर्ग, समूह संपादक, दैनिक भास्कर समाचारपत्र समूह, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् और सदस्य, राष्ट्रीय एकता परिषद् को प्रदान

किया गया। उन्हें यह पुरस्कार केसरी, मराठी दैनिक के 131वें स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रकारिता में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया **(दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी, 2012)**।

ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने श्री रास बिहारी, मेट्रो संपादक, नई दुनिया को पत्रकारिता में उनके रचनात्मक कार्य के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। 12 जनवरी को विश्व यूनानी दिवस के नौवें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर यह पुरस्कार प्रतिष्ठित पत्रकारों की उपस्थिति में श्री रास बिहारी को प्रदान किया गया **(नई दुनिया, नई दिल्ली, दिनांक 09 जनवरी, 2012)**।

होमइ व्यारावाला, भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार का 15 जनवरी, 2012 को निधन हो गया।

व्यारावाला ने 1938 और 1970 की अवधि में कुछ यादगार फोटो खींचे थे। इन चित्रों में स्वतंत्रता के बाद पहली बार तिरंगा झण्डा फहराने, महात्मा गांधी की मृत्यु, तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कबूतर उड़ाए जाने और अन्य चित्र शामिल हैं जो आज राष्ट्रीय अभिलेख के भाग बन गए हैं।

उन्होंने कई वर्ष तक ब्रिटिश इनफार्मेशन सर्विस में भी कार्य किया था।

उन्हें पिछले वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और उन्हें वर्ष 2010 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी प्रदान किया गया था **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2012)**।

पीटीआई, नई दिल्ली के अनुसार, विनोद मेहता ने 17 वर्ष तक आउटलुट के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने के बाद 01 फरवरी, 2012 को अपने पद को छोड़ दिया है। वे इस पत्रिका के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। कृष्ण प्रसाद, जो इस समय संपादक हैं, वे मुख्य संपादक का कार्यभार संभालेंगे। देश के वरिष्ठतम संपादकों में से एक मेहता ने कई प्रकाशनों का संपादन किया, जिनमें पॉयनियर, दॅ संडे आब्जर्वर, दॅ इंडिपेंडेंट और दॅ इंडियन पोस्ट भी शामिल हैं **(डेक्कन हेराल्ड, बंगलौर, दिनांक 02 फरवरी, 2012)**।

बड़े मीडिया समूह दैनिक भास्कर ने 18 फरवरी, 2012 को रायगढ़ से अपनी प्रिंटिंग यूनिट शूरू की है। इस समारोह का उद्घाटन राज्य के मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया **(दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2012)**।

संस्कृति सचिव श्री जवाहर सिरकर, राष्ट्रीय प्रसारक, प्रसार भारती के अगले मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल

ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2012)**।

देवी चेरियन, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता को अमर शहीद लाल जगत नारायण स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक और राजनीतिक मामलों के विश्लेषण की विशेषज्ञता और पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार श्री प्रेम सिंह धूमल, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्रिमंडल मंत्री श्री देशराज महाजन की पुत्री देवी चेरियन दीपालय की संरक्षक भी हैं जो दिल्ली में शारीरिक रूप से विकलांग और बेसहारा बच्चों की संस्था है **(नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2012)**।

भारत का सबसे नया और अति जीवंत समाचारपत्र मेल टुडे जिसे दिल्ली में साढ़े चार साल पहले शुरू किया गया था और जिसने चंडीगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है, अब लंदन में शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में नए भारतीयों को समाचार देने के लिए मेल टुडे लंदन के डेली मेल और प्रतिष्ठित भारतीय टुडे समूह का संयुक्त उद्यम है और यह अब अपना विस्तार कर रहा है। लंदन में रहने वाली बहुत बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी को लक्ष्य करते हुए, मेल टुडे आधुनिक अवतार में भारतीय समाचारपत्रों के सर्वोत्तम पैकेज लाकर डायसपोरा से जुड़ना चाहता है **(मेल टुडे, नई दिल्ली, दिनांक 05 मार्च, 2012)**।

तहलका समाचार पत्रिका की तुशा मित्तल को नई दिल्ली में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 13 मार्च, 2012 को प्रतिष्ठित चमेली देवी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का निर्णायक मंडल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियों के संवर्गों के बीच क्रॉस फायर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या ग्रामों में लोगों के जीवन की कहानी लिखने के संबंध में उनकी रिपोर्टों से प्रभावित हुआ **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2012)**।

राजस्थान के इतिहासकार लेखक और प्रमुख पत्रकार राजेंद्र शंकर भट्ट का 19 मार्च, 2012 को निधन हो गया। सार्वजनिक संबंधों के क्षेत्र में भी अग्रणी श्री भट्ट 80 के दशक में राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में स्वर्गीय श्री हरदेव जोशी के दो कार्यकालों के दौरान उनके प्रेस सलाहकार रहे हैं **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2012)**।

डेली मेल को 20 मार्च, 2012 की रात्रि को ब्रिटेन के प्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसे वर्ष के समाचारपत्र के रूप में सम्मानित किया गया और उसकी वेबसाइट, मेलऑनलाइन दॅ गार्जियन को इस वर्ष की वेबसाइट के रूप में पुरस्कृत किया गया जिसने फोन हैकिंग के संबंध में पिछले वर्ष कहानियों की श्रृंखला के रूप में समाचार प्रकाशित किया था। उन्हें इस कहानी के लिए इस वर्ष के पुरस्कार "मिल्ली डाउलर फोन हैक्ड" के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कहानी से अंततः विश्व के समाचार में निकटता आई है और उन्होंने ब्रिटेन में

मीडिया परिपाटियों पर ध्यान केंद्रित किया है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2012)**।

भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रसिद्ध ब्रिटिश फुटबाल खिलाड़ी और एक रिएलिटी टी.वी. स्टार के बीच संबंधों के बारे में हुई उत्तेजक बहस एक ओर टेस्ट का विषय बन गया कि निजता और बोलने की स्वतंत्रता का उस देश में किस हद तक ऑनलाइन प्रदर्शन किया जा सकता है जहां सामाजिक मीडिया विभिन्न कानूनों के अनुसार, देश में कार्य करता है। फुटबाल खिलाड़ी को तथाकथित आदेश दिया गया था कि वह कठोर और विवादास्पद ब्रिटिश कानूनी उपायों को मीडिया में आने से रोके जिसमें उसे न्यायालय के आदेशों की विद्यमानता का ही पता लगाने के लिए एक कहानी की रिपोर्टिंग करनी पड़ी या उसका प्रकटन करना पड़ा। लेकिन 10,000 इंटरनेट प्रयोक्ताओं ने यह बताते हुए इस आदेश का उपहास किया कि ट्विटर, फेसबुक और ऑनलाइन फुटबाल फोरम में उनके नाम का उल्लेख हुआ है। यह प्रेस की छवि को धूमिल करती है और अंततः पुलिस के लिए असंभव बात साबित करती है।

पिछले सप्ताह ब्रिटेन के प्रति लोगों का गुस्सा भड़काने वाले इस उच्च आदेश के उपयोग के संबंध में धावक ने ब्रिटिश हाई कोर्ट से कोर्ट का आदेश प्राप्त किया जिसमें इस बात की मांग की गई कि ट्विटर में ऐसे बेनामी प्रयोक्ताओं का पता चला है जिन्होंने यह संदेश उसमें डाला था। एक ट्विटर प्रवक्ता मैट ग्रेव्स ने कहा कि यह कंपनी न्यायालय के आदेशों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है और न ही ऐसी कोई टिप्पणी करने की योजना बना रही है।

सांता क्लारा यूनिवर्सिटी में हाई टेक लॉ इंस्टिट्यूट के निदेशक एरिक गोल्डमैन ने कहा कि "वास्तव में यह बात ट्विटर्स सर्विस के कोर को जाती है और वह कोर अपने प्रयोक्ताओं की बात को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है और अलग–अलग देशों में बोलने के बारे में अलग–अलग कानून और मापदंड हैं।"

विश्लेषकों ने कहा कि चूंकि यह चर्चा एक धावक के प्रेम संबंधी जीवन पर केंद्रित है, जिसके संबंध में स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन बात करने के लिए दबाव डाला जा रहा है उससे अधिक उसके व्यापक और अति आवश्यक प्रभाव हैं।

थॉमस आर बुर्के ने कहा कि "यदि आप पीछे की ओर देखें तो उसी प्रकार का बचाव उस समय भी किया गया जब कुछ व्यक्ति अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति और सामाजिक आंदोलनों में शामिल थे।" श्री बुर्के डेविस राइट ट्रेमाइन में मीडिया लॉ प्रैक्टिस के चेयरमैन हैं।

जनवरी में कंपनी के एक ब्लॉग पोस्ट, 'बिज स्टोन' जो ट्विटर का स्थापक है और एलेक्स मैकजिलिवरी जो इसके जनरल काउंसेल हैं, ने लिखा है कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारी स्थिति उस कर्त्तव्य के साथ जुड़ी हुई है जो हमारे प्रयोगकर्ताओं के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और वे उनकी उस बात की भी रक्षा करना चाहते हैं जिससे उनके बारे में व्यक्तिगत सूचनाओं का पता चलता है।" ट्विटर ने इस स्पैम को हटा दिया और इसमें गैर–कूननी बातें डाल दीं। उन्होंने इसके बारे में लिखा, लेकिन उनकी अपेक्षाओं को सीमित करने का प्रयास किया गया। यह उसी स्थिति में सूचना देता है जब कानून द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो। लेकिन तब तक प्रयोक्ताओं का प्रकटन नहीं करता है जब तक इसे ऐसा करने से कानूनी तौर पर रोका न गया हो।

कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि क्योंकि यह ट्विटर अमेरिका में स्थित है, अतः इस संबंध में किसी भी तर्क का उसके द्वारा अनुपालन किया जाना है और किसी भी वादी को इस पर अमेरिका में ही मुकदमा चलाना होगा। लेकिन ट्विटर ने अब लंदन में भी अपना कार्यालय खोल दिया है और उस स्थिति में कानून और भी जटिल हो जाएंगे, यदि इन कंपनियों के कर्मचारी और कार्यालय विदेशों में भी स्थित हों।

इसके बावजूद ट्विटर ने पिछले दिनों इस प्रकार की सूचना को बदलने के प्रति विरोध किया। मिस्टर मैकजिलिवरी से जब मार्च में एक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "हमने उन्हें बता दिया है कि हम एक अमेरिकी कंपनी हैं। हमारा एक कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, 230 है और आपका स्वागत है कि आप अमेरिका आएं और यहां हम पर मुकदमा चलाएं।" उन्होंने कम्युनिकेशनी डिसेंसी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि वेब कंपनियां इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि उनके प्रयोक्ता पोस्ट में क्या बात कहते हैं।

इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता है कि फुटबाल खिलाड़ी के बारे में ट्विटर पोस्ट को अमेरिका में कानूनी समझा जाता है। इंटरनेट कानून के विशेषज्ञों ने कहा कि कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट होने के कारण और बेनामी कथनों के बचाव के संबंध में उसमें पहला संशोधन किया गया है। इसके अलावा, एक आदेश भी जारी किया गया है कि इस प्रकार की सूचनाओं को प्रकट करने से रोका जाए और उनकी अमेरिका में कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इससे बाहरी देशों को बहुत दुख पहुंचा है।

श्री बुर्के ने कहा कि "आप इस समय उस इंटरनेट के बारे में सोचें जिसमें कानून के संबंध में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि इंटरनेट पर कौन से कानून लागू होंगे। लेकिन इसमें अन्य बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2011)** ।

न्यूयार्क टाइम्स ने 01 जून, 2011 को अपना 160 वर्ष की परंपरा तोड़ी है जब इसने पहली बार एक महिला कार्यपालक संपादक, जिल्ल अब्राम्सन की नियुक्ति की है।

सुश्री अब्राम्सन हाल में लिबरल अमेरिका की वेनेरेबल वाइस की प्रबंधन निदेशक थीं और अपनी इस नई भूमिका में वह सुप्रसिद्ध बिल केलर का अनुकरण करेगी। श्री केलर, जैसाकि एन वाई टी ने बताया, सितंबर में सुश्री अब्राम्सन को कार्य सौंपने के बाद इस समाचारपत्र के पूर्णकालिक लेखक बन गए हैं।

श्री केलर 18 पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपनी भूमिका से पृथक हुए हैं और उन्होंने पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन पाठकों तक इसे ऑनलाइन आडियंस आकार में तैयार किया है।

आर्थिक मंदी के दौर में और पाठकों की मांग पर तथा ऑनलाइन संस्करण में विज्ञापन देने पर श्री केलर से कहा गया कि वह और "कठोर संपादन कार्य करें" और "हार्ड हिटिंग – ग्राउंड ब्रेकिंग" पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखें **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 04 जून, 2011)**।

अमेरिका की पांच बड़ी तंबाकू कंपनियों में से चार ने फूड और ड्रग प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा एक धूम्रपान करने वाले के शव को सिलते हुए दिखाए जाने के नए ग्राफिक सिगरेट लेबलों और एक रोगग्रस्त फेफड़े की तसवीर को एक चेतावनी देते हुए दिखाया गया। उनका कहना है कि यह उनकी बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इसको छापने की लागत कई मिलियन होगी।

आर.जे. रेनोल्ड टोबाको कंपनी द्वारा नेतृत्व की जाने वाली कंपनियों के लॉरी लार्ड टोबैको कंपनी ने इस चेतावनी के बारे में कहा कि यह साधारण रूप में इस तथ्य को संप्रेषित नहीं करता है कि लोग यह निर्णय लें कि धूम्रपान करें या न करें। फर्म ने कहा कि इसके बदले उन्होंने सरकार के धूम्रपान विरोधी तर्क को प्रमुख रूप से अपने पैकेटों पर प्रकाशित करने की बात को अपने ब्रैंड से अधिक प्रमुखता देने के लिए किया।

वाशिंगटन डी सी के फेडरल कोर्ट में दाखिल किए गए एक कानूनी मुकदमे के संबंध में फर्म ने लिखा है कि इससे भावनात्मक संदेश जाता है, उन्होंने सरकार पर अपने उत्पादों से दूर रहने के लिए वयस्क उपभोक्ताओं से अनुरोध करने का संदेश प्रकाशित किया है।

एफडीए ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह एजेंसी न्यायालय में लंबित पड़े मामलों पर चर्चा नहीं करती है।

एफडीए ने सिगरेट के पैकेटों पर चारों ओर से नौ नई चेतावनियों का उल्लेख करने को अनुमोदित किया है। उन्हें पैकेट के ऊपर के आधे हिस्से में और आगे और पीछे मुद्रित किया जाएगा। ये नई चेतावनियां सिगरेट के किसी विज्ञापन से 20 प्रतिशत अधिक होंगी।

चेतावनी वाले एक लेबल पर एक ऐसे शव का चित्र होगा जिसकी छाती को सिला गया हो और उसके साथ यह लिखा होगा कि "धूम्रपान आपको मार सकता है"। एक दूसरे लेबल में एक चित्र होगा जिसमें स्वस्थ फेफड़ों को दिखाया गया हो और पीले तथा काले जोड़े के

साथ एक चेतावनी लिखी गई होगी कि धूम्रपान से फेफड़े के घातक रोग होते हैं। इस मुकदमे में कहा गया है कि इस छवि को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, विशेषतः लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसा किया गया है। तंबाकू कंपनियों ने कहा कि शव का यह फोटो वास्तव में एक ऐसे नायक का है जिसकी छाती पर नकली चिह्न हैं जबकि स्वस्थ फेफड़े रोग वाले हिस्से को बुरी तरह से दिखाते हैं **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2011)**।

विश्व में इसकी पहुंच की व्यापकता के रूप में न्यूयार्क टाइम्स ने अंग्रेजी भाषा की वेबसाइट में "इंडिया इंक" शुरू किया है जिसमें समाचार और भारतीय राजनीति, संस्कृति, कारोबार, खेलकूद और जीवनशैली के बारे में विश्लेषण किया गया है।

यह साइट जोकि न्यूयार्क टाइम्स का पहला देश विशेष का साइट है, समाचारपत्र और सूचना से संबंधित है। इसमें ऐसे समाचारों और घटनाओं की विशेष संभावना है जिसका भारतीयों से अधिक संबंध है और उन लोगों से संबंध है जो भारत के बारे में समाचार जानना चाहते हैं। इस समाचारपत्र का कहना है कि यह इस उप महाद्वीप और विदेशियों के लिए है।

दॅ न्यूयार्क टाइम्स के कार्यपालक संपादक जिल्ल अब्राम्सन ने कहा कि "भारत एक जीवंत देश है जिसमें अनिवार्य समाचार और संबंधित कहानियां हैं। इंडिया इंक दॅ टाइम्स ग्लोबल रीच का उत्साहजनक प्रसार है।"

इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के प्रकाशक स्टेफन डंगवार – जानसन ने कहा है कि "भारत की व्यापक जानकारी दॅ न्यूयार्क टाइम्स और इसके वैश्विक संस्करण दॅ इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है।"

"हम भारत और विदेश में अपने ऐसे पाठकों और विज्ञापनदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के समाचारों में गहरी रुचि लेते हैं।" इंडिया इंक का संपादन भारत में दॅ न्यूयार्क टाइम्स द्वारा किया जाता है और हांगकांग में इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून द्वारा किया जाता है। यह कार्य प्रमुख लेखक हीथर टिम्मोंस के नेतृत्व में किया जाता है जिन्होंने पिछले चार वर्षों में दॅ न्यूयार्क टाइम्स के लिए भारत में कारोबार संबंधी समाचार प्रकाशित किए हैं। यह भारत में और भारतीय डायसपोरा में उच्च न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकारों और उच्च लेखकों का विशेष योगदान होगा।

"हम दिल्ली के रामलीला मैदान से सिलिकन वैली तक, दैनिक देशी जीवन की उपलब्धि और निराशा तथा देश के बड़े–बड़े परिवर्तनों के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि "जैसा हम करते हैं वैसा हम समाचारों, प्रमुख नए वाद–विवादों और पुराने विचारों के साथ सहयोग करके योजना बनाते हैं – उच्च कोटि के समाचारपत्रों को देते समय दॅ न्यूयार्क टाइम्स ऐसा करता है जैसाकि उसके बारे में ज्ञात भी है।"

न्यूयार्क टाइम्स ने कहा कि भारत में व्यापक दल के साथ इंडिया इंक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के समाचारों के संबंध में और वहां के लोगों के संबंध में आधार तैयार करेगा जिनके बारे में यह समझा जाता है कि "इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि भारतीय कहां तक घूमे लेकिन भारतीयों के दिलों में हमेशा भारत होता है" **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 14 सितंबर, 2011)**।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंटरनेट पर समान रूप से लागू होती है, जैसाकि पूरे विश्व में होता है। अमेरिका ने कहा है कि वह इंटरनेट संबंधी विनियामक तंत्र के संबंध में भारत सरकार से बात कर रहा है।

जब अमेरिका के विभागीय प्रवक्ता मार्क टोनर से भारत सरकार के इंटरनेट संबंधी विनियमन या उसमें डाली जाने वाली सामग्री के मॉनीटर और फेसबुक जैसी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंटरनेट पर भी समान रूप से लागू होती है, जैसाकि पूरे विश्व में होता है।"

हालांकि, अमेरिका के विभागीय प्रवक्ता ने दो बार यह स्पष्ट किया कि इंटरनेट की स्वतंत्रता के संबंध में उनकी स्थिति भारत तक सीमित हो, यह आवश्यक नहीं है। यह सामान्य विश्व तक के लिए है। टोनर ने कहा कि "हमारा संबंध नेट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम करने के किसी प्रयास तक है।"

भारत के दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल मंत्री ने कहा कि सरकार ने आपराधिक सामग्री को रोकने, विशेषतः ऐसी विषय वस्तु को रोकने जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, के संबंध में कंपनियों को कहा है जिसमें गूगल और फेसबुक भी शामिल हैं।

भारत के साथ टोनर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सरकार के साथ चर्चा के लिए यह भी एक विषय है और यह कार्यनीति संबंधी बातचीत का भाग होगी। भारत के संबंध में हमारा एक सूचना कार्यदल है और अमेरिका तथा भारत के बीच एक संप्रेषण प्रौद्योगिकी है और यह समग्र कार्यनीति संबंधी हमारी बातचीत का भाग है।

प्रवक्ता ने कहा कि "निस्संदेह उस कार्यदल के अंदर हम सूचना प्रौद्योगिकी के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, अपनी सरकार के उन उपागमों की चर्चा करते हैं जो विनियामक वातावरण के उदाहरण के लिए निवेश तैयार करते हैं जिससे इन क्षेत्रों का अधिकतम विकास हो सके" **(दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 09 दिसंबर, 2011)**।

पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा 08 दिसंबर, 2011 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान, इरीट्रिया और चीन की जेलों में कई रिपोर्टर 15 वर्ष से अधिक समय से बंद हैं। न्यूयार्क के एक राइट ग्रुप ने कहा कि 179 लेखक, संपादक और फोटो पत्रकार जेल में बंद हैं। यह स्थिति 01 दिसंबर तक की है। वर्ष 2010 में 34 और लोगों को बंद किया गया है। जेल में बंद

रिपोर्टरों में लगभग आधे रिपोर्टर ऑनलाइन रिपोर्टर हैं और उनमें से 45 प्रतिशत स्वतंत्र पत्रकार हैं **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 09 दिसंबर, 2011)**।

भारतीय मूल के पत्रकार दावन महाराज को लॉस एंजल्स टाइम्स के नए संपादक और कार्यपालक उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उन्हें रास स्टैंटोन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनके नेतृत्व में इस समाचारपत्र को तीन पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। त्रिनिडाड में जन्मे 49 वर्षीय महाराज ने इस समाचारपत्र के 15वें संपादक के रूप में कार्यभार संभाला है और वे इस समय उसके प्रबंध निदेशक हैं **(डेक्कन क्रॉनिकल, हैदराबाद, दिनांक 15 दिसंबर, 2011)**।

दॅ न्यूयार्क टाइम्स कंपनी अपने सभी छोटे क्षेत्रीय प्रकाशनों को बेचने की बात कर रही है। कंपनी ने कहा कि हैलिफैक्स मीडिया होल्डिंग्स, जो फ्लोरिडा में डेटोना बीच न्यूज पत्रिका के स्वामी हैं, वे टाइम्स के क्षेत्रीय मीडिया समूह प्रभाग को खरीदना चाहते हैं। इस यूनिट में 16 क्षेत्रीय समाचारपत्र हैं। इस लेन–देन का वित्तीय विवरण नहीं बताया गया है। दॅ न्यूयार्क टाइम्स, दॅ बोस्टन ग्लोब, दॅ इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और अबाउट ग्रुप इस बिक्री के भाग नहीं हैं **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसंबर, 2011)**।

लगातार दूसरे वर्ष भी पाकिस्तान को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया है। वर्ष 2011 में पूरे विश्व में कुल 43 पत्रकारों की हत्या की गई है, जिनमें से 7 पत्रकारों की हत्या पाकिस्तान में ही की गई है।

पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी न्यूयार्क पत्रकार सुरक्षा समिति (सीपीजे) ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान में अपना कार्य कर रहे 29 पत्रकारों की हत्या की गई है।

इस निकाय ने इस वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट में कहा कि "सीपीजे इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पाकिस्तान विश्व के उन सबसे खराब देशों में से एक है जिसमें न्याय संबंधी पत्रकारों की हत्या की जाती है।"

सीपीजे ने कहा कि "इस वर्ष का पाकिस्तान का सबसे प्रमुख मामला सलीम शहजाद से संबंधित है जो एशिया टाइम्स का ऑनलाइन रिपोर्टर था और जिसकी मृत्यु एक ऐसी रिपोर्ट को लिखने के बाद हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अल कायदा पाकिस्तान की नौसेना में प्रवेश कर गया है।"

सीपीजे की रिपोर्ट का उद्देश्य पत्रकार की मृत्यु में पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन द्वारा जांच कराए जाने का था। पत्रकारों के संगठन ने मानव अधिकार की रक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि शहजाद ने अपनी मृत्यु से पहले शिकायत की थी कि पाकिस्तान की आईएसआई से उन्हें धमकियां मिल रही हैं और यह भी कहा कि यह मामला अभी अनसुलझा पड़ा है।

सीपीजे की वार्षिक रिपोर्ट में एक अन्य देश मैक्सिको की ओर भी इशारा किया गया है जिसका पत्रकारों के साथ व्यवहार करने का 'पार्श्विक रिकार्ड' है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश में तीन रिपोर्टरों की हत्या की गई है। उनकी हत्या सशक्त और निःशुल्क ड्रग माफिया के संबंध में रिपोर्ट लिखने के बाद की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अरब स्प्रिंग क्रांति से भी सीरिया और ट्युनिशिया में पत्रकारों की मृत्यु की पहली घटना हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भारत में पत्रकारों की कोई मृत्यु नहीं हुई है।

सीपीजे के कार्यपालक निदेशक ने संक्षेप में कहा है कि वर्ष 2011 राजनीतिक टकराव और भारी असंतोष सहित पत्रकारों के लिए अति "यथार्थ वर्ष" रहा है **(दॅ पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसंबर, 2011)**।

राइट्स ग्रुप ने कहा कि वर्ष 2011 में पूरे विश्व में कम से कम 46 पत्रकारों की हत्या की गई है और पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष भी अति खतरनाक देश बना रहा।

पाकिस्तान में 7 पत्रकारों की मौतों की सूचना मिली है और उसके बाद ईराक और लीबिया में 5–5 पत्रकारों की मृत्यु हुई हैं जबकि अमेरिका द्वारा इराक से अपनी फौजें वापस बुलाने के बावजूद वहां हमले होते रहे, लीबिया में शक्तिशाली शासक मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन करने के बाद तनाव बना हुआ है।

न्यूयार्क की पत्रकार रक्षा समिति ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि "खतरनाक कार्य सौंपे जाने पर 17 पत्रकारों की मृत्यु हुई है। उनमें से अधिकांश की मृत्यु प्राधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच फैली अव्यवस्था और हिंसक टकराव के कारण उस समय हुई है जब अरब जगत में आंदोलन फैले हुए थे।" इस समूह ने ऐसे इंटरनेट पत्रकारों की मृत्यु में हुई वृद्धि के संबंध में भी रिपोर्ट प्रकाशित की है जो "वर्ष 2008 से पहले सीपीजे की मृत्यु की गणना में शायद ही कभी शामिल किए गए हों।"

सीपीजे ने कहा कि वह वर्ष 2011 में हुई अन्य 35 मौतों की अभी जांच कर रही है जो संभवतः इस कार्य से संबंधित थे **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी, 2012)**।

यूनाइटेड किंगडम

निष्पक्षता के सामान्य विधि के सिद्धांत पर विचार करें, यूरोपीय मानवाधिकार संबंधी कानून को उसमें जोड़ें, एक संपर्क और कथन वाली कहानी की लाभप्रद पत्रिका के व्यापार के कारण वह एक प्रभावी प्रेस एक प्रेस पर्यवेक्षक बन गया है जिसमें ऐसे गुप्त न्यायकारिता और

प्रौद्योगिकी के खिलाफ लिखा जाता है जिसके कारण सभी लोग प्रकाशक बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलता है?ब्रिटेन के निजता कानून में गड़बड़ पर अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा पूरी तरह से दूर करने पर विचार किया जा रहा है।

सबसे अधिक शानदार घटना जो अभी हाल में हुई है, वह है एक फुटबाल खिलाड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स जो एक समाचार संगठन की रिपोर्टिंग को रोकने के लिए न्यायालय गए थे जिसमें उनके एक महिला के साथ तथाकथित संबंध की रिपोर्टिंग की गई थी। एक न्यायाधीश का कहना है कि हो सकता है कि वह उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही हो (लेकिन उसने इससे इनकार किया है)। श्री गिग्स को वह राह मिल गई, जो वह चाहता था, लेकिन परिणाम नहीं मिला, उसका निजी जीवन एक सार्वजनिक घोटाला बन गया। एक स्टेडियम में उसके प्रशंसकों ने सीटी बजाकर उनके नाम का उल्लेख किया, जिसे एक वार्ता में आकर्षक ढंग से पेश किया गया था। यह वार्ता ट्विटर के 75000 प्रयोक्ताओं द्वारा टी.वी. पर देखी गई थी और अंत में 23 मई को लिबरल डेमोक्रेटिक एम पी जॉन हेमिंग ने इसका उल्लेख हाउस और कॉमन में किया। संसदीय जांच का आदेश देते हुए, प्रधान मंत्री, डेविड कैमरोन ने कहा कि यह स्थिति "अस्थायी" है। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी।

ब्रिटेन में फ्रांस की भांति कोई औपचारिक निजता कानून नहीं है। मानव अधिकार संबंधी यूरोपीय परंपरा को वर्ष 1998 में राष्ट्रीय कानूनों में शामिल किया गया था और इसमें दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को छोंड़कर इसे और प्रभावी बनाया गया था। ये सिद्धांत हैंः बोलने की स्वतंत्रता की पूरी रक्षा और "निजी जीवन के सम्मान" की और "सशर्त अधिकार"। न्यायाधीशों ने (संसद के अनुरोध पर) अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं लिया है और वह निकट भविष्य में तर्क सहित कोई निर्णय देंगे जो सार्वजनिक हित की पत्रकारिता की परिभाषा के अनुसार जिसका उल्लेख प्रेस शिकायत आयोग में भी किया जाएगा। उदाहरणार्थ, न्यायालय ने निर्णय दिया है कि डेली मिरर ने एक मॉडल की कहानी के अधिकांश भागों को 2001 में मुद्रित करना उचित ठहराया था। इस मॉडल का नाम नाओमी कैम्बेल था, जो ड्रग रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में गई थी। "क्योंकि इसमें उसे ढोंगी बताया गया था।" लेकिन वह अपने साथ उस तस्वीर को नहीं ले गई थी (जिसमें उसी निजता में प्रवेश किया गया था)।

जिन लोगों ने अकारण उनकी निजता को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें दंडित करना एक बात है और यही प्रवृत्ति विश्व के सभी कानूनी तंत्र में है। ऐसे लोगों को दंड देना जिन्हें बलात्कार की पीड़िता ने पहचान लिया हो, उनके लिए सामान्तया गंभीर दंड की व्यवस्था है। वास्तविक समस्या तब आती है जब न्यायाधीश पहली बार इस व्यवस्था को भंग करने वाले समाचारपत्रों को रोक कर निजता की रक्षा करते हैं।

यह तर्क बहुत सशक्त है कि निजता को भंग करने से बहुत नुकसान पहुंचता है। एक मामले में किसी की प्रतिष्ठा को असत्य रूप से नुकसान पहुंचाकर केवल माफी मांगना उस क्षति

को पूरा नहीं करता है लेकिन एक बार शर्मनाक निजता संबंधी सूचना प्रकट हो जाती है। एक बार इसके सार्वजनिक होने पर इस बात का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है कि प्रकट करने वाले को क्या दंड दिया गया है। लेकिन निजता की रक्षा करने के संबंध में न्यायालय के आदेशों को लागू करना काफी कठिन होता जा रहा है।

कभी–कभी पूरी सुनवाई होने तक किसी प्रकाशन के संबंध में अंतरिम उपाय करने से कुछ घंटे पहले समाचारपत्रों के खिलाफ प्रायः अस्पष्ट आदेश जारी किए जाते हैं। इनके द्वारा मीडिया की मुख्य धारा में आपराधिक सामग्री दिखाए जाने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन इससे इस कहानी को दिखाए जाने के संदर्भ में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है जिससे यह स्पष्ट है कि लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है। इससे यह कहानी रुकती नहीं है अपितु संभवतः और भी फैल जाती है और इसका गलत पाठ ब्लॉग, ट्विटर और फेसबुक में दिखाया जाता है। जिन लोगों ने इस अवैध सामग्री को सामाजिक नेटवर्किंग साइट, विशेषतः विदेशी साइट में डाला है, उनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है।

एक बार कोई समाचार इंटरनेट में डाले जाने से ब्रिटेन की उत्साही प्रतियोगी पत्रिकाएं उनके चित्रों को लेने का प्रयास करती हैं ताकि वे पहले पूरी कहानी का पता लगा लें। श्री जिग्स के मामले में इस बात का बड़ा उल्लंघन तब हुआ जब स्कॉटलैंड के समाचारपत्र दॅ संडे हेराल्ड ने लंदन के न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश की उपेक्षा की। यह एक कानूनी रूप से हल्का क्षेत्र हैः स्कॉटलैंड की अपनी कानूनी प्रणाली है और बुद्धिमान वकील सामान्यतः पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उन्होंने "निषेध आदेश" के लिए आवेदन पत्र दिया है। इसलिए वह अन्यत्र पाए जाने वाले किसी आदेश के अनुरूप हो, लेकिन श्री जिग्स के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

इस भयंकर बात को रोकने के लिए न्यायालय की असमर्थता से न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है और संपूर्ण कानूनी प्रणाली के प्राधिकरण का अवमूल्यन हुआ है। लेकिन गुप्तता के कई मार्ग हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ अस्पष्ट आदेश ऐसे कठोर प्रतिबंधों के साथ जारी किए गए हैं कि उनके अस्तित्व के बारे में भी किसी रिपोर्ट में उल्लेख न किया जाएः ये तथाकथित "सर्वोच्च आदेश" वे हैं, जो हालांकि बहुत कम हैं, लेकिन विद्यमान ढांचे के लिए काफी समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार की चिंता परिवार कानून के मामलों में गुप्तता के संबंध में भी है। कुछ सांसद यह महसूस करते हैं कि न्यायाधीश अपने आपकी श्रेष्ठता साबित करते हैं और वे किसी से बात करने की बजाय किसी मुकदमे में आर्डर देना पसंद करते हैं।

इससे काफी गंभीर प्रश्न पैदा हो जाते हैं। जब एक प्रकार की उत्कृष्टता – न्यायालय के आदेश की संसद की प्रभुसत्ता से टकराती है तो ब्रिटेन का अधिकृत संविधान उसे निराशाजनक ढंग से व्यक्त कर पाता है। श्री हेमिंग की यह टिप्पणी दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के

स्पष्ट आदेश के कारण दी गई है जिन्होंने श्री जिग्स के आदेश को हटाते हुए एक आवेदनपत्र पर विचार किया है और उसे रद्द कर दिया है। अपने सतर्क कानूनी तर्कों और अपनी स्वयं की विशेषज्ञता के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया है। श्री हेमिंग के दल के नेता निक क्लेग ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि जो संसद सदस्य कानून को पसंद नहीं करते हैं उन्हें "कानून का मजाक" नहीं उड़ाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि किसे दंडित किया जाना चाहिए और किसे नहीं।

एक विषय के मामले में समस्या का पता लगाते हुए दूसरी समस्या पैदा हो जाती है जिसका समाधान करना पड़ जाता है। मीडिया के एक वकील मार्क स्टीफेंस ने तर्क दिया है कि इन पत्रिकाओं की कहानियां लोगों द्वारा तत्काल भुला दी जाएंगी, यदि उनकी कोई कानूनी काट न हो। वकील ने कहा कि "आप इस बात को आज याद रखेंगे तो कल यह भुला दी जाएगी" (हालांकि विश्वासघाती पति/पत्नी ऐसा विश्वास नहीं करता/करती है)। दूसरे शब्दों में अपमानजनक लेखों जैसे निजता के संबंध में दंड लगाया जाना चाहिए और प्रकाशन के बाद ही उसके संबंध में कोई उपचारात्मक व्यवस्था की जा सकती है।

इस प्रकार की सोच को अब प्रेस शिकायत आयोग की स्वैच्छिक रिपोर्ट में अविवेकपूर्ण कहा गया है जिसमें निजता की रक्षा की कानूनी शक्तियां और उन समाचारपत्रों को दंड देने का प्रावधान है जो इस व्यवस्था को भंग करते हैं और जो "लोकहित" की परिभाषा को नुकसान पहुंचाते हैं और जो "सार्वजनिक व्यक्ति" के रूप में समझे जाते हैं। पत्रिका के संपादक इसे पसंद नहीं करेंगे अथवा इसी प्रकार के प्रतिबंध वाले औपचारिक निजता कानून को पसंद नहीं करेंगे।

ऐसी कई पत्रिकाओं जो केवल स्वयंसेवी पत्रिकाएं नहीं हैं, को डर है कि ऐसे कानूनों को धनी लोगों, शक्तिशाली लोगों और अच्छे वकीलों द्वारा तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाएगा ताकि वे गलत कार्यों को छिपा सकें। इसके बावजूद, ट्विटर को प्रेस की सीमा में लाने से जैसाकि समाचार के महत्त्वपूर्ण अंशों में उल्लेख किया गया है, समान रूप से नापसंद किया जाएगा। जीवन की भांति निजता कानून के इस प्रकार के गड़बड़ वाले संव्यवहार से रक्षा की जानी चाहिए **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 03 जून, 2011)**।

एक रूपर्ट मर्डोक के स्वामित्व वाले दैनिक समाचारपत्र द्वारा प्राइवेट जांचकर्ता के उपयोग के लिए किसी सूचना हेतु फोन को हैक करना ब्रिटिश पत्रकारिता के लिए बड़ा संकट बन गया है जिसके कारण 06 जुलाई, 2011 को प्रधान मंत्री डेविड कैमरून ने इस घटना की सरकारी जांच करने का वायदा किया है।

ऐसा पता चला है कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड पत्रिका ने प्राइवेट जांच करनी शुरू कर दी है ताकि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के टेलीफोन संदेशों तक पहुंचा जा सके और इससे ब्रिटेन की पत्रिका प्रेस में हलचल पैदा करने के बारे में नया प्रश्न पैदा हो गया है।

जिन व्यक्तियों के फोन तथाकथित रूप से हैक किए गए, उनमें 07 जुलाई को लंदन में हुई बम फटने की घटनाओं के शिकार प्रिंस विलियम और मिली डाउलर नामक किशोरी की हत्या जैसे अपराध के शिकार लोग भी शामिल थे जिन पर समाचार मीडिया में काफी चर्चा की गई थी।

इस घटना को "घृणित" बताते हुए प्रधान मंत्री कैमरून ने इस घोटाले की जांच करवाई है।

06 जुलाई, 2011 को हाउस ऑफ कॉमन में कैमरून ने कहा कि "हमें एक जांच करने की आवश्यकता है। संभवतः यह जांच इस बात के लिए की जाएगी कि हुआ क्या था। हम इस समय राजनीतिज्ञों और प्रतिष्ठित लोगों के बारे में ही बात नहीं करते रहेंगे। हम हत्या में मारे गए लोगों के बारे में बात करेंगे जो आतंकवाद के शिकार हुए हैं और जिनके बारे में बताया गया है कि उनके फोन हैक किए गए थे।"

उन्होंने यह भी कहा कि "यह बहुत निराशाजनक बात है कि जो कुछ घटित हुआ, उसके बारे में यह सदन और वास्तव में यह पूरा देश जानना चाहेगा कि उन्होंने क्या सुना है और उन्होंने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर क्या देखा है।

जब न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड द्वारा तथाकथित रूप से फोन हैक में शामिल होने की रिपोर्ट इस वर्ष के शुरू में प्रकाशित की गई थी तो रूपर्ट मर्डोक कंपनी द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन लोगों से बिना शर्त माफी मांगी गई जिनके मामले 'विशेष मापदंड' को पूरा करते थे।

लेकिन मर्डोक को न्यूज इंटरनेशनल की इन बातों का पता होने से अब चिंता हो गई है कि इस फोन हैकिंग के शिकार लोगों में राजनीतिज्ञ, प्रतिष्ठित व्यक्ति और इस अपराध के शिकार हुए लोग भी शामिल थे।

रिबेकाह ब्रूक्स न्यूज इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी जो उस समय न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के संपादक थे जब तथाकथित रूप से हैकिंग की घटना हुई, ने अपने त्यागपत्र के बारे में राजनीतिज्ञों से मांग आने पर "गहरा दुःख" व्यक्त किया है **(दॅ पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 07 जुलाई, 2011)**।

रूपर्ट मर्डोक की ब्रिटिश पत्रिका न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड जिस पर अवैध रूप से फोन हैकिंग का आरोप लगाया गया था, अब बंद हो गई है। 07 जुलाई, 2011 को उसने घोषणा की थी कि यह समाचार एकत्र करने के तरीके के कारण लोगों का गुस्सा भड़कने के कारण की गई थी।

एक वक्तव्य में न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष, जेम्स मर्डोक, जो न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड, दॅ टाइम्स और दॅ सन का प्रकाशन भी करता है, ने कहा कि 168 वर्ष पुराने इस समाचारपत्र का आगामी रविवार का अंक इस समाचारपत्र का आखिरी अंक होगा **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 08 जुलाई, 2011)**।

रिबेकाह ब्रूक्स, पूर्व मुख्य कार्यपालक, रूपर्ट मर्डोक के ब्रिटिश मीडिया समूह, न्यूज इंटरनेशनल और मर्डोक के पारिवारिक मित्र ऐसे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें फोन हैकिंग घोटाले में जांच के संबंध में गिरफ्तार किया जाएगा। उनके प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह "पुलिस के साथ पूर्व निर्धारित साक्षात्कार के लिए पुलिस स्टेशन गई थीं"।

सुश्री ब्रूक्स ने रिपोर्टों में आई षडयंत्रों और भ्रष्टाचार के आरोपों की शंका में इस गिरफ्तारी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि न्यूज इंटरनेशनल के कई वरिष्ठ कार्यपालक जिनमें श्री मर्डोक और उनका पुत्र तथा कंपनी के चेयरमैन जेम्स भी शामिल हैं, से इस घोटाले के बारे में लेख लिखने में कथित भूमिका के बारे में पूछताछ की जा रही है।

सुश्री ब्रूक्स, जिन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के बाद अपने पद से त्यागपत्र दिया था, हाउस ऑफ कॉमन की मीडिया समिति के समक्ष इस घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुईं। उन्हें अब उपस्थित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उनके दस्तावेजी साक्ष्य का पुलिस उनके खिलाफ उपयोग कर सकती है। इससे पुलिस की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है।

उनके प्रवक्ता ने कहा कि "उनकी गिरफ्तारी से उनकी कठिन स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि वे बैठकों में उपस्थित होने के अपने कार्यक्रम का अनुपालन नहीं कर पाएंगी।"

सुश्री ब्रूक्स उस अवधि के दौरान न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड की संपादक थीं जिस अवधि में फोन हैकिंग के कई आरोप लगाए गए थे **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 2011)**।

इस उच्च स्तरीय नाटक में उन पर एक कमेडियन द्वारा एक ऐसी प्लास्टिक प्लेट से हमला करने का प्रयास भी शामिल है जिसमें सेविंग झाग भरा हुआ था। रूपर्ट मर्डोक ने संसद सदस्यों से कहा कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के फोन हैकिंग घोटाले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मेरी स्थिति उन्हीं लोगों ने खराब की "जिन लोगों पर मैं विश्वास करता था।"

"दुखी और शर्मिंदा"

अपने हाल के पत्रों में श्री मर्डोक ने कहा कि वे इस बात से "बहुत दुखी, विस्मित और शर्मिंदा" हैं कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के पत्रकार मारी गई स्कूली छात्रा मिली डाउलर के फोन की हैकिंग भी करते थे।

इसी प्रकार का तर्क ब्रिटिश मीडिया समूह न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष जेम्स मर्डोक के पुत्र और इसके पूर्व मुख्य कार्यपालक रिबेका ब्रूक्स ने भी दिया है। सुश्री ब्रूक्स ने कहा है कि उसने यह बात पहली बार दो सप्ताह पहले सुनी थी कि मिली डाउलर के फोन को हैक किया गया था।

इन तीनों ने इस घटना पर बहुत खेद व्यक्त किया और न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के कार्य को 'शर्मनाक' और 'अक्षम्य' बताया है। लेकिन इस बात से इनकार किया कि इसे छुपाया गया है।

सुश्री ब्रूक्स जो उस अवधि के दौरान न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड की संपादक थीं, जिस अवधि से संबंधित हैकिंग के आरोप हैं, ने इस बात को स्वीकार किया कि समाचारपत्र नें कहानियों का पता लगाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का उपयोग किया था लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि "फ्लीट स्ट्रीट में यह एक सामान्य बात" है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सूचना के लिए पुलिस को अदायगी की गई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी कोई अदायगी नहीं की थी और उन्हें किसी खास अदायगी की जानकारी भी नहीं है।

श्री मर्डोक ने कहा कि इस वर्ष के शुरू में ही न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड में ऐसी परिपाटी के बारे में उन्हें उस समय जानकारी दी गई जब न्यूज इंटरनेशनल ने इस साक्ष्य को प्रकट किया और जांच आरंभ की।

श्री मर्डोक से पूछा गया कि उनकी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा था, क्या उसके बारे में उन्हें 'भ्रामक' जानकारी' दी गई?

उन्होंने "स्पष्ट रूप से हां" कहा।

स्पष्ट रूप से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या वे इस 'असफलता' की जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उन्होंने कहा "नहीं"।

श्री मर्डोक ने तर्क दिया कि वे 53,000 लोगों के साथ वैश्विक कारोबार चलाते थे और न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड इसका केवल 'एक प्रतिशत' है। इसीलिए संभवतः "मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया"।

जब उनसे पूछा गया कि उनके विचार में न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड में जो कुछ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है तो उन्होंने कहा कि "वे लोग जिन पर मैं इसे चलाने का विश्वास करता था और वे लोग भी हो सकते हैं जिन पर वे लोग विश्वास करते थे।"

माफीनामा

जेम्स ने फोन हैकिंग से पीड़ित लोगों से बार–बार माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यह कंपनी "अपेक्षित मापदंडों का पालन करने में असफल रही है और चीजों को सही स्थिति में रखने में असफल रही है तथा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा"।

रूपर्ट और जेम्स दोनों ने कहा कि दिनांक 09/11 के पीड़ितों के फोन हैक करने के कोई प्रमाण नहीं हैं **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2011)**।

न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड ने फोन हैकिंग घोटाले को लंदन में हुए उपद्रवों के बाद अगले मुख पृष्ठ की बजाय पिछले पृष्ठ पर रख दिया। ऐसा उन्होंने हाउस और कॉमन की मीडिया समिति की जांच के बाद किया जिन्होंने न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के पूर्व पत्रकार को एक पत्र भेजा था जिसमें एक संपादकीय बैठक में इस परिपाटी पर "व्यापक चर्चा" की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी है।

क्लाइव गुडमैन जिन्हें शाही परिवार के फोन हैकिंग के लिए वर्ष 2007 में जेल भेजा गया था, जेल से आने के बाद कहा कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के अधिकारियों के बयान में एक बहुत बड़ी चूक है कि यह केवल गुडमैन तक ही सीमित है जिन्हें पहले ही एक "धूर्त रिपोर्टर" के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने नियोजक को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की है।

अपनी बर्खास्तगी को अनुचित बताते हुए उन्होंने लिखा है कि "इस परिस्थिति पर दैनिक संपादकों के सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई थी, लेकिन संपादकों द्वारा इसके प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी।"

लज्जाजनक स्थिति

यह पत्र प्रधान मंत्री डेविड कैमरून के लिए भी राजनीतिक दृष्टि से लज्जाजनक है। जैसाकि उनके पूर्व संचार प्रमुख एंडी काउलसन ने दावा किया है जो उस समय न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के संपादक थे और जिन्होंने इस समाचारपत्र में इन बातों को लाने की सहमति देने के कारण अपना पद श्री गुडमैन को सौंप दिया था।

गुडमैन के मामले में न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड छोड़ देने के बाद श्री कैमरून द्वारा श्री काउलसन को भाड़े पर रखा गया था। उन्होंने अपनी देखरेख में हैकिंग की किसी जानकारी से इनकार किया है।

रूपर्ट मुर्डोक के स्वामित्व और न्यूज इंटरनेशनल के प्रमुख उनके पुत्र जेम्स द्वारा प्रकाशित 160 वर्ष पुरानी पत्रिका को इस नए आरोप के बाद पिछले माह बंद कर दिया गया था।

टोम वाटसन, कॉमन कमेटी के लेबर सदस्य ने इस पत्र को "अब तक प्राप्त सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण के रूप में" बताया है।

उन्होंने कहा है कि "इससे न्यूज इंटरनेशनल का बचाव पूरी तरह रद्द हो जाता है। यह अपने जीवनकाल में मेरे द्वारा देखा गया सबसे बड़ा समाचार था।

श्री गुडमैन के अभिकथन से यह बात ध्वनित होती है कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के पूर्व संपादक कोलिन मेयर और इस कंपनी के पूर्व विधि प्रबंधक, टोम क्रोन, जो न्यूज इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यपालक थे, जिनमें जैम्स मुर्डोक भी शामिल हैं, को जो कुछ वहां हो रहा था, की जानकारी थी।

पिछले माह समिति के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्य में श्री मुर्डोक ने हैकिंग की कोई जानकारी होने से इनकार किया था। समिति उन्हें इस संबंध में बीच में बुला सकती है कि उन्होंने सांसदों को "भ्रमित किया है" **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2011)**।

इस न्यूज कॉरपोरेशन की वित्त व्यवस्था उस समय न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड पत्रिका के पूर्व संपादक द्वारा की गई थी जब वे डेविड कैमरून के खिलाफ कार्य कर रहे थे। बीबीसी ने प्रधान मंत्री और रूपर्ट मुर्डोक के बीच घनिष्ठ संबंधों का नया साक्ष्य भी दिया है।

विरोधी दल लेबर ने वर्ष 2007 में अपने प्रवक्ता के रूप में एंडी काउलसन को भाड़े पर लेने के संबंध में कैमरून के निर्णय पर भी बार–बार प्रश्न उठाया है क्योंकि उन्होंने फोन हैकिंग के संबंध में अपने रॉयल रिपोर्टर को जेल भेजने के बाद ही संपादक का पद छोड़ा था।

अब यह आरोप कि काउलसन के सन और टाइम्स नामक प्रभावी समाचारपत्रों के स्वामी के साथ वित्तीय संबंध बने हुए हैं, जिससे और भी नुकसान होने की संभावना है।

बीबीसी ने कहा कि फोन हैकिंग में लिप्त होने की शंका पर इस वर्ष के शुरू में गिरफ्तार किए गए काउलसन को न्यूज इंटरनेशनल जो न्यूज कॉरपोरेशन मीडिया साम्राज्य का ब्रिटिश समाचारपत्र है, से कई हजार पाउंड प्राप्त हुए थे, जो वर्ष 2007 के अंत तक किस्तों में निगरानी करने के पैकेज के भाग के रूप में थे।

सूत्रों का उल्लेख करते हुए, बीबीसी ने कहा कि उन्हें तीन वर्ष तक स्वास्थ्य की देखभाल जैसे लाभ भी प्राप्त हुए थे और उनके पास कंपनी की कार भी थी। कैमरून का कंजरवेटिव पार्टी के केंद्र के अधिकार के संबंध में लंबे समय से इस बात की आलोचना की जा रही थी कि उनके मुर्डोक के साथ निकट संबंध हैं।

कंजरवेटिव पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस निगरानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। डाउनिंग स्ट्रीट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

विरोधी लेबर पार्टी ने इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग की है। लेबर सांस्कृतिक कार्य के प्रवक्ता ईवान लेविस ने कहा कि डेविड कैमरून को यह कहना पड़ेगा कि उन्हें एंडी काउलसन को की गई अदायगियों के बारे में जानकारी थी या नहीं।

वर्ष 2009 में संसदीय समिति की सुनवाई के दौरान काउलसन से विशेष रूप से पूछा गया था कि क्या उन्हें उस समय कोई अन्य आय भी प्राप्त हुई थी जब वे कंजरवेटिव पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे और उन्होंने 'नहीं' कहा था।

काउलसन को इस वर्ष के शुरू में उस समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी जब पुलिस ने हैकिंग के आरोपों की जांच की थी। अब पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब प्रश्न यह है कि उन्हें उस फोन हैकिंग के बारे में क्या जानकारी है जिसका प्रयोग ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया था **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 2011)**।

अमेरिकी–आस्ट्रेलियाई मीडिया के प्रबंधक रोबर्ट मुर्डोक की कंपनी न्यूज इंटरनेशनल पर नया कानूनी मुकदमा दायर किया गया है क्योंकि फोन हैकिंग के पीड़ितों के बारे में नए आरोपों वाले घोटाले उभर रहे हैं।

न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के पूर्व संपादक एंडी काउलसन अपना कानूनी शुल्क अदा न किए जाने के कारण इस न्यूज ग्रुप समाचारपत्रों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं जिसने न्यूज इंटरनेशनल के एक भाग को प्रकाशित किया था। उन्होंने कहा कि "हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कार्रवाई जारी कर दी गई है।" कानूनी फर्म डीएलए पाइपर श्री काउलसन की ओर से न्यायालय में उपस्थित होंगे, ने कहा।

श्री काउलसन द्वारा कानूनी कार्रवाई का समाचार उस समय सामने आया जब एक स्कूली लड़की मिली डाउलर के परिवार ने कहा कि वह मुर्डोक की मुख्य नियंत्री कंपनी न्यूज कॉरपोरेशन के खिलाफ अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटिश वकील मार्क लेविस, जिसने डाउलर परिवार की वकालत की थी, ने इस बात की पुष्टि की है कि वे न्यूज कॉरपोरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में अमेरिका के वकीलों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

श्री लेविस ने कहा कि "जहां तक इसकी सहायक कंपनियों का प्रश्न है, उसके कार्यों के संबंध में न्यूज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है। वे निगम शासन के मुद्दे को उठाएंगे।"

न्यूज इंटरनेशनल मुआवजे की अदायगी के लिए डाउलर के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसमें 3 मिलियन पाउंड के पैकेज की बात कही गई है, जिसमें 1 मिलियन पाउंड दान भी शामिल है। इस मुद्दे पर अंतिम कार्रवाई की जा रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि नेइल वालिस न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के पूर्व उप–संपादक, जिन्हें मेट पुलिस द्वारा थोड़े समय के लिए नियोजित किया गया है, को उस समय न्यूज इंटरनेशनल द्वारा 25,000 पाउंड से अधिक अदा किया गया जब वे स्कॉटलैंड यार्ड में कार्यरत थे। डेली टेलीग्राफ ने यह दावा किया है कि

स्कॉटलैंड यार्ड के रिकार्ड से पता चलता है कि हैकिंग के संबंध में गिरफ्तार किए गए वालिस को पिछले वर्ष पोप के यू.के. के दौरे के समय उनकी हत्या के प्रयास के संदेह में विवरणों सहित न्यूज इंटरनेशनल को समाचार उपलब्ध कराने के लिए अदायगी की गई थी। हैकिंग का नया आरोप न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड और ब्रिटिश सैलिब्रिटी जाडे गूडी के पूर्व एजेंट और जन संपर्क परामर्शदाता मैक्स क्लिफोर्ड पर यह कहते हुए लगाया जा रहा है कि गूडी का ऐसा मानना था कि फोन की हैकिंग की जा रही थी। वर्ष 2009 में गूडी की गर्भाशय के कैंसर के कारण मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा कि गूडी ने उनसे कहा था कि "वह इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि उसके फोन संदेशों को सुना जा रहा है और उसमें रुकावट पैदा की जा रही है।" लेकिन मेट पुलिस ने इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की। **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितंबर, 2011)**।

ब्रिटिश कानून निर्माताओं ने कहा कि वे 10 नवंबर को दूसरी बार न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड जो पत्रिका अब बंद हो गई है, में फोन हैकिंग के बारे में जेम्स मर्डोक से पूछताछ करेंगे। इस बीच, लेस हिंटन, पूर्व प्रकाशक, वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसके स्वामी मर्डोक थे, का हाउस के पैनल के समक्ष परीक्षण किया था और उन्होंने कहा कि उसने यह बताया था कि क्लाइव गुडमैन को एक तिमाही में मिलियन पाउंड की अदायगी का अनुमोदन करते समय उन्होंने यह बात उठाई थी। न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के रिपोर्टर हैकिंग के संबंध में वर्ष 2007 से जेल में हैं **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 2011)**।

यू.के. पुलिस ने फोन हैकिंग घोटले की जांच को और व्यापक कर दिया है, जिसमें रूपर्ट मर्डोक के यू.के. के समाचारपत्र, दॅ टाइम्स जैसे अति प्रतिष्ठित समाचारपत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह बात 02 फरवरी, 2012 को लेबर पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने कही। दॅ टाइम्स पर ई–मेल हैकिंग का आरोप लगाया गया है। लेबर पार्टी के सांसद टोम वाटसन ने कहा कि पुलिस ने उनसे इस बात की पुष्टि की थी कि कंप्यूटर हैकिंग के आरोप के संबंध में दॅ टाइम्स के खिलाफ भी जांच की जा रही है **(दॅ पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 03 फरवरी, 2012)**।

14 फरवरी, 2012 को विस्फोटों के समय दॅ टाइम्स समाचारपत्र को पता चला था कि न्यूज कॉरपोरेशन जो यू.के. में न्यूज इंटरेनशनल के स्वामी मुर्डोक की मूल कंपनी है, ने इन विवरणों को प्रकट किया था और स्काटलैंड यार्ड की दॅ सन के कुछ पत्रकारों की पहचान की थी। न्यूज कॉरपोरेशन के प्रबंधक वर्ग और मानक समिति जो फोन हैकिंग और न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड द्वारा पुलिस और सरकारी अधिकारियों को गैर–कानूनी अदायगी के मुद्दे पर आंतरिक जांच कर रही है, ने दॅ सन के पत्रकारों को उस सूत्र के बारे में यह बताया जो "एक साक्ष्य हो सकता

है" कि हो सकता है कि उन्होंने इस सूचना के लिए अदायगी की हो। न्यूज कॉरपोरेशन द्वारा समिति को अनुदेश दिए गए थे कि वे पुलिस और उसकी तलाशी में पूरा सहयोग दे जिसमें कई मिलियन ई–मेल की तलाशी, खर्चे के दावों, अदायगी का रिकार्ड और ऐसे अन्य दस्तावेजी साक्ष्य हो सकते हैं जिनके संबंध में न्यूज इंटरनेशनल के पत्रकारों द्वारा सूचनाप्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को अदायगी की गई हो। जो समाचार प्रकाशित किए गए हों, टाइम्स ने यह भी कहा कि यह समिति टाइम्स और संडे टाइम्स की जांच की भी योजना बना रही है।

एक गोपनीय सूत्र की पहचान के कारण तीन पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की गई है जिनमें एक रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी और एक सशस्त्र बल का अधिकारी भी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह स्पष्ट नहीं है कि एमएससी ने इस बात पर विचार किए बिना किसी सूत्र का पता लगाया हो कि इन समाचारों का प्रकाशन उनकी सूचना के आधार पर लोकहित में था या नहीं।"

यह बात तब सामने आई है जब दॅ सन के एसोसिएट संपादक ट्रेवर कावानग द्वारा पुलिस जांच और जाँच में दॅ सन पत्रकारों को गिरफ्तार करने की आलोचना की गई।

मेट पुलिस ने अपनी जांच का बचाव किया और तत्काल गिरफ्तारियां की। दॅ लिंक्ड ऑपरेशन वीटिंग, इलवेडन और टुलेटा बहुत ही कठिन हैं और दस्तावेजों के कई टुकड़ों को पढ़ना मुश्किल है। इसके लिए संवीक्षा और जांच की आवश्यकता है। जिन आरोपों की वर्तमान में जांच की जा रही है और जिनमें पीड़ितों की बहुत बड़ी संख्या है, को गंभीरता से लेते हुए एमपीएस इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि तीन जांचों में शामिल सूत्रों का स्तर अनुपात के अनुसार ऐसा नहीं था कि वे इस बड़े काम को हाथ में ले सकें। कावानग द्वारा पुलिस की आलोचना करने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि वह दॅ सन के पत्रकारों के संबंध में उनके गैर–अनुपात का पता लगा रही है।

मेट पुलिस ने कहा कि "तीन संबद्ध जांचों के लिए 169 अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान में काम पर लगाया गया है। इनमें से 91 अधिकारी और कर्मचारी ऑपरेशन वीटिंग के लिए, 61 ऑपरेशन इलवेडेन के लिए और 16 ऑपरेशन टुलेटा के लिए काम पर लगाए गए हैं और उन्हें तीन जांच करने के लिए मुख्य अधीक्षक (जांच) के अधीन काम करना होगा। ये सूत्र लगातार समीक्षा करेंगे और जहां कहीं उन्हें पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट अदायगी का पता चलेगा, वे इस पर आईपीसीसी के अधीन नजर रखेंगे।" **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 2012)**।

पूर्व प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी, चेरी ब्लेयर उन प्रतिष्ठित लोगों की लंबी सूची में हाल ही में शामिल हुई हैं जो रूपर्ट मुर्डोक मीडिया समूह, न्यूज इंटरनेशलन के खिलाफ यह दावा करते हुए मुकदमा दायर करेंगी कि उसके फोन को न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड द्वारा हैक किया गया था।

वह ग्लेन मुलकेयर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव के खिलाफ भी मुकदमा दायर करेंगे जो न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के लिए शाही परिवार के सदस्यों के वॉइस मेल में रुकावट डालने के लिए वर्ष 2007 से जेल में है।

सुश्री ब्लेयर के वकील ग्राहम अटकिंस ने एक वक्तव्य में कहा कि "मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि हमने चेरी ब्लेयर के वॉइस मेल में अवैध रूप से रुकावट डालने के संबंध में उनकी ओर से कोई दावा दायर किया है।

इस प्रकरण से पूर्व में ब्लेयर के साथ मुर्डोक के निकट संबंधों को लज्जित होना पड़ेगा। श्री ब्लेयर जिन्होंने श्री मुर्डोक को उसके समाचारपत्र को सहायता देने में काफी मदद की थी, वे मुर्डोक की सबसे छोटी लड़की क्लो के गौड फादर भी हैं।

इससे न्यूज इंटरनेशनल पर भी बादल छाएंगे जो न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के स्थान पर दॅ सन समाचारपत्र को आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड को पिछली गर्मियों में हैकिंग के घोटाले में बंद कर दिया गया था।

श्री ब्लेयर के प्रधान मंत्री काल के दौरान न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड ने ब्लेयर के निजी जीवन के बारे में कई सूचनाएं प्रकाशित की थीं। एक समय ऐसा संदेह होने लग गया था कि डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर से कोई व्यक्ति उसे यह सूचना दे रहा है जिनमें सुश्री ब्लेयर के स्टाइल गुरू कैरोले कैफलिन भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन हैकिंग स्कैंडल के बाद इस दृष्टिकोण में अंतर आया था **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2012)**।

लंदन की हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के अनुसार फोन हैकिंग से जुड़े ई–मेल को हटाने के संबंध में न्यूज इंटरनेशनल पर आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति वोस, जो हैकिंग से पीड़ित लोगों के सिविल दावों की सुनवाई कर रहे हैं, दॅ डेली टेलीग्राफ द्वारा आवेदनपत्र दिए जाने के बाद मीडिया को ये दस्तावेज जारी कर दिए हैं और फोन हैकिंग से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनके द्वारा दायर किए गए दावों के विवरण दॅ गार्जियन, दॅ बीबीसी और दॅ टाइम्स में प्रकाशित भी कर दिए हैं। हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि न्यूज इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यपालक इन साक्ष्यों को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि प्राइवेट जांचकर्ता ग्लेन मलकेयर ने न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के लिए 2,226 बार फोन हैक किए थे। यह समाचारपत्र अब इस घोटाले के कारण बंद कर दिया गया है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2012)**।

दॅ लजारस समाचारपत्र पुनर्जीवित हो रहा है। वॉइस मेल की हैकिंग के संबंध में न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड के बंद होने के सात माह बाद ही 26 फरवरी, 2012 को दॅ सन की शुरुआत किए जाने की संभावना है **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी, 2012)**।

19वीं शताब्दी से प्रकशित होने वाले ब्रिटिश समाचारपत्र अब पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध हैं क्योंकि ब्रिटिश लायब्रेरी ने अपने समाचारपत्रों के पुरातत्व संग्रहालय का डिजिटाइज़िग करना आरंभ कर दिया है।

चार मिलियन पृष्ठ ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिन्हें वर्तमान में देखा जा रहा है और इस पुरातत्व संग्रहालय में अंततः 1700 से 1950 तक के समाचारपत्रों को रखा जाएगा जिससे यह ऐतिहासिक समाचारपत्रों के 250 वर्ष का खजाना बन सकेगा **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 30 नवंबर, 2011)**।

ब्रिटिश पत्रकारिता ने 02 फरवरी, 2012 को अपना सम्मानित युद्ध रिपोर्टर खो दिया है जब दॅ संडे टाइम्स के मेरी केल्विन ने मर्था गेल्हॉन के रूप में असाधारण उत्साह के साथ कार्य किया था। यह कार्य बहुत खतरनाक क्षेत्रों के अति भयभीत उद्यमों के संबंध में था और उसके साथी सीरिया के फ्रेंच फोटोग्राफर रैमी ऑकलिक की युद्ध में मौत हो गई थी।

अपने ट्रेड मार्क काले धब्बों वाली आंखों के साथ जानी जाती थी, जिसे वह ग्रेनेड द्वारा किए गए हमले में अपनी एक आंख खोने के बाद पहनती थी। यह घटना 2001 में श्रीलंका में जातीय टकराव की रिपोर्टिंग करते समय घटी थी। सुश्री केल्विन को ब्रिटिश मीडिया में उसकी पीढ़ी के सर्वोत्तम विदेशी संवाद्दाता के रूप में जाना जाता था। उसने लगभग सभी कठिन स्थानों की रिपोर्टिंग की थी और अपनी एक पुस्तक के लिए विशेष सम्मान प्राप्त किया था, जो उसने युद्ध में मारे गए लोगों के बारे में लिखी थी।

दॅ संडे टाइम्स के संपादक जॉन विथरो ने कहा कि "दॅ संडे टाइम्स के जीवन में मैरी एक असाधारण शख्सियत थी जो इस विश्वास के साथ युद्ध की घटनाओं की रिपोर्टिंग करती थी कि जो कुछ वह कर रही है, उसका बड़ा महत्त्व है। उसका पूरा विश्वास था कि रिपोर्टिंग से इस नरसंहार को कम किया जा सकता है और इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

अपनी पचास वर्ष की उम्र में सुश्री केल्विन दो दशक से भी अधिक समय तक विदेशी संवाद्दाता बनी रही और उसने सबसे पहले समाचार भेजने के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। ये पुरस्कार विशेषतः पश्चिम एशिया संबंधी समाचार भेजने के बारे में प्राप्त किए थे।

संसद में प्रधान मंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि "सुश्री केल्विन की मृत्यु पत्रकारों के उस जोखिम की याद दिलाती रहेगी जो विश्व को सूचना देने के लिए सीरिया में हुआ और ऐसी खतरनाक घटनाओं में हुआ करता है।"

ऐसी सूचना मिली है कि कम से कम दो अन्य विदेशी पत्रकार भी इसमें घायल हुए थे जिनमें एक ब्रिटिश स्वतंत्र फोटोग्राफर पॉल कॉनराय, जो सुश्री केल्विन के साथ कार्य कर रहे थे और फ्रेंच समाचारपत्र लि फिगारो के एडिथ बोवियर थे **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी, 2012)**।

फ्रांस

व्यापक फोन हैकिंग घोटाले का प्रेस की स्वतंत्रता और ब्रिटेन की निजता के बीच संतुलन के लिए पुनः व्यापक मूल्यांकन तत्काल करना आवश्यक है। यहां तक कि फ्रांस के ग्रैपल्स को शक्तिशाली लोगों के बचाव की अपनी परंपरा का परिणाम भुगतना पड़ता है।

यदि डोमिनिक स्ट्रॉस–कॉहन अब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं तो न्यूयार्क में उनके खिलाफ यौन प्रताड़ना का मामला कमजोर पड़ता है और ऐसी स्थिति में क्या फ्रांस की जनता को यह अधिकार है या होना चाहिए कि वे अमेरिकी न्यायालयों में क्या हो रहा है, उसकी उन्हें अधिक जानकारी मिले और यदि ब्रिटेन में कम संपन्न लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी गोपनीय बातों की भी रक्षा की जाएगी तो वे अपने वॉइस मेल में पत्रकारों की हैकिंग से अपने आपको कैसे बचा पाएंगे।

यह प्रश्न उन संस्कृतियों के बीच अंतर को रेखांकित करता है जो पूर्व में ब्रिटेन को एक स्पष्ट प्रकटन का मंदिर बनाते हैं और फ्रांस को अपने विवेक का स्वर्ग मानते थे। इन दोनों देशों में अब यह विवाद छिड़ गया है कि एक बिंदु के रूप में पहले किसे देखा जा सकता है।

लंदन में एक समाचारपत्र न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड को एक स्कूली छात्रा के अपहरण और उसकी हत्या के संबंध में सेलफोन की हैकिंग का दोषी पाया गया है जिसके लोग 2005 में लंदन ट्रांजिट बांबिंग में मारे गए थे और संभवतः ये ब्रिटेन युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार थे।

लोगों का कहना है कि प्रधान मंत्री डेविड कैमरून पर दो अलग–अलग जांच का आदेश देने के लिए दबाव डाला गया जिनमें से एक फोन हैकिंग का घोटाला ही था और दूसरा मुक्त ब्रिटिश प्रेस का व्यवहार। एक समाचार सम्मेलन में कैमरून ने इस बात पर बल दिया कि स्व–नियंत्रण की ब्रिटिश प्रेस की परंपरा असफल हो गई है। उन्होंने कहा कि "मेरा विश्वास है कि हमें पूरी तरह एक नई प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने उन ब्रिटिश पत्रकारों की मांग पर तत्काल ध्यान दिया जो लंबे समय से उनकी स्वतंत्रता पर लगाए गए सांविधिक प्रतिबंधों का विरोध कर रहे थे। लेकिन व्यापक नियम अभी भी अस्पष्ट हैं और इसमें स्पष्ट रूप से टकराव वाले खंड हैं जो मानव अधिकार की यूरोपीय परंपरा जिससे निजता के अधिकार को बल मिलता है और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

यूरोपीय महाद्वीप की भांति फ्रांस निजता के मामले में एक भिन्न रवैया रखता है जिसमें शक्तिशाली लोगों का कुछ हद तक बचाव किया जाता है जबकि यह बात ब्रिटेन और अमेरिका में नहीं सोची जा सकी है। फ्रांस के राजनीतिज्ञ यूरोप के कुछ निजता के कठोर कानूनों के पीछे छिप जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रॉस–कॉहन की यौन संबंधी प्रतिष्ठा तब ध्यान में आई है जब न्यूयार्क में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन पर मैनहट्टन के सॉफिटेल में होटल की हाउस कीपर का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने पिछले सप्ताह असफलता के कारणों के संबंध में रिपोर्टिंग के मॉडल को दर्शाया है जिसमें पत्रकारों को उस भूमिका की परिभाषा देनी है जो वे निभाना चाहते हैं **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 2011)**।

फ्रांस के प्रधान मंत्री ने 02 नवंबर, 2011 की प्रातः हुए हमले की निंदा की है जिसके कारण सैटाइरिकल फ्रेंच समाचारपत्र के कार्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इस समाचारपत्र ने इस सप्ताह अतिथि संपादक के रूप में पैगम्बर मोहम्मद को "आमंत्रित" किया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चार्ली हेबडो साप्ताहिक के कार्यालय में रात भर आग की लपटें उठती रहीं और उसका सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी को चोट लगने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

फ्रांस के प्रधान मंत्री फ्रैंकोइस फिलोन ने प्राधिकारियों से कहा है कि वे उन लोगों का पता लगाएं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करें। फिलोन ने एक वक्तव्य में कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का अभिन्न मूल्य है..... किसी भी कारण हिंसा की कार्रवाई के किसी कारण को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।" इस साप्ताहिक के मुख्य पृष्ठ पर शारिया हेबडो उप–शीर्षक दिया गया था जो इस्लामिक कानून के संदर्भ में था और स्पष्टतः पैगम्बर का प्रतिरूप था।

डैनिश समाचारपत्र द्वारा वर्ष 2005 में प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद के समाचारपत्र कार्टून के कारण मुस्लिम देशों में इसका विरोध हुआ था। इन मुस्लिम देशों के अध्यक्ष ने, जो फ्रांस के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी पश्चिमी यूरोप में लगभग पांच मिलियन की बड़ी आबादी है, भी इस हमले की निंदा की थी **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 03 नवंबर, 2011)**।

चार्ली हेबडो साप्ताहिक, जिसके कार्यालय में पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून को प्रकाशित करने के बाद बम से आग लगा दी गई थी, ने देश के प्रमुख समाचारपत्रों में से एक के पूरक में एक अन्य व्यंग्य चित्र प्रकाशित किया था। यह पूरक समाचारपत्र के चौथे पृष्ठ पर "बोलने की स्वतंत्रता" के बचाव में कहा गया था, जिसमें चार्ली हेबडो के पेरिस मुख्यालय पर किए गए हमले के एक दिन बाद 03 नवंबर, 2011 को दैनिक लिब्रेशन वामपंथी के चारों ओर इसकी प्रतियां लपेटी गई थीं **(दॅ इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 04 नवंबर, 2011)**।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉडर्स ने पत्रकारों के लिए विश्व के ऐसे 10 सबसे खतरनाक क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जिनमें मिस्र की राजधानी काहिरा, लीबिया की राजधानी मिसराता और पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी शामिल था। पत्रकारों के लिए मिस्र और लीबिया को बहुत खतरनाक बताते हुए यह सूचना दी गई थी कि इस वर्ष में 66 पत्रकारों की हत्या की गई थी और इस वर्ष 1000 से अधिक पत्रकार गिरफ्तार किए गए थे **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसंबर, 2011)**।

जेनेवा

एक समूह का कहना है कि वर्ष 2011 में कम से कम 106 पत्रकार मारे गए। इनमें से 20 ऐसे थे जिन्होंने अरब स्प्रिंग के फैलने के बारे में रिपोर्टिंग की थी **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसंबर, 2011)**।

वियना

पश्चिम एशिया में प्रेस की भावी स्वतंत्रता की मांग करते हुए वर्ल्ड न्यूजपेपर कांग्रेस और वर्ल्ड एडिटर फोरम ने सतर्क किया है कि स्वतंत्रता के लिए लोगों की आकांक्षा अप्रत्याशित "चैनल के माध्यम से" आ पाएगी बशर्ते कि पारंपरिक मीडिया को कम कर दिया जाए।

विश्व मीडिया संगठन वान–इन्फ्रा के अध्यक्ष जैकब मैथ्यू ने कहा कि अरब जगत में होने वाले परिवर्तनों ने यह साबित कर दिया है कि यदि पारंपरिक मीडिया पर नियंत्रण लगाया जाता है तो अप्रत्याशित चैनलों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आकांक्षा पूरी हो जाएगी।

श्री मैथ्यू ने कहा कि "इस प्रदर्शन के युग में मीडिया में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। मीडिया समाचारों को एकत्र करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड की सभी संभावनाओं का उपयोग कर रहा है। जिन समाचारपत्रों को प्रौद्योगिकी क्रांति की चुनौतियों का सामना करना है, उन्हें इस प्रकार के संगत परिवर्तन करने होंगे।"

दो वैश्विक संगठनों ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि वह समाचारों को एकत्र करने के लिए डिजिटल विश्व की सभी संभावनाओं का उपयोग करे।

श्री मैथ्यू ने कहा कि लोगों का समाचार के किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा समाचारपत्रों पर अधिक विश्वास है। उन्होंने कहा कि "आज भी 180 करोड़ लोग समाचारपत्रों के माध्यम से विश्व से जुड़े हुए हैं। यह संख्या इंटरनेट के उपभोक्ताओं से 20 प्रतिशत अधिक है।"

वान–इन्फ्रा ने दावित इसाक को 'गोल्ड पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड–2011' दिया है। डेविड इसाक पिछले 10 वर्षों से इरिटिया में जेल में बंद हैं। उनके भाई इसायास ने उनकी ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर, 2011)**।

मैड्रिड

यहां के सभी 90 लोग चाहते हैं कि वेब से यह सूचना हटा दी जाए।

इनमें घरेलू हिंसा के शिकार ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यह बताया कि गूगल के माध्यम से उनका पता आसानी से ढूंढा जा सकता है। दूसरी जो बात आज के मध्यकालीन युग में सामने आई है, वह यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बात अनुचित है कि कंप्यूटर की छोटी सी कुंजी से उनके कॉलेज के दिनों में उनके गिरफ्तार होने का पता लगाया जा सकता है।

हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी बात कम सुनी जाती हो क्योंकि वह गूगल आधारित है, लेकिन यूरोप में अन्यत्र यह धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वेब पर "भूलने का अधिकार" है।

स्पेन की सरकार इस उद्देश्य के लिए अग्रिम भूमिका निभा रही है। उसने गूगल को आदेश दिया है कि वह उन 90 नागरिकों के बारे में सूचना देना बंद कर दे जिन्होंने डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी में औपचारिक शिकायतें दायर की हैं। यह मामला आज न्यायालय में है और इस मामले पर यूरोप के सभी लोगों की नजर है कि यह नागरिकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कैसी सूचना डालते हैं या वेब पर उनके बारे में क्या सूचना डालते हैं।

स्पेन के लोगों के बारे में सरकार का जो भी निर्णय हो, उसके संबंध में यूरोपीय संघ से अपेक्षा की जाती है कि वह इस कमी के संबंध में नए "भूलने के अधिकार" को महत्त्व दे। विवियाने रेडिंग जो यूरोपीय संघ का न्यायिक आयोग है, जो कुछ ऐसे विवरण प्रस्तुत करता है जो उसके मन में है, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया है कि वह इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी है कि निजता के पर्यवेक्षण को अधिक सशक्त बनाया जाए।

उसने जुलाई में कहा कि "मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती हूं कि साइबर स्पेस में एक बार चले जाने के बाद कोई व्यक्ति अपनी डेटा के संबंध में कुछ न कह सके।" उसने यह भी कहा कि उसने इस तर्क को भी सुन लिया है कि अधिक नियंत्रण असंभव है और यूरोपीय समाज को उसे 'समाप्त कर देना चाहिए'।

लेकिन सुश्री रेडिंग ने कहा "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।" इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप और अमेरिका इस कंपनी के बड़े भाग हैं।

फ्रैंच वेरो ने कहा कि जो कुछ वास्तव में आपके पास है, वह अटलांटिक क्लैश के पार है। फ्रैंच वेरा का जन्म स्विटजरलैंड में हुआ और वह वहीं पली–बढ़ीं और अब जियोजेटान विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर हैं। "दो संस्कृतियां वास्तव में उस समय एक ही दिशा में नहीं सोचती हैं जब वे निजता के अधिकार की बात करती हैं।"

उदाहरण के लिए अमेरिका में, श्री वेरो ने कहा कि न्यायालय ने लगातार यह पाया कि किसी व्यक्ति के अतीत के बारे में कोई सचाई प्रकाशित करने का अधिकार निजता के अधिकार का अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोग हर मामले में अलग–अलग दृष्टिकोण रखते हैं। "यूरोप में आपको किसी के बारे में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, भले ही यह बात सही हो।"

श्री वेरो ने कहा कि यूरोप किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार या प्रतिष्ठा के विपरीत बोलने की स्वतंत्रता और जानने का अधिकार के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता समझता है। यही दृष्टिकोण यूरोप के पवित्र कानूनों में भी प्रायः देखा जाता है। यूरोपीय लोगों की यह सोच उस सूचना के आधार पर निर्मित होती है जो फ्रांस को और हिटलर जैसे तानाशाहों के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ एकत्र और प्रयोग की जाती है। साम्यवाद के अधीन सरकारी एजेंसियां लोगों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जनता की सूचनाओं का नियमित रूप से संकलन रखती हैं।

इन मुद्दों पर होने वाले न्यायिक मामले यूरोप के कई कोनों में प्रभावी रहती हैं।

उदाहरण के लिए, जर्मनी में वोल्फगैंग वरले और मैनफ्रेड लॉबर, जो वर्ष 1990 में एक जर्मन अभिनेता की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, विकिपीडिया पर मुकदमा चला रहे हैं कि वह उनके बारे में प्रविष्टि बंद कर दे। जर्मनी के निजता के कानून में एक बार किसी व्यक्ति के संबंध में किसी सूचना का आपराधिक पता लगाने का अतिक्रमण करने की अनुमति के लिए सोसाइटी को उनके ऋण की अदायगी करनी होती है। दो हत्यारों के वकील ने यह तर्क दिया है कि अपराधियों को भी निजता का अधिकार है और उन्हें किसी बात से अलग रहने का अधिकार है।

गूगल के खिलाफ भी कई देशों में मुकदमे दायर किए गए हैं जिनमें जर्मनी, स्विटजरलैंड और चैक गणराज्य भी शामिल हैं। ये मुकदमे स्ट्रीट व्यूह फीचर के लिए जगह–जगह से फोटोग्राफ एकत्र करने के संबंध में हैं। जर्मनी में जब न्यायालय ने यह पाया कि स्ट्रीट व्यूह विधिमान्य है, तो गूगल ने लोगों और कारोबारियों को यह विकल्प चुनने की अनुमति दे दी कि वे 250,000 लोगों के बारे में सूचना दे सकते हैं।

हालांकि इस मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई विचार नहीं किया जाता है जहां किसी भी व्यक्ति को स्ट्रीट के किसी क्षेत्र से कोई भी चित्र लेने का अधिकार है।

गूगल ने स्पेन के मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और इसके बदले एक वक्तव्य यह कहते हुए जारी कर दिया कि कुछ डेटा की उपेक्षा करने के लिए कोई जांच व्यवस्था अपेक्षित है जो "लोगों की निजता की रक्षा किए बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्त्व देता हो।"

इस वर्ष पोस्ट किए गए ब्लॉग में पीटर फ्लेश्चर, गूगल के वैश्विक निजता संबंधी वकील ने इस मामले पर "ओब्लिवियन के अधिकार के बारे में अस्पष्ट सोच" शीर्षक से इस विषय पर चर्चा की। इस ब्लॉग पोस्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे अपने बारे में बोल रहे हैं न कि गूगल के बारे में। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी शंका यह छोड़ दी कि वे समझते हैं कि नए निजता के अधिकार को छोड़ने का यूरोप का प्रयास सशक्त नहीं है और यह भ्रामक है तथा इससे जटिल कानूनी और तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई हैं।

वास्तव में, "भूलने के अधिकार" शब्दावली का प्रयोग ऐसे मुद्दों के संबंध में किया जा रहा है, जो कंपनियों के व्यवहार के बारे में स्पेन के मामले में आए हैं जिनमें वेब पर एकत्र की जा सकने वाली निजी सूचनाओं से पैसा कमाया जाता है।

कुछ यूरोपीय विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए किसी भी रूप में नया कानून बनाया जाना चाहिए।

श्री वेरो ने कहा कि "उनके सहित कई यूरोपीय वैयक्तिक सूचना के संबंध में काफी असुविधा महसूस कर रहे हैं जिसे सर्च इंजन द्वारा तैयार किया गया है और जिसका उपयोग आम जनता के लिए किया जाता है। जब परदे पर कोई विज्ञापन आता है तो उसे इस विषय से जोड़ दिया जाता है जोकि उसके हित में होता है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे ओरवेलियन के मामले में भी पाया है।

यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में किए गए निर्वाचन से यह बात ध्यान में आई है कि अधिकांश यूरोपीय इस बात से सहमत हैं। चार में से तीन लोगों ने कहा कि वे इस बात से चिंतित हैं कि इंटरनेट कंपनियां अपनी सूचनाओं का उपयोग कैसे कर रही हैं और वे चाहते हैं कि किसी भी समय वैयक्तिक डेटा को हटाने का अधिकार हो। 90 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि यूरोपीय संघ भुलाने के अधिकार के संबंध में कार्रवाई करे।

स्पेन की डेटा प्रोटेक्शन कंपनी का गठन वर्ष 1990 के दशक में किया गया था ताकि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सर्च इंजन ऐसी प्रक्रिया को बदल दिया है जिससे अधिकांश डेटा को भुलाया जा सके और इस प्रकार उसके समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी।

इस एजेंसी के उप निदेशक जेसस रूबी ने सरकारी राजपत्र की ओर ध्यान दिलाया, जो प्रायः प्रत्येक साप्ताहिक दिन में प्रकाशित किया जाता है। इसमें दिवालिया की नीलामी सरकारी माफी और उन लोगों की सूची प्रकाशित की जाती है जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सामान्यतः 220 पृष्ठों की शानदार प्रिंटिंग में इसे प्रकाशित किया जाता है, लेकिन यह पिछले कमरों की विभिन्न अलमारियों में धूल चाटती रहती है। हालांकि उनमें सूचना होती है, लेकिन वह आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है।

इसके पश्चात दो वर्ष पहले 350 वर्ष पुराने प्रकाशन को ऑनलाइन किया गया। इसमें कोई हास्यास्पद सूचना भी हो सकती है और इसका कोई महत्त्व नहीं है कि पुरानी सामग्री को कितनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

श्री रूबी ने कहा कि उन्हें इस बात की आशंका है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नागरिकों के बारे में सूचना प्राप्त करना नहीं चाहता है। "कानून के अनुसार हमें इसे राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कानून आज देखा जाता तो विधायक कहते कि ठीक है इसे प्रकाशित कर दो, लेकिन यह सर्च इंजन के पास नहीं जाना चाहिए।"

सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशक फर्नांडो पैरेज ने कहा कि ऐसा पारदर्शिता के कारण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति जीतने वाले विद्यार्थियों की सूची सरकारी अधिकारियों के लिए यह मुश्किल पैदा करती है कि वे अपने बच्चों को सभी धन दे दें। उन्होंने कहा कि "लेकिन हो सकता है कि ऐसी भी सूचना हो जिसका एक जीवन चक्र हो और किसी खास अवधि तक ही उसका कोई मूल्य हो।"

विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल और अन्य सर्च इंजन इन कुछ न्यायिक मामलों को देखते हैं जिन्हें पहले ही स्थापित कानून के सिद्धांत की हत्या के रूप में समझा जाता है और इन सर्च इंजनों के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वेब से ऐसी सूचना को जिम्मेदारी से प्राप्त करें और आशा है कि स्पेन के न्यायालय भी इस बात से सहमत होंगे। कंपनियों का विश्वास है कि यदि निजता के मामले हों तो शिकायतें उन्हें संबोधित की जानी चाहिए, जिन्होंने इस सामग्री को वेब पर डाला है।

लेकिन यूरोप के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्च इंजन को समाप्त किया जाना चाहिए। जेवियर डी ला कुएवा, जो कानून और प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों में मैड्रिड के विशेष वकील हैं, ने कहा कि "वे कहते हैं कि वे इसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, अतः आप इन्हें अन्यत्र भेजें।" "लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो इस सूचना का प्रसार करते हैं। उनके बिना किसी को भी ये चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।" **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 2011)**।

इटली

पाकिस्तानी खोजी रिपोर्टर सैय्यद सलीम शहजाद को इटालियन पत्रकारिता पुरस्कार दिनांक 09 जून, 2011 को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उनकी मृत्यु पिछले माह पूर्वी पाकिस्तान में अज्ञात हत्यारों द्वारा अपहरण किए जाने और बाद में सताए जाने के बाद हुई थी।

इटली के इश्चिया प्राइज फाउंडेशन ने निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से किए गए निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया था **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2011)**।

अफ्रीका

टिन हेथेरिंगटन जो ब्रिटिश फिल्म निर्देशक थे और जिन्हें ऑस्कर के लिए नामित किया गया था और जो एक ऐसे फोटोग्राफर भी थे जिन्होंने कई टकरावों की फोटो खींची थी और जिन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के फोटोग्राफ लेने के लिए वर्ष 2007 में वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड प्रदान किया गया था और जिन्हें यूएस फोटोग्राफर क्रिस होंड्रोस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, मिसराटा के लिबयन सिटी में 20 अप्रैल, 2011 को मार दिया गया और उनके दो पश्चिमी पत्रकारों को घायल कर दिया गया **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल, 2011)**।

इसके विरोध में "ब्लैक ट्यूजडे" मनाया गया जो 1994 में रंगभेद की समाप्ति से दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन था।

पूरा विश्वास है कि संसद सदस्य उस बिल को पारित करेंगे जिसका नाम सूचना की रक्षा है अन्यथा उसका नाम "गुप्तता विधेयक" होगा।

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ए एन सी) ने कहा कि इसे रंगभेद के कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि "राज्य के सभी संगठनों द्वारा बहुमूल्य सूचना" की सुरक्षा की जा सके और न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड द्वारा किए गए गलत कार्यों को इससे रोका जा सके और ब्रिटेन में प्रेस विनियमों के संकट को टाला जा सके।

लेकिन विरोधी पार्टियों, सिविल सोसाइटी समूह और मीडिया ने चेतावनी दी है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है और बोलने की स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रपति नेलसन मंडेला के अधीन तैयार किए गए प्रगतिशील संविधान का स्तंभ है। साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो सामान्यतया ए एन सी का सहायक दल होता है, ने दावा किया है कि इस बिल में सरकार को बहुत अधिक शक्ति दी गई है। सबसे अधिक बिकने वाले संडे टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि "दक्षिण अफ्रीकाई जनता को स्वतंत्र सूचना के व्यापक ऑक्सीजन से वंचित किया जाएगा।" दोनों पक्षों की ओर से पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से एक–दूसरे पर शब्दों का प्रहार किया जा रहा है। एक प्रकार से युवा लोकतंत्र में कठिन स्वास्थ्य के लिए इस संबंध में विस्तृत चर्चा की जानी आवश्यक है। दूसरी ओर, इससे दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक निकायों के अंदर अनुचित क्रोध और अपमान का भी पता लगा है।

ए एन सी पिछले 17 सालों से प्रमुख राजनीतिक दल है जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले लगभग दोगुना मत प्राप्त करता है। संभवतः अन्य देशों के मुकाबले अफ्रीका में मीडिया को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है और उन्हें आधिकारिक विरोधी के रूप में भी समझा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की ऊर्जावान और वाक्पटु सिविल सोसाइटी के आंदोलन सत्ता के वितरण में संतुलन बनाए रखने के रूप में देखी जाती है।

कई वर्षों से समाचारपत्र पाठकों को भ्रष्टाचार और वित्तीय घोटालों संबंधी सूचना दी जा रही है। ए एन सी अब प्रेस और आलोचनात्मक तर्कों पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है ताकि अनिश्चितकाल तक सत्ता उनके पास रहे। नया कानून इस बात को एक अपराध मानेगा कि कोई सरकारी वर्गीकृत समझी जाने वाली सूचनाएं किसी को बताए, अपने पास रखे या उसे प्रकाशित करे। ऐसी सूचना का फंडाफोड़ करने वाले पत्रकार 25 वर्ष तक की जेल भुगत रहे हैं।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि दॅ गार्जियन, जो अभी तक ब्रिटेन का समाचारपत्र है, ने ए एन सी को कठोर विरोध समाप्त करने में विश्वास में लिया है। उन्होंने कहा कि "फोन हैकिंग से इस बात का पता चलता है कि ब्रिटेन भी प्रेस को स्व–नियंत्रण कार्य नहीं करने देता है।" "हमने सबके मुंह से यह सुना है कि कोई भी दक्षिण अफ्रीकी संपादक सामने नहीं आया है और उन्होंने यह नहीं कहा है कि उन्होंने कभी फोन हैक नहीं किया है।" यह बिल संसद के द्वारा पास कर दिया जाएगा, हालांकि इसे बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल्स को भेजा जाएगा और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।" जैकब जुमा, कार्यकर्ता ने 22 नवंबर को देश में जानने के अधिकार का अभियान चलाकर इसके लड़ते रहने की शपथ खाई है।

नेडाइन गोर्डिमर की प्रतिक्रिया

नोबल पुरस्कार विजेता लेखक नेडाइन गोर्डिमर ने कहा कि एएनसी दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद की अभिव्यक्ति की सर्वोच्चता की ओर ले जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब ने काले कपड़े पहनकर या काला रिबन बांधकर या हाथों में काली पट्टी बांधकर काले मंगलवार को मनाया है। यह नाम 19 अक्तूबर, 1977 को काले बुधवार के अभियान को दिया गया नाम है जब नस्लवादी सरकार ने कार्यकर्ता स्टेवो बिको की मृत्यु के बाद दो समाचारपत्रों और 19 काले जागरूक आंदोलनों पर रोक लगाई थी **(दॅ हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर, 2011)**।

चीन

चीन के प्रचार प्राधिकारियों ने बीजिंग के दो अति लोकप्रिय और रंगीन समाचारपत्रों को नए प्रबंधन के अधीन रखा है। राज्य की प्रेस ने इसे समाचारों पर रोक लगाने के रूप में बताते हुए इसकी आलोचना की।

बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मीडिया प्राधिकारियों ने लोकप्रिय बीजिंग न्यूज और बीजिंग टाइम्स पर आरोप लगाया है। बीजिंग न्यूज ने 04 सितंबर, 2011 को सरकार द्वारा चलाई जा रही क्वियनलोंग वेबसाइट में इस संबंध में समाचार प्रकाशित किया था।

दोनों समाचारपत्र नेमी तौर से चीन के आसपास स्थानीय सरकारों की आलोचनात्मक कहानियां लिखते थे और ऐसे लेख लिखते थे जो पार्टी के प्रचार ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले लेखों के खिलाफ थे। मीडिया चीन के समाज को सकारात्मक प्रकाश में देखना चाहती है।

इन दोनों समाचारपत्रों का प्रकाशन एक दशक पहले हुआ था और अपनी रंगीन कहानियों तथा विज्ञापनों के लिए इसकी व्यापक लोकप्रियता थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार्य का उद्देश्य इन दोनों समाचारपत्रों को स्थानीय प्रबंधन के नियंत्रण में रखना और प्रकाशनों के बीच विज्ञापनों की लड़ाई का दमन करना है। यह भी कहा गया है कि इन दोनों समाचारपत्रों को मिलाया भी जा सकता है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 05 सितंबर, 2011)**।

अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के तीन रिपोर्टरों की हत्या किए जाने के बाद बीजिंग के विदेशी संवाद्दाता क्लब, चीन (एफसीसीसी) ने चेतावनी दी है कि इसके सदस्य अपना कार्य करते समय सतर्क और सावधान रहें।

फ्रेंच और डेनिश समाचार संगठनों के पत्रकार झेजियांग के पश्चिमी प्रांत के पनहे नामक गांव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां के निवासियों ने हाल ही में स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध किया था।

दो अलग–अलग मामलों में अज्ञात लोगों के समूह ने पत्रकारों पर हमला किया है। एक मामले में गांव वालों ने नोट बुक दस्तावेज रिपोर्टरों को दिए हैं और एक कैमरे के मेमोरी कार्ड को उनसे छीना है। गांव के लोगों की पत्रकारों से बात करने के कारण पिटाई की गई। उसे तब स्थानीय विदेशी कार्य कार्यालय के सदस्यों द्वारा ले जाया गया, लेकिन उसे फोन पर धमकियां मिलती रही हैं।

दूसरे मामले में, जो फ्रेंच टेलीविजन पत्रकार से संबंधित है, उसे और उसके चीनी सहायक दोनों को दबोच लिया गया और उनके वाहनों को रोकने के लिए दबाव डाला गया। बाद वाले पर हमला किया गया। इसके बाद जानबूझकर उन्हें रोककर उनकी कार को किसी अन्य वाहन द्वारा नष्ट कर दिया गया। टूटे हुए कैमरे के लिए एक पत्रकार को मुआवजा दिया गया तथा चिकित्सा व्यय की भी अदायगी की गई।

बाद में पुलिस वालों ने कहा कि वे युवक पनहे से थे और यह भी कहा कि वे सरकार के समर्थक थे तथा वे उनके गांव की घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के कारण विदेशी रिपोर्टरों से नाराज थे।

बाद में, एफसीसीसी, जिसे चीनी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, ने "विशेष सतर्कता से उस क्षेत्र से रिपोर्ट करने के बारे में पत्रकारों से अनुरोध किया था **(दॅ हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी, 2012)**।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन में फोन हैकिंग घोटाले के बाद निजता के कानूनी अधिकार को 21 जुलाई, 2011 को लागू करने की मुहिम शुरू की है। इससे गंभीर उल्लंघन करने पर मीडिया संगठनों के खिलाफ लोग मुकदमा दायर कर सकते हैं।

यह कानून निजता का उल्लंघन करने के संबंध में दांडिक अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही विद्यमान है। लेकिन इसके अधीन सांविधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

होम अफेयर्स मिनिस्टर ब्रेनडन ओ कोनोर ने कहा कि न्यूज ऑफ दॅ वर्ल्ड संबंधी घटनाओं की चिंताओं के बाद वे अब इस पर कार्य कर रहे हैं।

ओ कोनोर ने कहा, "अभी आस्ट्रेलिया में निजता का कोई सामान्य अधिकार नहीं है और इसलिए उनकी निजता पर आक्रमण करने के लिए कोई मुकदमा करने का किसी को अधिकार नहीं है। श्री ओ कोनोर की सरकार मर्डोक के स्वामित्व वाले कुछ प्रकाशनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।

यह घोटाला और लोगों की निजता के उल्लंघन के अन्य हाल के मामलों ने देश और विदेश दोनों में इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि "क्या इस प्रकार का अधिकार रहना चाहिए।"

ओ कोनोर ने कहा कि निजता के अधिकार को लागू करने पर और इसे जनता के पास ले जाने पर जनता की राय लेने के संबंध में केनबर्रा कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि "यह सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत और निजता के अधिकार दोनों पर पूरा विश्वास रखती है। हमारे देश के किसी कानून में कोई परिवर्तन इन दोनों विचारों के संतुलन के अनुसार किया जाएगा।" "निजता आधुनिक युग, विशेषतः नए प्रौद्योगिकी युग का ऐसा मुद्द है जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। हालांकि संप्रेषण के कई अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन इससे निजता को नई–नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है **(दॅ एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 2011)**।

रूपर्ट मर्डोक का मीडिया, इस समाचार कॉरपोरेशन पर आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्टों के आस्ट्रेलियाई समाचारपत्रों में प्रकाशित होने के बाद 28 मार्च, 2012 से नए विवाद झेल रहा है। वह 1990 के दशक के मध्य से अपने प्रतियोगियों के विध्वंस के कार्य में लगा हुआ है।

इसके कारण आस्ट्रेलियाई सरकार को इसके दावों के संबंध में आपराधिक जांच करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन न्यूज लिमिटेड जो इस कंपनी का आस्ट्रेलियाई मीडिया विंग है, ने यह कहते हुए कि यह "हास्यास्पद है", और कहा है कि यह अमेरिका सहित अन्य देशों के न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के दावों को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया है।

यह समाचारपत्र आस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू, जिसका स्वामी मर्डोक का मुख्य आस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंदी, फैरिफैक्स मीडिया है, ने पूर्व न्यूज कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी से 14,000 से अधिक इंटरनेट ई–मेल प्रकाशित किए थे और इसी के कारण चार वर्ष से उसकी यह जांच की जा रही है कि क्या उस कंपनी, एनडीएस समूह ने प्रतियोगी सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क की बड़े स्तर पर पाइरेटिंग को प्रोत्साहित किया है।

सुजी ब्रैडी, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट स्टिफेन कोनरॉय के प्रवक्ता ने ई–मेल के आदान–प्रदान में कहा कि "ये आरोप गंभीर हैं और आपराधिक क्रियाकलाप के किसी भी आरोप को आस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी) को जांच के लिए भेजे जाने चाहिए।"

पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि इस एजेंसी को अभी तक किसी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने का अनुरोध नहीं किया गया है, जो पिछले 1990 के दशक में आस्ट्रेलिया के बरजियोनिंग पे टी वी मार्केट पर अपने अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसने यूरोप और अमेरिका में अपनी कंपनी के कार्य भी जारी रखे थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया में इस समय पे टी वी पाइरेसी के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं है। इसलिए देश के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई अभी गैर–कानूनी नहीं है।

यह रिपोर्ट ब्रिटेन में एनडीएस समूह के खिलाफ लगाए गए इसी प्रकार के बीबीसी के दस्तावेजी आरोपों के बाद यह कहते हुए सामने आए थे कि उसने "क्रैक" के एक परामर्शदाता को अदायगी की थी और उसने एक पे सर्विस के स्मार्ट कार्ड कोड में पाइरेटिड वेबसाइट प्रकाशित की थी, जो आईटीवी द्वारा शुरू किया गया था। आईटीवी देश का निःशुल्क प्रसारक है। न्यूज कॉरपोरेशन ने बीबीसी के कार्यक्रम पैनोरमा में किसी दावे से इनकार किया था।

समाचारपत्र ने कहा कि नए ई–मेल रे ऐडम की हार्ड ड्राइव से लिए गए थे जो लंदन में मेट्रोपालिटन पुलिस के पूर्व कमांडर थे और जिन्होंने वर्ष 1996 से 2002 तक यूरोप में एनडीएस समूह के लिए प्रचालन सुरक्षा के प्रमुख के रूप में कार्य किया था।

यह दिखाने से ऐसा पता चलता है कि कंपनी के अंदर "ऑपरेशनल सेक्युरिटी" नामक गुप्त यूनिट ने कोई उच्च–तकनीकी पाइरेसी वेब तैयार की है, जो न्यूज कॉरपोरेशन के प्रतिद्वंदी

ऑस्टर और ओपटस दोनों को एकसाथ नुकसान पहुंचाता है जबकि यह कंपनी आस्ट्रेलियन पे टीवी उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अपनी स्थिति बना रहा है **(दॅ टेलीग्राफ, कोलकाता, दिनांक 29 मार्च, 2012)**।

श्री लंका

श्री लंका के एक न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2011 को लोकप्रिय सरकारी विरोधी न्यूज पोर्टल को न्यायालय की निर्णयों की अवमानना करने पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था।

पुगोडा मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने देश के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन से कहा है कि वह तब तक "लंकेईन्यूज" वेबसाइट की पहुंच को बंद कर दे जब तक पोर्टल के उन पत्रकारों में से किसी एक के बारे में न्यायालय की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती जिन्हें न्यायालय की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

वेबसाइट पत्रकार शांता विजेसूर्या को न्यायालय में सुनवाई किए जा रहे किसी एक ऐसे मामले में गलत सूचना देने वाली वेबसाइट के बाद 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

उनके वकील नमल राजपक्षा ने कहा कि विजेसूर्या को 12 मई तक रिमांड में रखने के लिए कहा गया है। बाद में, इसके मुख्य संपादक बेनेट रूपसिंघे को वेबसाइट के कार्यालय में आग लगाने से संबंधित दो संदिग्ध लोगों में एक के भाई को तथाकथित रूप से धमकी देने के कारण रिमांड पर लिया गया है **(दॅ स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल, 2011)**।

❑

अध्याय - II
प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् को प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। उसे ऐसे कार्यों की समीक्षा करने का भी कार्य सौंपा गया है जिनसे सूचना के अबाध प्रवाह और सूचना के प्रसार तथा समाचारपत्रों के स्वामित्व के केंद्रीयकरण/संपादकीय प्रबंधन संबंधों आदि से संबंधित मामलों जैसे मामलों की मॉनीटरिंग का कार्य भी सौंपा गया है जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस अध्याय में प्रेस पर हमले, उसके खतरे या प्रेस के स्वतंत्र कार्य करने की सुविधा से इनकार करने या उसका अतिक्रमण करने के द्वारा पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामलों का उल्लेख किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष में पिछले वर्ष की 227 शिकायतें लंबित थीं। इस वर्ष के दौरान 170 नई शिकायतें दायर की गई थीं। इस प्रकार कुल 397 मामलों पर विचार किया जाना था।

दसवीं प्रेस परिषद् के कार्यकाल की समाप्ति और ग्यारहवीं प्रेस परिषद् के गठन के बीच समय के अंतराल के कारण न्यायनिर्णय द्वारा केवल 25 मामलों का निपटान किया जाना था। इनमें से एक मामला ऐसा भी है जिस पर परिषद् द्वारा सीधे विचार किया गया है जबकि 228 मामलों को जांच के आधार की कमी, परिषद् के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण या न्यायालय में होने के कारण प्रारंभिक अवस्था पर खारिज कर दिया गया था। समीक्षाधीन अवधि के अंत में 144 मामलों पर कार्रवाई चल रही है।

न्यायनिर्णयों के पाठ को परिषद् की तिमाही पत्रिका पी सी आई रिव्यू अंग्रेजी में और 'प्रेस परिषद् समीक्षा' हिंदी में और निर्णयों का सार–संग्रह 2011–12 में दिया गया है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

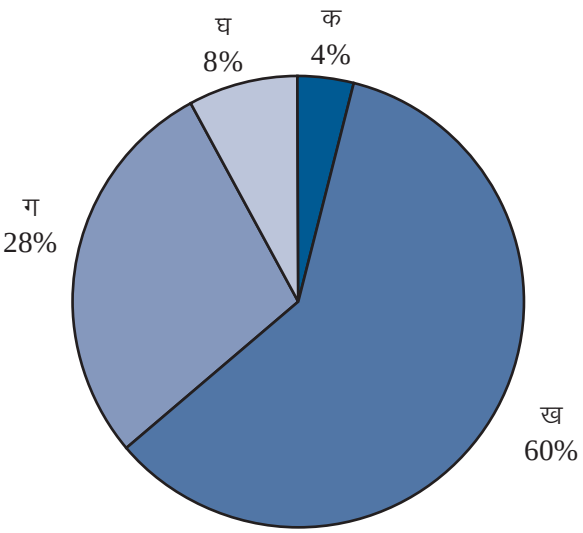

क. अंग्रेजी प्रेस
ख. भारतीय भाषायी प्रेस
ग. पत्रकार संगठन/ समाचार अभिकरण
घ. स्वतः कार्रवाई

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

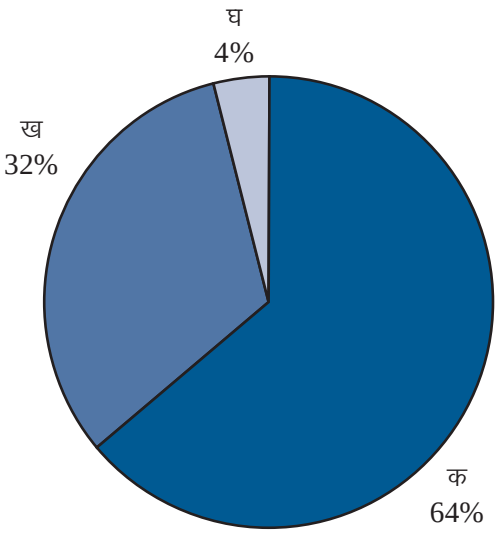

क. पुलिस/सरकारी अधिकारी
ख. सूचना विभाग
ग. संस्थान/निजी कंपनियाँ समाचारपत्र प्रबंधन
घ. गैर सरकारी कर्मी

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

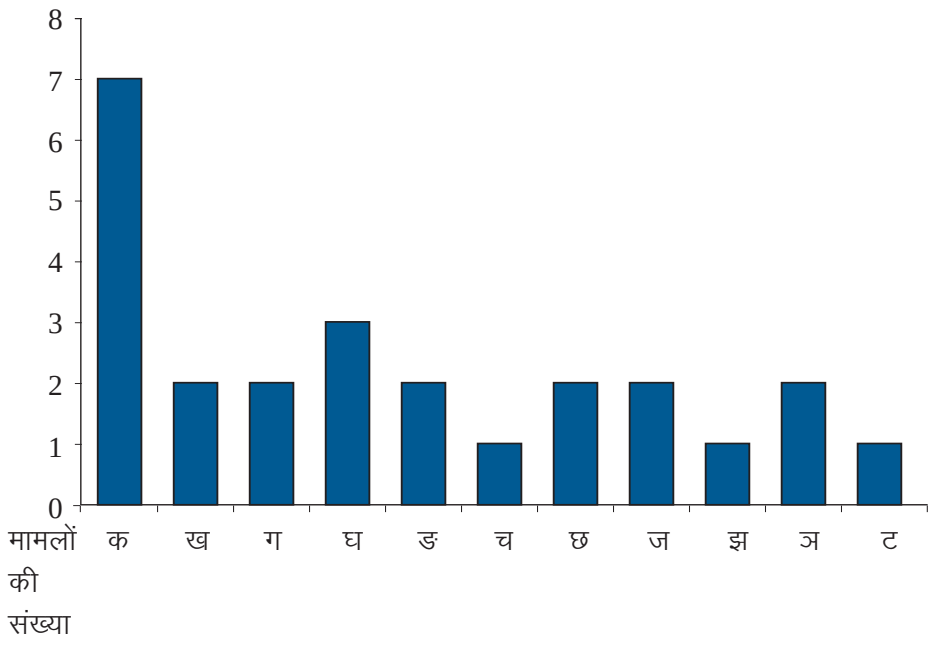

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 25

(एक मामले को मिलाकर जिस पर परिषद् ने सीधे निर्णय दिया)

क.	उत्तर प्रदेश	7
ख.	दमन और दीव	2
ग.	मध्य प्रदेश	2
घ.	दिल्ली	3
ङ	हरियाणा	2
च.	बिहार	1
छ.	राजस्थान	2
ज.	तमिलनाडु	2
झ.	कर्नाटक	1
ञ.	आंध्र प्रदेश	2
ट.	जम्मू कश्मीर	1

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

प्रेस द्वारा विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति या आलोचनात्मक लेखों के कारण उनके प्रति हिंसा की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जब यह उत्पीड़न का रूप लेती है, उस समय शारीरिक हिंसा तक हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार इससे सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस अफसरों के डंडे या उन्हें किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किए जाने के कारण यह उत्साह कम होता है।

इस प्रकार की बातों में एक नाटकीय तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र को सभी संबंधित लोगों के सहयोग की अपेक्षा होती है।

परिषद् ने वर्ष के दौरान ऐसे कुल 13 मामलों का न्यायनिर्णय किया है। इनमें से 5 मामलों में आरोप सही पाए गए हैं जबकि मामलों के गुण–दोषों के आधार पर दो मामलों को खारिज कर दिया गया है। दो मामलों में संबंधित प्रतिवादी ने परिषद् के प्रयासों से समुचित आश्वासन दिया है या उसमें संशोधन किया है या संशोधन करने का आश्वासन दिया है। चार मामलों का आगे पैरवी न किए जाने के कारण या न्यायनिर्णयाधीन होने के कारण निपटान किया गया है या परिषद् द्वारा पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने के बाद उनका निपटान कर दिया गया है। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट रूप से समझाई गई है:

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या : 13

क. अनुमोदित	5
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित	2
घ. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण बंद	4

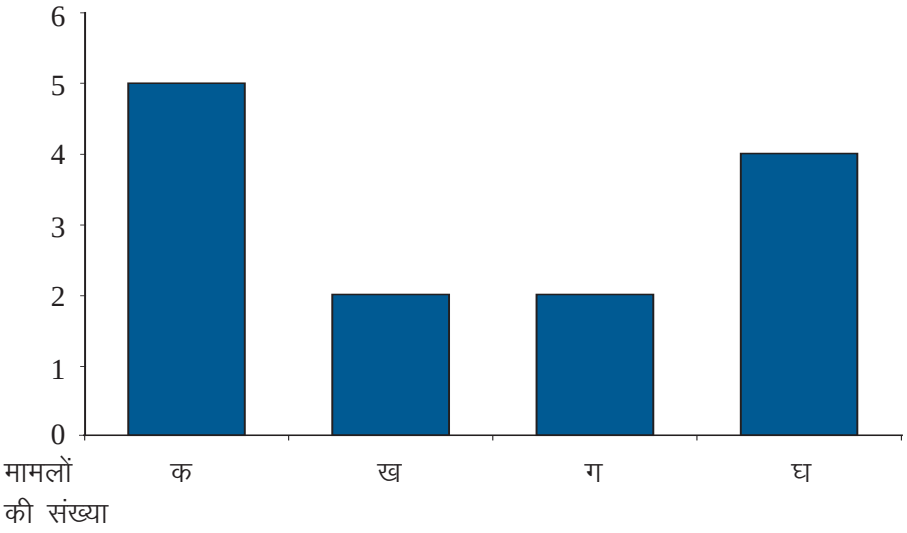

प्रेस को सुविधाएं

सरकारी और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रेस को अपने अनुकूल कार्य करने के लिए या प्रेस के कार्य की स्वतंत्रता में रुकावट पैदा करने के लिए प्रायः एक हथियार का उपयोग किया जाता है और वह है विज्ञापन न देना या विज्ञापनों की मात्रा में कमी करना। इन सब बातों से लघु और मध्यम समाचारपत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात जो सरकारी प्राधिकारियों के हाथ में है, वह है प्रत्यायन की सुविधाओं को वापस लेना या उन्हें देने से इनकार करना।

हालांकि इन सुविधाओं का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, तथापि उन्हें दिए जाने या उनका वितरण किए जाने से सरकारी निधि के संरक्षक के रूप में प्राधिकारियों को समान स्थितियों वाले दावों में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस मद के अधीन परिषद् ने 11 न्यायनिर्णय दिए हैं। इन 11 शिकायतों में से इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली तीन शिकायतों को सही ठहराया गया है जबकि एक को गुण–दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया है। छह मामलों में परिषद् ने उस स्थिति में जांच बंद कर दी थी जबकि संबंधित प्रतिवादियों ने समुचित संशोधन कर दिया था या करने का आश्वासन दिया था। एक मामले में पैरवी न किए जाने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। नीचे दिए गए ग्राफ से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है:

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या : 11

क. अनुमोदित	3
ख. अस्वीकृत	1
ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित	6
घ. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण बंद	1

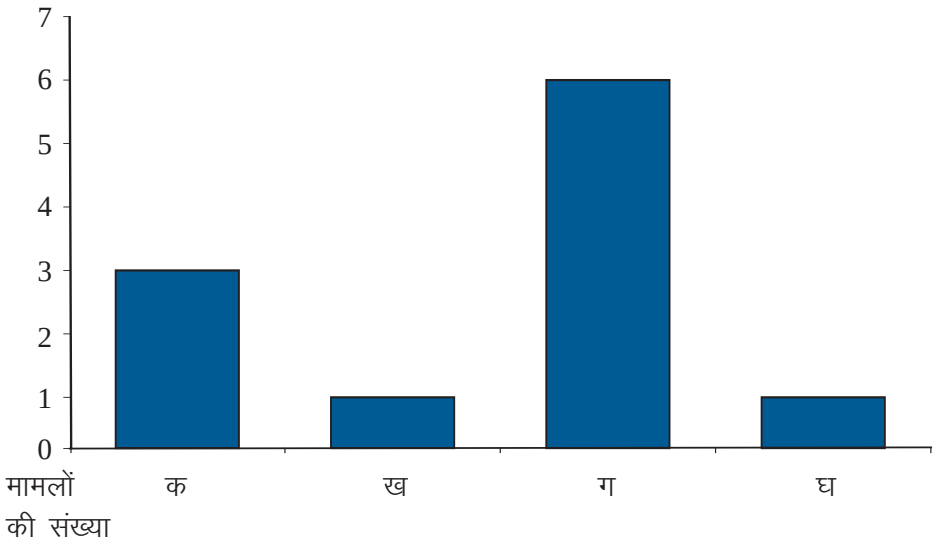

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

कोई भी यह सोच सकता है कि प्रभावी प्रेस कानूनों के युग का अंत होने से और देश द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त किए जाने से तथा हमारे देश में उदार लोकतंत्र अपनाए जाने के कारण स्वतंत्र समाज में प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया है कि दृष्टि और शांति हानिकारक, घातक और खतरनाक प्रवृत्तियां हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता को देश में और देश से बाहर कम रही हैं और इस अवधि के दौरान ऐसा हुआ है। हमारे देश में प्रेस कानून बनाने वालों और कानून तोड़ने वालों दोनों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। प्रेस परिसरों पर हमले, प्रेस पर छापे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने, उनकी हत्या करने और समाचारपत्र के प्रेस स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने से प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती होती है ।

इस मद के अधीन परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केवल एक शिकायत पर न्यायनिर्णय दिया गया है, जिसे प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिए जाने के आधार पर बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित ग्राफ से स्थिति समझाई गई है:

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

मामलों की कुल संख्या : 1

क. अनुमोदित	–
ख. अस्वीकृत	–
ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित	1
घ. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण बंद	–

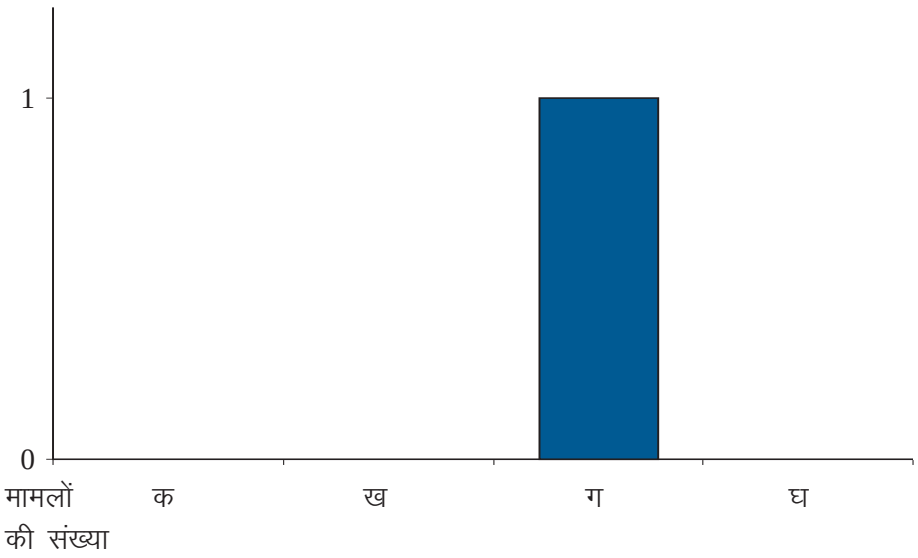

अध्याय - III
प्रेस के खिलाफ दायर शिकायतों में न्यायनिर्णय

जिन दो उद्देश्यों से भारतीय प्रेस प्ररिषद् की स्थापना की गई है, वे हैं: प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करना। समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करने के लिए परिषद् ने समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता बनाई है जिसमें उच्च व्यावसायिक मापदंडों, समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों द्वारा इन मानकों को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक रुचि के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों के प्रति उचित भावना बनाने के लिए तथा पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी लोगों में जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना को बढ़ाने के लिए, समाचारपत्रों या समाचार एजेंसियों आदि में उत्पादन या प्रकाशन के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की सभी श्रेणियों में उचित प्रक्रियात्मक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है।

अप्रैल, 2011 में परिषद् के पास 820 शिकायतें जांच के लिए लंबित थीं। वर्ष के दौरान, परिषद् के पास 715 शिकायतें भेजी गई हैं। ये शिकायतें व्यक्तिगत या प्राधिकारियों/संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई थीं। इस प्रकार परिषद् द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के खिलाफ सभी 1535 शिकायतों पर विचार किया जाना था। इनमें से 86 मामले न्यायनिर्णय के माध्यम से निपटाए गए, जिनमें एक ऐसा मामला भी शामिल है जिस पर परिषद् द्वारा सीधे विचार किया गया था।

777 मामलों को प्राथमिक अवस्था में निपटा दिया गया था। इनका निपटान पक्षकारों का समाधान करने या सबूतों के अभाव में शिकायतों को खारिज करने या पैरवी न किए जाने आदि के कारण निपटाया गया था। इस प्रकार समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस श्रेणी के 672 मामले लंबित पडे थे। इन न्यायनिर्णयों के विस्तृत पाठ परिषद् की अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित तिमाही गृह पत्रिकाओं में और निर्णयों के सार संग्रह 2011–12 में भी देखे जा सकते हैं।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

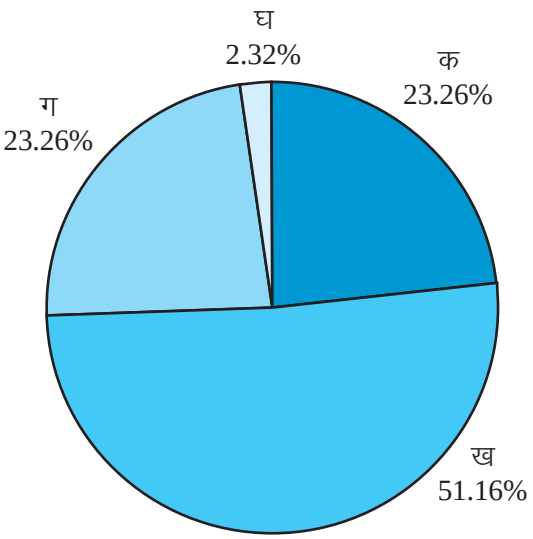

क. सरकारी प्राधिकरण/ सरकारी अधिकारी

ख. गैर सरकारी व्यक्ति

ग. संस्थान/निजी कम्पनियाँ/ समाचार संघ

घ. सार्वजनिक व्यक्ति

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

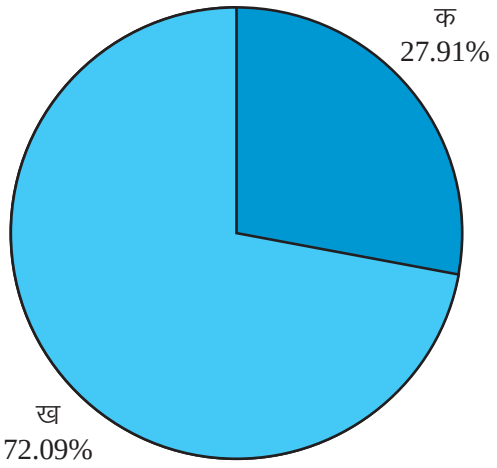

क. अंग्रेजी प्रेस

ख. भारतीय भाषाई प्रेस

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

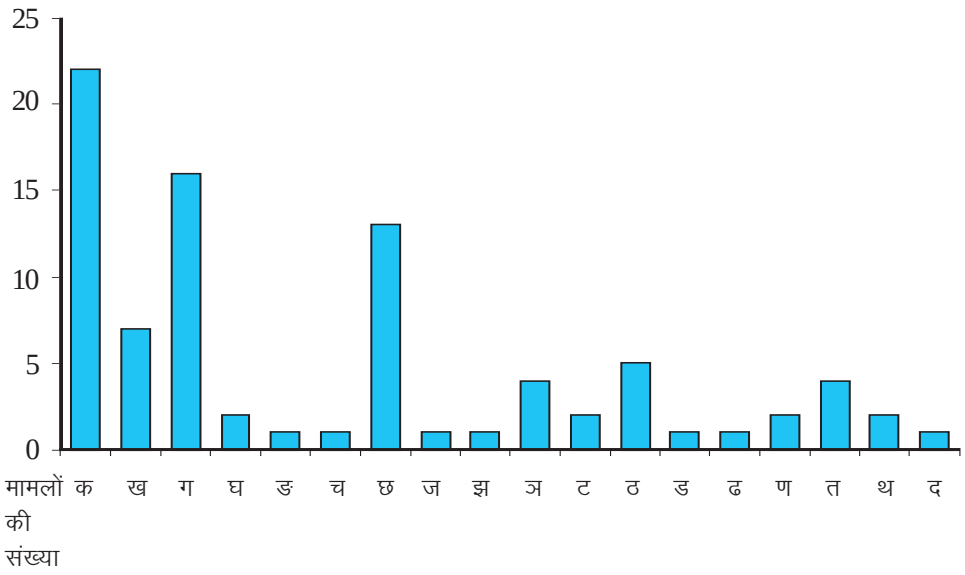

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 86

(एक मामले सहित जिसपर परिषद् द्वारा सीधे निर्णय दिया गया)

क.	उत्तर प्रदेश	22
ख.	आंध्र प्रदेश	7
ग.	कर्नाटक	16
घ.	पश्चिम बंगाल	2
ङ.	झारखंड	1
च.	उड़ीसा	1
छ.	दिल्ली	13
ज.	उत्तराखंड	1
झ.	जम्मू और कश्मीर	1
ञ.	हरियाणा	4
ट.	मध्य प्रदेश	2
ठ.	तमिलनाडु	5
ड.	राजस्थान	1
ढ.	असम	1
ण.	बिहार	2
त.	महाराष्ट्र	4
थ.	चंडीगढ़	2
द.	हिमाचल प्रदेश	1

सिद्धांत और प्रकाशन

स्वतंत्र प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचारों के प्रेषण में सचाई और निष्पक्षता के साथ–साथ अपनी राय की अभिव्यक्ति में ईमानदारी बरते। अतः मीडिया के लिए यह अनिवार्य है कि वह नैतिकता के प्रति काफी निष्ठा रखे। समस्त मीडियाकर्मी जिनमें स्वामी, प्रबंधक, संपादक और पत्रकार भी शामिल हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नैतिकता का व्यवहार अपनाएं और उसका पालन करें।

आज के आर्थिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में प्रायः प्रेस पत्रकारिता के व्यवसाय के पारंपरिक सिद्धांतों के मिशन को भूल जाती है। गलत रिपोर्टों, लेखों आदि का प्रकाशन और खंडन को प्रकाशित करने से इनकार करना जैसी कुछ गलत परिपाटियां हैं, जिन्हें प्रेस द्वारा अपनाया जाता है और जिनसे नैतिकता की पत्रकारिता के आचरण का उल्लंघन होता है।

19 शिकायतें, जिनमें से एक इस आरोप के साथ सीधे ही परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया मामला भी है, जिसका समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यायनिर्णय किया गया था। इनमें से पांच मामलों में परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवादी द्वारा संशोधन किए जाने के बाद इनके संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। छह अन्य शिकायतों को अस्वीकार कर दिया गया जबकि शेष आठ शिकायतों को पैरवी ने किए जाने के कारण, वापस ले लिए जाने के कारण या मामले के न्यायनिर्णयाधीन होने के कारण बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और भी स्पष्ट रूप से समझाई गई हैः

सिद्धांत और प्रकाशन

मामलों की कुल संख्या : 19

क.	अनुमोदित	–
ख.	अस्वीकृत	6
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधित	5
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीन होने पर बंद	8

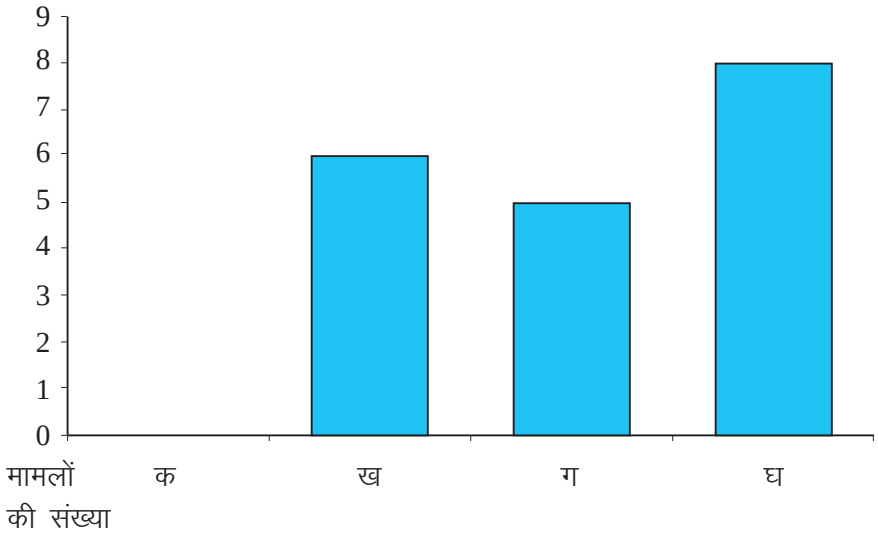

प्रेस और मानहानि

अपमानजनक लेखों से व्यथित कई लोग परिषद् से संपर्क करते हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मानहानि, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या संस्था की हो, उस पक्षकार की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसे पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। विधायी प्रयासों के इस पर नियंत्रण करने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी पुनरावृत्ति न हो, अतः यह आवश्यक है कि ऐसा कार्य न किया जाए।

लेकिन कभी–कभी प्रेस लोगों को प्रसन्न करने के लिए या व्यक्तिगत लालच या अपने समाचारपत्र के स्तंभ के माध्यम से लोगों/संस्थाओं की मानहानि करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग करता है। लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति छोटे या अस्थायी समाचारपत्रों में अधिक होती है। व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ मानहानिकारक लेख व्यक्तिगत द्वेष के कारण, धन के लिए ब्लैकमेल करने के कारण या संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से अन्य कोई पक्षपात करवाने के कारण प्रकाशित किए जाते हैं।

रिपोर्टिंग करने के उत्साह में पत्रकार प्रायः पत्रकारों के कार्यों और दायित्वों के मूल सिद्धांतों को नजरंदाज कर देते हैं। परिषद् ने इस वर्ष तथाकथित मानहानिकारक प्रकाशनों से संबंधित 63 शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया है। इनमें से 18 मामलों में प्रेस को पत्रकारिता की नैतिकता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है जबकि 10 मामलों में आरोप रद्द कर दिए गए हैं। आठ मामलों में परिषद् ने पक्षकारों के बीच सुलह करवा दी है जबकि 27 मामलों को पैरवी न किए जाने के कारण या मामले के न्यायनिर्णयाधीन हो जाने के कारण या पक्षकारों की सुनवाई के बाद परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई की आवश्यकता न होने के कारण निपटा दिया गया है। निम्नलिखित ग्राफ से स्थिति समझाई गई हैः

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्या : 63

क.	अनुमोदित	18
ख.	अस्वीकृत	10
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधित	8
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीन होने पर बंद	27

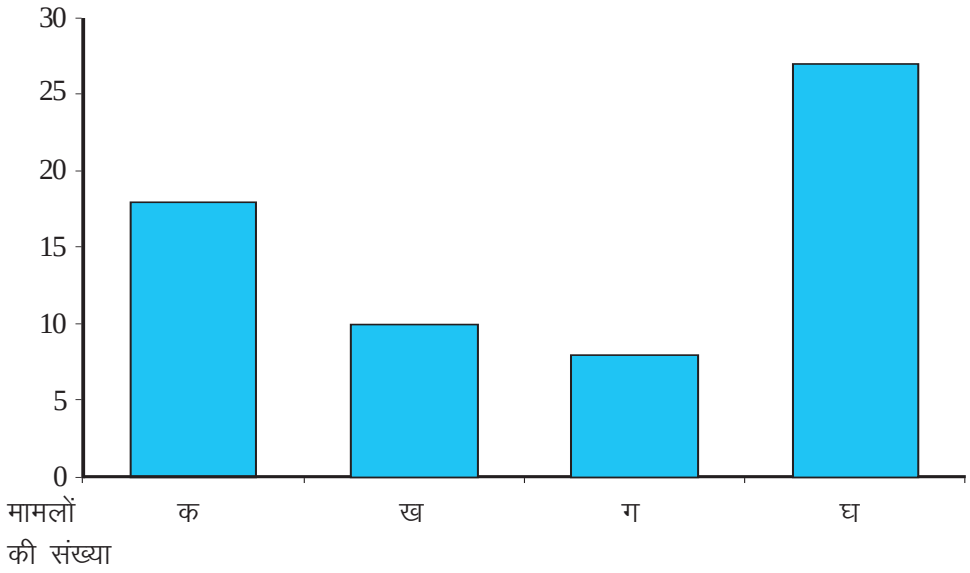

प्रेस और नैतिकता

भारतीय संस्कृति और समाज में शालीनता और नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान है। अश्लीलता और जनता की नैतिकता पर इसका प्रभाव लंबे समय से गरमागरम बहस का मुद्दा रहा है। प्रेस का एक वर्ग जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, ऐसी रिपोर्टें/कॉलम/विज्ञापन और फोटोग्राफ प्रकाशित करता है जो भारत के सुस्थापित लोकाचार की संस्कृति के खिलाफ होते हैं और जिनसे भारतीय समाज के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, ऐसे प्रकाशन किसी भी रूप में सार्वजनिक हित को पूरा नहीं करते हैं। भारतीय दंड संहिता में लोक शालीनता और नैतिकता से संबंधित अपराधों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित धाराएं हैं: 292 और 292क, जिनके अधीन अश्लील साहित्य और वस्तु की बिक्री या वितरण या अश्लील कार्य करना आदि दंडनीय बना दिया गया है। लेकिन स्व–नियमन दंडात्मक कार्यवाही के लिए जाना जाता है।

इस मद के अधीन आने वाले दो मामलों में अश्लीलता के प्रश्न पर परिषद् द्वारा न्यायनिर्णय दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद एक मामले को बंद कर दिया गया है। दूसरे मामले को पैरवी न किए जाने के कारण या पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद परिषद् द्वारा कार्रवाई आवश्यक न समझे जाने के कारण बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित चार्ट से यह स्थिति और स्पष्ट रूप से समझाई गई है:

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 2

क.	अनुमोदित	–
ख.	अस्वीकृत	–
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधित	1
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	1

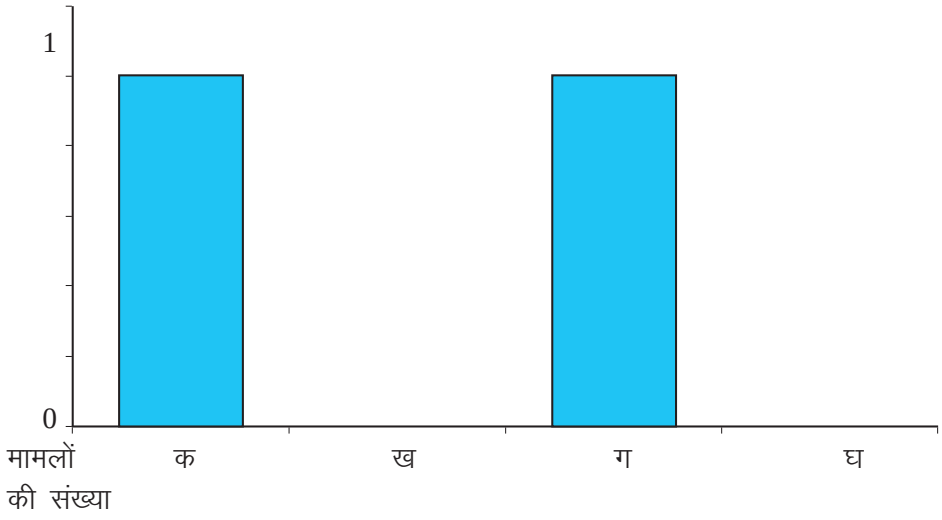

सांप्रदायिक, जातिगत और रा-ट्र-विरोधी लेखन

प्रेस देश में हिंसा और आतंकवाद के प्रभाव से अछूती नहीं रही है। हालांकि यह प्रायः इसका शिकार रही है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में प्रायः इसकी भी भूमिका रही है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रेस के उत्तरदायित्व पर और अधिक बल नहीं दिया जा सकता। परिषद् ने स्वयं विभिन्न निर्णयों में लेखन में ऐसा न करने या सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया है, जहां किसी समुदाय या जाति की भावनाएं प्रभावित होती हैं और इस प्रकार उन्होंने सामुदायिक भावना को बढ़ावा न देने और घृणा तथा द्वेष की भावना को कम करने में अपनी भूमिका को और अधिक बढ़ाने पर बल दिया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने इस श्रेणी की दो शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया है। इनमें से एक मामला सही ठहराया गया है जबकि एक मामले को प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिए जाने या इस प्रकार के अपराध में संशोधन किए जाने के बाद बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित ग्राफ के माध्यम से यह स्थिति समझाई गई है:

सांप्रदायिक, जातिगत और रा-ट्र-विरोधी लेखन

मामलों की कुल संख्या : 2

क. अनुमोदित	1
ख. अस्वीकृत	–
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधित	1
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीन होने पर बंद	–

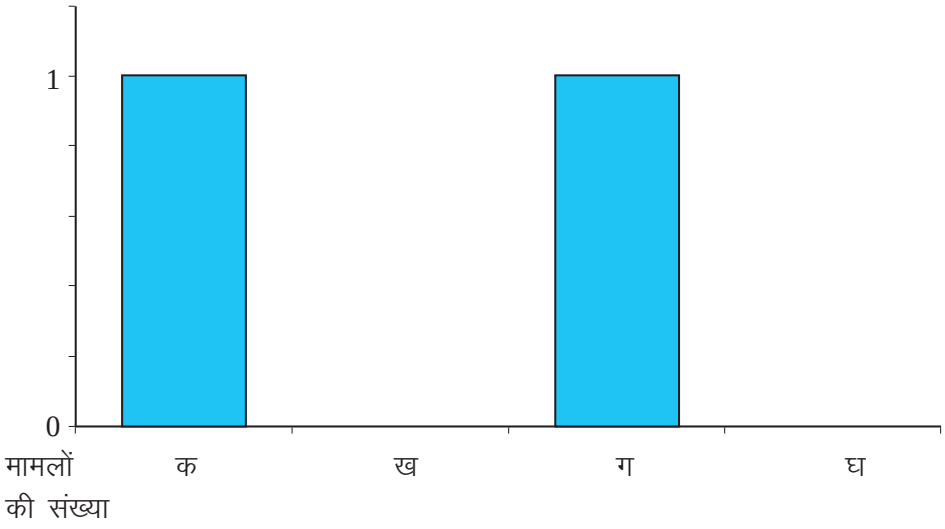

अध्याय - IV

परिषद् का वित्त 2011-2012

परिषद् की निधि के मुख्य स्त्रोत है :– (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद् द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा बैंक खाते पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए परिषद् का बजट अनुमान, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा 2010–11 में स्वीकृत किया गया था, 532.00 लाख रूपये था। जनवरी 2012 में, 2011–12 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केन्द्रीय सरकार ने परिषद् की 119.50 लाख रूपये की अनुमानित राजस्व आवतियों सहित उसी राशि अर्थात् 532.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान) के बजट को स्वीकार किया जबकि परिषद् की परिशोधित अनुमान की माँग 657.53 लाख रूपये थी।

परिषद् ने अंतिम प्राप्ति 151.55 लाख रूपये करके अपने राजस्व में वृद्धि की । तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान परिषद् को जहाँ केंद्रीय सरकार से 532.00 लाख रूपये का सहायता अनुदान मिला (5,31,76,762.00 लाख रूपये सहायता अनुदान + गत वर्ष हेतु अव्ययित शेष 23,238.00 रूपये), 47.38 लाख रूपये इसने समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों से शुल्क के रूप में प्राप्त किए, और विचाराधीन वर्ष के दौरान 104.16 लाख रूपये विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुए यथा बैंक खातों पर ब्याज, बैंक में सावधि निक्षेपों पर ब्याज आदि। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 32.00 लाख रूपये की राशि आगे ले जायी गयी।

अधिनियम के अधिदेश के अंतर्गत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर लगाए गए शुल्क के भुगतान में चूक करने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से यथासंभव राजस्व की वसूली के प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान परिषद् ने बाकीदारों से 17,10,478.00 लाख रूपये की बकाया राशि वसूल की। यह राशि उपर्युक्त 47,38,424.00 लाख रूपये की कुल राशि में शामिल है।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद् के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित कर दिया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं। परिषद् के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न हैं।

तुलन पत्र

31 मार्च 2012 तक

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2012 तक का तुलन पत्र

राशि रूपये

देयता	**तालिका**	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
पूँजीगत कोष	1	74,458,837	67,013,242
अशंदायी भविष्य निधि	2	65,135,223	71,059,432
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	3	4,135,382	1,104,304
कुल		**143,729,442**	**139,176,978**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	6,539,681	3,976,015
निवेश-(विशेष प्रयोजन) के लिए उद्दिष्ट निधि से	5	68,966,661	74,160,020
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	68,223,100	61,040,943
कुल		**143,729,442**	**139,176,978**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 13

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी 14

ह0/-
(मार्कण्डेय काटजू)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रूपये

आय	तालिका	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	10,172,429	9,073,730
भारत सरकार से अनुदान	8	41,054,841	43,734,614
अर्जित ब्याज	9	7,362,130	6,400,315
कुल (क)		**58,589,400**	**59,208,659**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	41,856,980	38,578,198
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	12,096,309	9,296,405
वित्त खर्च	12	29,028	948
मूल्यह्रास(तालिका 5 के अनुरूप)		1,000,105	587,749
कुल (ख)		**54,982,422**	**48,463,300**
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		3,606,978	10,745,359
- पूर्व अवधि समंजन जमा (नामे)		274,846	61,555
- सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) आय व्यय खाते में ले जाया गया		**3,881,824**	**10,806,914**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	13		
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी	14		

ह0/-
(मार्कण्डेय काटजू)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियाँ जो 31.3.2012 की बैलेन्स शीट का अंग हैं

अनुसूची 1-पूँजी निधि राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क. पूँजी निधि :				
वर्ष के शुरू में शेष	7,927,500		7,806,529	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधियाँ	3,564,142		93,964	
जोड़ें : स्थिर परिसंपत्ति की राशि जिसका गत वर्ष न्यून विवरण दिया गया था	–		24,822	
जोड़ें : पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाली गई अतिरिक्त राशि अब वापस ले ली गई	–		2,185	
	11,491,642		7,927,500	
घटाएँ : पिछले वर्ष में अतिरंजित स्थिर परिसम्पत्तियों की राशि	–		–	
घटाएँ : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	371	11,491,271	–	7,927,500
ख. आय और व्यय लेखा :				
वर्ष के शुरू में शेष	59,085,742		48,278,828	
जोड़ें/(घटाएँ): निवल आय/(व्यय) का शेष	3,881,824		10,806,914	
आय और व्यय से अंतरित				
जोड़ें/(घटाएँ): अन्य समायोजन (स्पष्ट करें)	–	62,967,566	–	59,085,742
योग		**74,458,837**		**67,013,242**

अनुसूची 2 - सी. पी. एफ़. निधियाँ राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क) निधियों का अथ शेष		71,059,432		63,509,463
ख) निधियों में वृद्धि :				
i. सी.पी.एफ़ में परिषद् का योगदान	1,567,975		1,753,510	
ii सी.पी.एफ. अग्रिम की वसूली	–		1,447,440	
iii. पूर्वावधि समायोजन	216,216		–	
iv. सी.पी.एफ़ में कर्मचारियों का योगदान	7,720,886		7,895,954	
v. सी.पी.एफ़ निधियों पर सरकार से ब्याज	5,359,534	14,432,179	5,048,154	16,145,058
योग (क + ख)		85,491,611		79,654,521
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/खर्चा				
सी.पी.एफ़. आहरण	6,862,800		2,075,565	
जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	12,645,945		2,751,624	
पिछले वर्ष सी.पी.एफ़. में अतिरिक्त जमा की वापसी	–		–	
सी.पी.एफ़. अग्रिम	847,643		3,767,900	
सामान्य निधि खाते से प्राप्त किये जाने योग्य	–	20,356,388	–	8,595,089
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख-ग)		**65,135,223**		**71,059,432**

अनुसूची 3 - चालू देयताएँ और प्रावधान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क) चालू देयताएँ:				
1. प्राप्त अग्रिम				
- शुल्क की अग्रिम उगाही	377,048		276,437	
- उगाही शुल्क उचंत	101,385	478,433	30,785	307,222
2. प्रतिभूति जमा		31,000		31,000
3. अव्ययित अनुदान		3,221,483		23,238
4. अन्य चालू देयताएँ		8,187		404,293
5. पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय		396,279		338,551
योग (क)		**4,135,382**		**1,104,304**
ख) प्रावधान		–		–
योग (क+ख)		**4,135,382**		**1,104,304**

अनुसूची - 4

अनुसूचियाँ जो 31.3.2012 के

विवरण	सकल ब्लॉक			
	01.04.2011 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री अंतरण	31.03.12 को लागत
वातानुकूलक और कूलर	938,085.00	–	–	938,085.00
उपस्थिति रिकार्डिंग तंत्र	82,000.00	–	–	82,000.00
कार और बाइसिकल	745,737.00	1,630,694.00	–	2,376,431.00
कंप्यूटर / पेरिफ़रल	3,573,085.00	1,680,250.00	–	5,253,335.00
कान्फ़्रेंस तंत्र	27,820.00	–	–	27,820.00
ईपीएबी एक्स तंत्र	258,800.00	–	–	258,800.00
फ़र्नीचर और फ़िक्सचर	4,178,761.00	125,036.00	–	4,303,797.00
हीट कन्वैक्टर और हीटर	35,764.00	1,600.00	–	37,364.00
पुस्तकालय की किताबें	747,765.00	73,099.00	371.57	820,492.43
मोबाइल फ़ोन	11,300.00	19,797.00	–	31,097.00
रेफ़्रिजरेटर	52,535.00	–	–	52,535.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	110,227.00	–	–	110,227.00
स्टेबिलाइज़र	71,434.00	–	–	71,434.00
टेप रिकार्डर	6,618.00	–	–	6,618.00
टेलीविज़न	78,190.00	18,176.00	–	96,366.00
टाइपराइटर और डुप्लीकेटर	133,029.00	–	–	133,029.00
जल वितरक	28,800.00	15,490.00	–	44,290.00
योग	**11,079,950.00**	**3,564,142.00**	**371.57**	**14,643,720.43**

अनुसूची - 4

तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक		
31.03.11 तक	वर्ष हेतु	बट्टे खाते	कुल	31.03.12 को डब्ल्यू डी वी	31.03.11 को डब्ल्यू डी वी
609,472.00	49,292.00	–	658,764.00	279,321.00	328,613.00
42,405.00	5,939.00	–	48,344.00	33,656.00	39,595.00
559,822.00	279,115.00	–	838,937.00	1,537,494.00	185,915.00
2,472,549.00	291,624.00	–	2,764,173.00	2,489,162.00	1,100,536.00
26,742.00	162.00	–	26,904.00	916.00	1,078.00
172,377.00	12,963.00	–	185,340.00	73,460.00	86,423.00
2,478,054.00	270,629.00	–	2,748,683.00	1,555,114.00	1,700,707.00
21,431.00	2,390.00	–	23,821.00	13,543.00	14,333.00
384,759.70	60,608.00	–	445,367.70	375,124.73	363,005.30
5,402.00	2,370.00	–	7,772.00	23,325.00	5,898.00
31,067.00	3,220.00	–	34,287.00	18,248.00	21,468.00
57,003.00	7,984.00	–	64,987.00	45,240.00	53,224.00
46,157.00	3,792.00	–	49,949.00	21,485.00	25,277.00
4,213.00	361.00	–	4,574.00	2,044.00	2,405.00
54,802.00	4,871.00	–	59,673.00	36,693.00	23,388.00
122,785.00	1,537.00	–	124,322.00	8,707.00	10,244.00
14,894.00	3,248.00	–	18,142.00	26,148.00	13,906.00
7,103,934.70	**1,000,105.00**	**–**	**8,104,039.70**	**6,539,680.73**	**3,976,015.30**

अनुसूची 5 - उद्दि-ट निधियों से निवेश राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. अनुसूचित बैंकों के पास सावधि निक्षेप				
- सी.पी.एफ़. निधि के प्रति	61,566,392		63,416,775	
- उन पर प्रोद्भूत एफ़.डी.आर. ब्याज	7,400,269	68,966,661	10,743,245	74,160,020
योग		**68,966,661**		**74,160,020**

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
क. चालू परिसंपत्तियाँ				
1. विविध देनदार :				
- उगाही शुल्क के कारण छह माह से अधिक अवधि तक बकाया ऋण	52,155,627		41,350,936	
अन्य	–	52,155,627	5,266,554	46,617,490
2. रोकड़ शेष (डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
अग्रदाय लेखा शेष	11,083		10,000	
डाक टिकटें	–	11,083	1,366	11,366
3. बैंक शेष :				
- अनुसूचित बैंकों के पास :				
बचत खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद -सामान्य खाता	3,094,532		6,523	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	439,677		451,987	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - उगाही शुल्क खाता	114,576		5,349	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सी.पी.एफ़. खाता	3,674,145	7,322,930	7,513,754	7,977,613
निक्षेप खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	2,079,641		2,422,410	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - शशि टंडन	191,786		–	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद - राजेश कौर	–		–	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सुशीला देवी	165,881	2,437,308	165,881	2,588,291
योग (क)		**61,926,948**		**57,194,760**

अनुसूची 6 - (जारी) राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. स्टाफ़ को ऋण :				
- पंखा अग्रिम	–		–	
- साईकिल अग्रिम	3,125		–	
- कार अग्रिम	188,010		278,946	
- उत्सव अग्रिम	70,425		60,000	
- आवास निर्माण अग्रिम	747,567		40,803	
- स्कूटर अग्रिम	400	1,009,527	5,400	385,149
2. प्राप्य मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ और अग्रिम				
- पूँजीगत लेखे पर	–		–	
- पूर्व भुगतान				
- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम	8,340		10,625	
- पार्टियों को अग्रिम	3,421,926		2,043,518	
- यात्रा भत्ता अग्रिम	444,582		61,662	
- स्रोत पर काटा गया कर	778,762		690,858	
- अन्य				
- वेतन वसूली योग्य	–		–	
- अन्य अग्रिम	200		10,000	
- एल टी सी अग्रिम	–		37,228	
- सी.पी.एफ़. उचंत	–	4,653,810	–	2,853,891
3. प्रोद्भूत आय				
क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		576,478		581,381
ख) सुशीला देवी (पूर्व कर्मचारी) के निक्षेपों पर (प्राप्य अप्राप्त आय रु..... शामिल है)		24,753		6,288
ग) शशि टंडन (पूर्व कर्मचारी) के निक्षेपों पर		12,110		–
4. विभिन्न विभागों के पास निक्षेप		19,474		19,474
योग (ख)		**6,296,152**		**3,846,183**
योग (क+ख)		**68,223,100**		**61,040,943**

अनुसूची 7 - उगाही शुल्क से तथा अन्य आय राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क	4,738,424		3,729,442	
जोड़ें : पिछले वर्ष के लिए उठाई गई माँग	–		–	
जोड़ें : पिछले वर्षों का अग्रिम समायोजित	–		116,315	
जोड़ें : चालू वर्ष का बकाया शुल्क	7,330,965		6,203,019	
घटाएँ : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	1,710,478		930,175	
घटाएँ : अग्रिम/उचंत प्राप्त शुल्क	253,561	10,105,350	156,676	8,961,925
2. अन्य (स्पष्ट करें)				
- रद्दी कागज़ की बिक्री	–		4,724	
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	–		8,745	
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	2,882		3,599	
- स्मारिका में विज्ञापन से आय	62,500		–	
- अन्य	1,697	67,079	94,737	111,805
योग		**10,172,429**		**9,073,730**

अनुसूची 8 - अनुदान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
(प्राप्त अप्रतिसंहार्य अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्रीय सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	53,176,762		48,678,574	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	23,238		221,396	
	53,200,000		48,899,970	
- घटाएँ : सी. पी. एफ़. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	5,359,534		5,048,154	
- घटाएँ : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	3,564,142		93,964	
- घटाएँ : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	3,221,483	41,054,841	23,238	43,734,614
योग		**41,054,841**		**43,734,614**

अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज राशि रूपये

	चालू वर्ष		*पिछला वर्ष*	
1. सावधि निक्षेपों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
-सीपीएफ़ (खाता सामान्य निधि में अंतरित)				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	–		–	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर	–		–	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	–		4,588	
घटाएँ : गत वर्ष में बुक किया गया अति ब्याज प्रत्यावर्तित	–		–	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	6,583,741	6,583,741	5,707,594	5,703,006
- परिक्रामी निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	–		–	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर	–		–	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	250,014		237,426	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	–	250,014	–	237,426
- सामान्य निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	117,723		58,972	
जोड़ें : स्रोत पर कर कटौती	–		–	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज	–		–	
कम : पिछले वर्षों से संबद्ध		117,723		58,972
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	308,712		109,989	
- सीपीएफ़ खाता (सामान्य निधि मे अंतरित)	58,855		108,643	
- उगाही शुल्क खाता	20,803		10,249	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	15,390	403,760	15,960	244,841
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी / स्टाफ़				
- स्कूटर अग्रिम	4,000		8,301	
- साइकिल अग्रिम	–		–	
- आवास निर्माण अग्रिम	2,892		2,892	
- पंखा अग्रिम	–		–	
- मोटर कार अग्रिम	–	6,892	–	11,193
4. आवधिक जमा पर ब्याज (पूर्व कर्मचारी)	–	–	–	144,877
योग		**7,362,130**		**6,400,315**

अनुसूची 10 - स्थापना व्यय

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क) वेतन और मज़दूरी	31,939,880	30,436,870
ख) वेतन की बकाया राशि	658,856	2,562,223
ग) समयोपरि भत्ता	16,096	14,975
घ) ट्यूशन फ़ीस प्रतिपूर्ति	500,094	396,639
ङ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	736,457	928,477
च) बोनस	210,393	206,956
छ) एल. टी. सी.	527,873	503,121
ज) अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	2,433,605	705,808
झ) भविष्य निधि में अंशदान	1,567,975	1,753,510
ञ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	3,260,411	1,050,919
ट) स्टाफ को प्रशिक्षण (हिंदी कार्यशाला)	5,340	18,700
योग	**41,856,980**	**38,578,198**

अनुसूची 11 - अन्य प्रशासनिक व्यय राशि रूपये

		चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
1.	बिजली और पानी	1,626,132	682,271
2.	कार्यालय व्यय	351,823	262,292
3.	बीमा	5,940	–
4.	मरम्मत और रखरखाव	2,701,193	2,041,735
5.	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	262,816	270,154
6.	यात्रा और परिवहन व्यय	1,172,360	2,944,566
7.	किराया, पौर कर और कर	325,329	268,976
8.	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	1,008,327	909,117
9.	मुद्रण और स्टेशनरी	1,202,609	1,100,480
10.	समाचारपत्र और पत्रिकाएँ	114,708	113,393
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी	59,923	7,205
12.	हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार	12,190	7,280
13.	अभिदान व्यय	5,544	–
14.	कानूनी और वृत्तिक प्रभार	137,857	231,985
15.	मनोरंजन	74,494	85,043
16.	प्रदर्शनी और संगोष्ठी	2,579,534	301,925
21.	अन्य (स्पष्ट करें) - विविध	139,684	63,683
22.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	6,300
23.	कर कटौती	–	–
24.	स्टाफ प्रशिक्षण व्यय	34,600	–
25.	विज्ञापन व्यय	281,246	–
26.	अन्य व्यय		
	योग	**12,096,309**	**9,296,405**

टिप्पणी -

1. बिजली और पानी का खर्चा अध्यक्ष के निवास पर किया गया है।

अनुसूची 12 - वित्त प्रभार

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*पिछला वर्ष*
क) नियत ऋणों पर	–	–
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	1,875	948
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–
घ) पूर्व कर्मचारी को अदा किया गया ब्याज	27,153	–
योग	**29,028**	**948**

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13 - महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये, के आधार पर तैयार किये गये हैं ।

2. लेखा प्रणाली

परिषद् लेखा उपार्जित प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये ।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख. परिक्रामी (कर्ज़ एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ माना गया है ।

ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उसपर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई ।

4. नियत परिसम्पत्तियाँ

क. नियत परिसम्पत्तियों को, उनपर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है । अर्जन से सम्बद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूँजी में परिणित नहीं किया गया है ।

ख. नियत परिसम्पत्तियों की मूल्य लागत को चिन्हित करने के लिए पूँजीगत कोष का संधारण किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

आयकर नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित दर उदाहरणार्थ फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ 10% की दर पर और अन्य परिसम्पत्तियाँ 15% की सामान्य दर पर मूल्यह्रास चार्ज किया जा रहा है ।

6. <u>सरकारी अनुदान</u>

(क) सरकारी अनुदान का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों में जोड़ के लिए प्रयुक्त अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

(घ) वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान को अगले वर्ष उपयोग करने के लिए आरक्षित और अतिरिक्त राशि में अंतरित किया गया है ।

7. <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है । उपदान देय, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) परिषद् अपनी अंशदायी भविष्य निधि का रख-रखाव कर रही है ।

ह0/-
(मार्कण्डेय काटजू)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2012 को वर्ष की समाप्ति पर लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14 - आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. **वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम**

क. विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों में शेष और पक्षों को अग्रिम की सम्बद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है ।

ख. परिषद्-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों, कर्ज़ और अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम से कम, साधारण व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. गत वर्ष के तदनुरूप आँकड़ों का, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहीकरण/पुनःव्यवस्थित किया गया है ।

ह0/-
(मार्कण्डेय काटजू)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस
31.3.2012 को समाप्त वर्ष

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		10,000		5,932
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	6,523		190,309	
- शुल्क उगाही खाता	451,987		479,634	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	5,349		20,714	
- सी.पी.एफ़. खाता	7,513,754	7,977,613	8,917,565	9,608,222
ग) डाक टिकटें		1,366		4,441
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		53,176,762		48,678,574
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- सावधि निक्षेप	10,191,597		203,849	
- बचत खाते	403,760	10,595,357	244,841	448,690
ख) ऋण, अग्रिम आदि		6,892		11,193
IV. अन्य आय (स्पष्ट करें)				
समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क		4,738,424		3,729,442
अन्य, परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त		67,079		103,060
छठे वेतन आयोग की बकाया राशि की वसूली		–		–
परिसंपत्ति की बिक्री		327		9,000
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियाँ				
एफ़डीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	1,891,939		1,077,413	
- सी. पी. एफ. लेखा	56,385,032		7,189,072	
सामान्य निधि	15,000,000		7,500,000	
कर्मचारी हेतु	–	73,276,971	804,307	16,570,792
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				
क) प्रतिभूति की वापसी				
विभागों के पास निक्षेप	–		–	
- कम्प्यूटर रखरखाव	–	–	–	–

परिषद्
के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 10 के अनुसार)		41,856,980		38,426,712
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)		11,981,224		9,876,838
ग) देय व्यय का भुगतान किया गया		327,713		–
II. निधियों के प्रति किए गए भुगतान				
परिक्रामी निधि के प्रति किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण				
- उत्सव अग्रिम	123,750		105,000	
- साइकिल अग्रिम	3,750		–	
- मोटर कार अग्रिम	–		160,000	
- आवास निर्माण अग्रिम	750,000	877,500	–	265,000
सी.पी.एफ़. निधि के प्रति				
- स्टाफ़ को अग्रिम/आहरण	9,052,790		5,843,465	
- जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	12,645,945	21,698,735	2,751,624	8,595,089
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) निर्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	1,549,170		1,077,413	
- सी.पी.एफ़. निधि के प्रति	54,534,649	56,083,819	15,443,511	16,520,924
ख) अपनी निधियों से (निवेश-अन्य)	15,000,000		7,500,000	
कर्मचारी के लिए	191,786	15,191,786	1,089,197	8,589,197
IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजीगत काम पर व्यय				
क) स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	73,099		4,651	
- फ़र्निचर तथा अन्य	3,471,246		89,313	
- टेलीफोन उपकरण	19,797	3,564,142	–	93,964

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	43,236		13,236	
- उत्सव अग्रिम	113,325		96,000	
- स्कूटर अग्रिम	5,000		28,000	
- मोटर कार अग्रिम	90,936		65,336	
- साइकिल अग्रिम	625		–	
- पंखा अग्रिम	–		–	202,572
- पक्षों से		253,122	–	–
ग) कर्मचारी से वसूली	1,579		76,580	
देय देनदारी के प्रति	8,187		–	
सी.पी.एफ़. अंशदान और ऋण की वापसी	9,063,233	9,072,999	9,270,728	9,347,308
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ़. निधि में अंतरित राशिः				
- पी.एफ़. में परिषद् के अंशदान के लिए	1,567,975		1,753,510	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	3,544,633		3,443,152	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,814,901		1,605,002	
- अन्य	–	6,927,509	–	6,801,664
योग		**166,104,421**		**95,520,890**

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख) पूँजीगत काम पर व्यय				
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को	–		–	
ख) अतिरिक्त उगाही शुल्क लौटाया	–		–	
ग) अतिरिक्त वसूला गया ऋण लौटाया गया	–	–	–	–
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		1,875		948
VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ़. निधि में अंतरित राशिः				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	3,544,633		3,443,152	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,814,901		1,605,002	
- अन्य	–	5,359,534	–	5,048,154
ख) अग्रिम				
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	8,340		10,625	
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	–		–	
- अन्य के लिए	1,818,560	1,826,900	104,460	115,085
घ) स्टाफ़ को दिया गया चिकित्सा अग्रिम		200		–
ड़) अतिरिक्त राशि सी पी एफ निधि से सामन्य निधि में अंतरित		–	–	
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		8,708		10,000
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	3,094,532		6,523	
- शुल्क उगाही खाता	114,576		451,987	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	439,677		5,349	
- सी.पी.एफ़. खाता	3,674,145	7,322,930	7,513,754	7,977,613
ग) डाक टिकटें		2,375		1,366
योग		**166,104,421**		**95,520,890**

ह0/-
(मार्कण्डेय काटजू)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

❑

संलग्नक - क

मामलों का विवरण

(1 अप्रैल, 2011 - 31 मार्च, 2012)

क्रम सं.	विवरण	धारा–13	धारा–14	कुल
1.	31 मार्च, 2011 को लंबित मामले	227	820	1047
2.	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के बीच दाखिल मामले	170	715	885
3.	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के बीच निर्णीत मामले	24	85	109
4.	परिषद् के सम्मुख सीधे प्रस्तुत मामले	1	1	2
5.	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के बीच जाँच विनियम 1979 के विनियम 5(1) के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीत मामले	228	777	1005
6.	31 मार्च, 2012 को विचाराधीन मामले	144	672	816

विचारगोष्ठी की रिपोर्ट : दिल्ली घोषणा

"संसार के सभी प्रबुद्ध लोग और हमारे सुंदर संसार के प्रत्येक भाग में कार्यरत मीडिया और मीडिया संगठन अपने सतत प्रयासों में एकजुट रहें, ताकि वे पूरे विश्व में कार्य करने वाले एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो मानव जीवन की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने और करुणा, प्रेम तथा सम्मान के साथ विश्व में परस्पर मैत्री, शांति और खुशहाली को बढ़ावा देने और किसी के प्रति द्वेष न रखने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित हो।"

इलीनोर रूज़वेल्ट

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नई दिल्ली, भारत में आयोजित दो–दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी में मीडिया के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया गया ताकि वह मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में और उसके पालन के संबंध में वैश्विक प्रोन्नति का जायजा ले सके और पूरे विश्व के प्रेस परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर संव्यवहार और विचारों का आदान–प्रदान कर सके। इस विचारगोष्ठी में व्यक्त किए गए विचारों में, (i) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सिविल सोसाइटी का अधिकार, (ii) मीडिया मानव अधिकारों का रक्षक, (iii) मानव अधिकार के अतिक्रमण पर रिपोर्टिंग, और (iv) शांतिपूर्ण पत्रकारिता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। व्यक्त किए गए इन विचारों में मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 19 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें यह कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में वह स्वतंत्रता भी शामिल है, जिसके अंतर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखी जा सकती है और किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना और विचार मांगे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं और दिए जा सकते हैं और अपने–अपने देशों में अपने अनुभवों का स्वतंत्र रूप से आदान–प्रदान कर सकते हैं।"

इस शैक्षिक विचारगोष्ठी में यह बात स्वीकार की गई कि हालांकि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकारों का अभिन्न अंग है, तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा संबंधी अध्याय में इसे पूरी मान्यता प्राप्त है हालांकि इसके विपरीत, बोलने और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता कई देशों की जनता को प्राप्त नहीं है। ऐसे देशों में लोगों की आवाज़ को सत्ताधारी प्राधिकारियों द्वारा आंशिक रूप से या व्यापक रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसके परिणामतः स्वतंत्र मीडिया की संकल्पना आज भी कई ऐसे देशों में एक सपना है, जहां सत्ताधारी प्राधिकारी अपने लोगों और अपने मीडिया को यह अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे इस अभिन्न मानव अधिकार का खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें। अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक विचारगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों ने बोलने की स्वतंत्रता और मानव

अधिकारों के परिदृश्य में अपने–अपने देशों की स्थिति पर प्रकाश डाला और यह राय व्यक्त की, कि भारत सहित कई देशों में लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं किया गया है अपितु उसका सम्मान भी किया गया है और इसके परिणामतः मीडिया उग्र रूप से स्वतंत्र है। ऐसे देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र प्रेस पूरी तरह स्वीकृत मीडिया नैतिकताओं का पालन करते हुए कार्य करे। इसके विपरीत कई देशों में, जहां लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और ऐसे देशों में जहां मीडिया को भी स्वतंत्र प्रेस के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती, वहां विश्व के सभी मीडिया संगठनों और मीडिया संघों के लिए यह चिंता की बात है कि वह कौन से प्रभावी तौर–तरीके निकाले जिनसे उन्हें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।

मीडिया पर घातक हमलों घटनाओं पर विचार करते हुए स्टेकहोल्डरों ने यह पाया कि पिछली एक शताब्दी से मीडिया विभिन्न रूपों में संघर्ष कर रहा है ताकि वह जनहित और महत्त्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा दे सके और उसे सुदृढ़ कर सके। इस प्रकार मानव अधिकारों की आड़ में मीडिया की स्वतंत्रता पर चर्चा की गई ताकि संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त किए जा सकें।

मीडिया को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसका यह अधिकार और कर्त्तव्य भी है कि वह लोगों तक विधिमान्य और उपयोगी सूचना भेजे क्योंकि इससे लोगों को बेहतर शासन प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस दृष्टि से मीडिया की स्वतंत्रता "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने के मानव अधिकार का विस्तार नहीं, तो उसका एक भाग तो है ही। "लेकिन यदि मीडिया स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो तब वह मानव अधिकारों का दुरुपयोग करता है।" मीडिया द्वारा परीक्षण, पेड न्यूज, स्टिंग आप्रेशन, सतर्कता संबंधी कुछ कार्य और किसी के निजी जीवन में घुसपैठ मीडिया की ऐसी कुछ प्रवृत्तियां हैं जिनसे मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग किया जाता है।

ऐसी स्थिति में, प्रेस/मीडिया परिषदों का अस्तित्व आवश्यक हो जाता है ताकि वह पत्रकारिता के व्यवसाय में नैतिकता और मानकों को बढ़ावा दे सके और अपने–अपने देशों में निर्धारित नैतिकताओं का पालन कर सके।

व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों को लिपिबद्ध कर दिया गया है।

निष्कर्ष

1. मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। यह

प्रतिष्ठा और इससे पैदा होने वाली समानता वाली स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अभिन्न और एक–दूसरे पर आश्रित हैं। पूरे विश्व के स्टेकहोल्डरों ने जनता की ओर से प्रेस के अधिकार को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए जनहित और महत्त्वपूर्ण मामलों पर स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से विचार व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की।

2. मीडिया का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह मानव अधिकार के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करे। लेकिन ऐसे उल्लंघन के मामलों पर रिपोर्ट करते समय मीडिया को यथार्थ, निष्पक्ष और उद्देश्यपरक रहना चाहिए। मानव अधिकार समूहों द्वारा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने संघर्ष में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया प्रभावी रूप से काम पर लगाया जा सकता है।

3. क्योंकि मीडिया समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हालांकि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार मूलभूत मानव अधिकार है, तथापि यह सीमाहीन नहीं है। ये सीमाएं तभी लागू होती हैं जब विशेष परिस्थितियों को संकीर्णता से परिभाषित किया जाता है।

4. समाचारों और सूचनाओं के व्यापक प्रसारण वाले मीडिया के इस नए युग को नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वह समाज के मूल्यों की संकल्पना को बेहतर समझ सके और सिविल सोसाइटी को इस प्रकार अधिक से अधिक संवेदनशील, सहनशील और करुणा से परिपूर्णता की ओर अभिप्रेरित कर सके जिससे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम की जा सके।

5. मीडिया के कुछ वर्ग साधन–संपन्न लोगों के प्रति गहरा झुकाव रखते हैं। यह विरोध उस स्थिति में स्पष्ट रूप से किया जाता है जब धनी और मध्यम वर्ग के मानव अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं। हालांकि साधन–संपन्न लोगों के अधिकार को बनाए रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साधनहीन लोगों के अधिकारों पर भी अधिक नहीं तो उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए ।

6. मीडिया ने मानव अधिकारों के उल्लंघन को छुट–पुट और इक्का–दुक्का घटना बताया है । लेकिन मीडिया उन्हें सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक नीति से नहीं जोड़ पाया है जिनके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

7. मीडिया टकरावों को दूर करने और कम करने तथा शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायक सिद्ध हो सकता है। विश्व के सभी देशों की शांति और संपन्नता समस्त मानव जाति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए और मानवता तथा विश्व शांति के लिए सेवारत मीडिया को चाहिए कि वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सतत् प्रयास करें।

8. निजता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवेदनशील और विचार–विमर्श का मुद्दा है। अधिकांश लोगों का विचार है कि उस स्थिति में निजता का अतिक्रमण हो जाता है, जब लोकहित का महत्व अधिक होता है, उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार के मामले में जब सुशासन या पार्श्व रूप में गुटबंदी आदि होती है।

सिफारिशें

1. पूरे विश्व के मीडिया विनियामक निकायों/मीडिया संगठनों को चाहिए कि वे विश्व जनमत तैयार करें और मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे यू.एन. और विभिन्न अन्य संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करें, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र की भावना और यू.एन. चार्टर के खिलाफ कुछ राष्ट्रों द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अनुचित रूप से इंकार करने से रोकने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, अकेले किसी भी राष्ट्र के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करना कठिन है। अन्य राष्ट्रों द्वारा विरोध के लिए सशक्त आवाज उठाना और जनमत तैयार करना आवश्यक है ताकि यह अधिकार अनिवार्य रूप में दिया जाए, इस प्रकार का दबाव विशेषतः उन राष्ट्रों में अधिक आवश्यक है, जहाँ बहु–भाषा, बहु–जातीयता और बहु–धार्मिक विश्वास समाज के नाजुक मुद्दे है और जो प्रायः रूढ़िवादियों और फूट डालने वाले तत्वों से पीडित हैं।

2. मीडिया की रिपोर्टिंग में उस समय अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है जब वह मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हों और उस समय बहुत सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि अभिघात से पीड़ित लोगों के फोटो प्रदर्शित करने से जनता में सदमा और भय पैदा न करे और प्रतिशोध में 'अपराधों से घृणा' करे।

3. राष्ट्र के प्रहरी के रूप में मीडिया सिविल सोसाइटी के अधिकारों के बचाव और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है। अपनी भारी पहुंच और शक्ति से मीडिया विश्व में कहीं भी मानव अधिकारों के किसी उल्लंघन पर प्रकाश डाल सकता है और प्राधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक कर सकता है और लोगों को भी जागरूक कर सकता है और उनके अधिकारों और ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण के बारे में शिक्षित कर सकता है। ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को निष्कपट, निष्पक्ष और सही रूप में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। घटनाओं की निष्कपट रिपोर्टिंग करने के अपने कार्य में सरकार, राजनीतिक दलों और आम संगठनों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और समुचित उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना चाहिए।

4. आतंकवाद और विद्रोह के मामले में प्रिंट मीडिया या इलैक्ट्रानिक मीडिया अपने पर नियंत्रण रखेगा और इस संबंध में चिंतन करेगा ताकि मीडिया की रिपोर्ट के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो और जीवन की और हानि न हो, ऐसे स्थानों पर अनुभवी लोगों को तैनात किया जाना चाहिए, जो सभी पक्षों और घटनाओं के पहलुओं की निष्कपट और

वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग कर सकें। स्पष्ट रूप से आतंकवादियों द्वारा मनोवैज्ञानिक संघर्ष और मानव अधिकारों के उल्लंघन की सावधानी से तटस्थ रह कर और सम्पूर्ण जाँच की जानी चाहिए। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके।

5. मीडिया लोगों में कुछ मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूक कर सकता है, जिनमें मानव अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा भी शामिल है। जो मानव जाति के आधारभूत मूल्य हैं। शांति, अहिंसा, निशस्त्रीकरण, पारिस्थितिक संतुलन की अनुरक्षा और संवृद्धि और प्रदूषण रहित वातावरण और सभी के लिए मानव अधिकार सुनिश्चित करना, भले ही वे किसी भी जाति, रंग और मत के हों, मीडिया के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए।

6. वाणिज्यिक हितों के अनुरूप मीडिया को चाहिए कि वह मुद्दों को संवेदनशील या रंगीन न बनाए।

7. मीडिया को चाहिए कि वह चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका, संबंध और समर्पण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करे ताकि कई लोगों के कल्याण और भलाई के लिए उन्मुख समाज का कल्याण और हित हो सके। मीडिया तब ठोस भूमिका निभाता है जब यथार्थ आवाज उठाता है, जब दलित और शोषित, उदास और उपेक्षित गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करता है। पत्रकारों और मीडिया संगठनों को याद रखना चाहिए कि मीडिया कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं है। मीडिया का कारोबार और पत्रकारों का व्यवसाय, ऐसे मिशन से परिपूर्ण होता है जो मिशन चौथे स्तंभ के रूप में सतत् मिशन है और लोकतंत्र का जीवंत भागीदार है। इस आदर्श मिशन के साथ किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

8. अतः मीडिया का तर्क निष्पक्ष होना चाहिए। गरीबों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नेमी और दैनिक वास्तविकता के रूप में लिया जाता है। धनी लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर मीडिया उस पर बहुत ध्यान देता है। मानव अधिकारों के मुद्दे की रिपोर्टिंग में वर्गों के साथ पक्षपात को दूर करने की आवश्यकता है।

9. सिविल सोसाइटी को प्रहरी के रूप में कार्य करना चाहिए। मीडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन विद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का भाग होना चाहिए निचले स्तर पर सामाजिक दबाव मीडिया के लिए मानव अधिकारों की सोच प्रदान करेगा।

10. प्राधिकारियों को चाहिए कि वे मानव अधिकारों की रक्षा के कार्य के महत्व और विधिमान्यता को स्वीकार करें, अतः ऐसे किसी भी व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करे, जो 'व्यक्तिगत रूप से और अन्य लोगों के साथ मिलकर' राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा और प्राप्ति को बढ़ावा देते है, और उसके लिए कार्य

करते हैं, मानव अधिकारों के ऐसे रक्षकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जोखिम विशेष का मुकाबला करते हैं।

11. ऐसे कानूनों और नीतियों का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा मानव अधिकारों और मानव अधिकारों के रक्षकों की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है।

12. संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया और अन्य अतंरराष्ट्रीय मानव अधिकार दोनों का उस स्थिति में पूरा उपयोग करते रहने का प्रयास किया जाना चाहिए जब मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही हो।

13. अतिलक्ष्य वाले और संवेदनशील मानव अधिकार रक्षकों की स्थिति को हमेशा मॉनेटर किया जाना चाहिए और उनके कार्य का समर्थन अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्र और राज्य के संस्थानों के समक्ष हस्तक्षेप करके अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

14. मीडिया को चाहिए कि वह शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्य करे, और विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय सावधानी और नियंत्रण बनाये रखे जिसमें टकराव होने की संभावना हो।

15. निजता या वैयक्तिता की पवित्रता को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए, जब तक उसे वाजिब जनहित में प्रकट करना आवश्यक न हो।

अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी में इसकी समाप्ति परः

यह रिकार्ड किया गया कि : भारतीय प्रेस परिषद् ने विभिन्न देशों के मीडिया कर्मियों, शिक्षाविदों, प्रेस/मीडिया परिषदों में विचारों और सूचना का आदान–प्रदान करने में सराहनीय प्रयास किए और सभी सुख–सुविधाएं उपलब्ध करायीं।

अभिव्यक्ति : यह विश्वास जताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की बैठकें मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूरे विश्व में मीडिया के स्व–विनियमन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध करेगा।

अभिपुष्टि : वैश्वीकरण, पत्रकारिता और मानव अधिकार के वर्तमान युग में यह बैठक एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक परिवर्तन है। अच्छी पत्रकारिता लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा का एक सहायक उपाय है। मीडिया द्वारा ऐतिहासिक भूमिका निभाई जा सकती है और निभाई गई है, उससे केवल संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा अंगीकृत मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में ही मदद नहीं मिली है अपितु इसने इन अधिकारों के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्टिंग के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में भी कार्य किया है।

11वीं सेवावधि के लिए नये सदस्य अधिसूचित

केन्द्र सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत का राजपत्र; असाधारण सं.एस.ओ. 1401(ई) दिनांक 15 जून, 2011 के जरिये भारतीय प्रेस परिषद् की 11वीं तीन वर्षीय अवधि हेतु सत्ताईस नये सदस्यों के नाम अधिसूचित किये हैं। एक नाम की अधिसूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राजपत्र अधिसूचना नीचे पुनः दी गई है :

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1163 नई दिल्ली, बुधवार, 15 जून, 2011 / ज्येष्ठ 25, 1933

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2011

का.आ. 1401(ई):—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप—धारा (5) के अनुसरण में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

श्रमजीवी पत्रकार—सम्पादक (धारा 5 की उप—धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

1.	श्री के.एस. सच्चिदानन्द मूर्ती सम्पादक, मलयाला मनोरमा मलयाला मनोरमा, 2/11, आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली—110 001 निवासः सी—51, आईएफएस अपार्टमैंट्स मयूर विहार, फेस—I, नई दिल्ली—110 091	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक

2. श्री श्रवण कुमार गर्ग
सम्पादक, दैनिक भास्कर
402, रतन ज्योति बिल्डिंग
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110 008

निवासः बी 3/25, सफदरजंग इन्कलेव
ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली–110 029

3. श्री जगजीत सिंह दर्दी
सम्पादक, चढ़दी कला 593
एसएसटी नगर, पटियाला (पंजाब)

निवासः 844, एसएसटी नगर
पटियाला (पंजाब)

4. श्री शीतला सिंह
सम्पादक, जनमोर्चा, इंडस्ट्रीयल एस्टेट
गद्दोपुर, फैजाबाद–224 001, उत्तर प्रदेश

निवासः 9/8/97, बेगम गंज, मकबरा
फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

भारतीय भाषाओं के
समाचारपत्रों के सम्पादक

5. श्री अनिल जुगलकिशोर अग्रवाल
सम्पादक, डेली अमरावती मंडल
खरपर्दे बगीचा, अमरावती, महाराष्ट्र

निवासः मच्छीसाथ, साथ खिराड़ी, नजदीक
युकूबखाबंद, अमरावती–444 601
महाराष्ट्र

6. श्री बिशंभर नेवाड़,
सम्पादक, छपते–छपते,
26–सी, क्रीक रो, कोलकाता–14

निवासः 5बीडी, लक्ष्मी टावर्स,
541 रबीन्द्र सारणी, कोलकाता–700 003

सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार–सम्पादक (धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट

7.	श्री राजीव रंजन नाग मीडिया हाऊस, 275–276 कप्तान गौड़ मार्ग श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली–110 065 निवासः 8–डी स्काईलार्क अपार्टमैंट्स गाजीपुर, दिल्ली–110 096	
8.	श्री उप्पाला लक्षमण कार्या./निवासः 1–1–651/ए/4 पैंट हाऊस, ललिता कृष्णा अपार्टमैंट्स, गांधी नगर, स्ट्रीट नं. 2, हैदराबाद–500 080 आंध्र प्रदेश	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार
9.	श्री अरविंद एस. तेंगसे निवासः 354, बुटिकस नवेलिम सालसिटे, गोवा–403 707	
10.	श्री कौसरी अमरनाथ न्यूज़ सर्विस सिंडिकेट 3–5–874/4, फर्स्ट फ्लोर, स्ट्रीट नं. 5 हैदरगुड़ा, हैदराबाद–500 029 निवासः 6–3–14/101, साईं रेजीडेंसी हस्तिनापुरी कॉलोनी, सैनिकपुरी हैदराबाद–500 094	
11.	श्री कल्याण बरुआ असम ट्रिब्यून 3/14, आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली 1 निवासः 92, कला विहार, मयूर विहार फेस–1 (एक्सटैंशन), दिल्ली	श्रमजीवी पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक न रहे हों

12.	श्री सोनदीप शंकर (कार्य./निवास): आई–3, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110 014	
13.	श्री अरुण कुमार द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स हाऊस फ्रैसर रोड, पटना–800 001 निवासः अबेदिन हाऊस (टॉप फ्लौर) रेडियो स्टेशन के पीछे, बाटा शॉप फ्रैसर रोड, पटना–800 001, बिहार	श्रमजीवी पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक न रहे हों

व्यक्ति, जो समाचारपत्रों के स्वामी या प्रबंध का कारोबार करते हों (धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

14.	श्री विजय कुमार चोपड़ा पंजाब केसरी बिल्डिंग, सिविल लाइन्स जालंधर–144 001, पंजाब निवासः ई आर–129, पक्का बाग, जालंधर–144 001, पंजाब	
15.	श्री संजय गुप्ता दैनिक जागरण, 501, आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001 निवासः सी–26, फ्रैन्ड्स कालोनी (ईस्ट) नई दिल्ली–110 065	बड़े समाचारपत्रों के प्रवर्ग से
16.	श्री गुरिन्दर सिंह इंडियन आबजरवर, एफ–26 कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110 001 निवासः डी–253, डिफैंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110 024	मध्यम समाचारपत्रों के प्रवर्ग से

17.	श्री विजय कुमार चोपड़ा, फिल्मी दुनिया, बी–10, शिव अपार्टमैंट्स 7, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स दिल्ली–110 054 निवासः ए–7, सेक्टर 33, नोएडा–201 301 (उत्तर प्रदेश)	मध्यम समाचारपत्रों के प्रवर्ग से
18.	डॉ. रामासुब्बा अय्यर लक्ष्मीपति "हेल्थ" प्रोफेशनल पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि. "लक्ष्मी" 21, सत्य साईं नगर मदुरई–625 003 निवासः 27, "श्रीराम" सत्य साईं नगर मदुरई–625 003, तमिलनाडु	छोटे समाचारपत्रों के प्रवर्ग से

व्यक्ति, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हों (धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

19. श्री नीरज बाजपेई
यूनाईटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया
9, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001

निवासः 9/60, जज कॉलोनी वैशाली,
गाजियाबाद

व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो (धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

20.	श्री राजीव साबाड़े निदेशक, सेन्टर फॉर मीडिया एंड पब्लिकेशन यशाड़ा, राजभवन, काम्पलैक्स बैनर रोड़, पुणे–411 007	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट

21.	श्री मिलन कुमार डे वरिष्ठ अधिवक्ता चेयरमैन, एक्सीक्यूटिव कमेटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्सरा होटल के पीछे, सर्कुलर रोड पी.ओ. लालपुर, राँची–834 001, झारखंड	भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट
22.	श्री ए. कृष्णा मूर्ती वर्तमान पताः 208, आम्रपाली अपार्टमैंट्स आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110 092 स्थाई पताः एस–4, ए–ब्लॉक, शांतिनिकेतन अपार्टमेंट्स अराकेरे बैंगलूरु–560 076, कर्नाटक	साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट

संसद सदस्य (धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

23.	कु. मीनाक्षी नटराजन वर्तमान पताः 24, अकबर रोड, नई दिल्ली स्थायी पताः 23, एमआईजी, इंदिरा नगर, रतलाम मध्य प्रदेश	
24.	श्री हरीन पाठक वर्तमान पताः 4, साउथ एवेन्यू लेन नई दिल्ली–110 011 स्थायी पताः "मधुरम" प्राणकुंज सोसाइटी पुष्पकुंज, मणीनगर, अहमदाबाद गुजरात–380 028	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट

25. श्री संजय दीना पाटिल
वर्तमान पताः महराष्ट्र सदन, नई दिल्ली

स्थायी पताः संजय अपार्टमैंट्स
दीना पाटिल एस्टेट, स्टेशन रोड
भांडुप (प.) मुम्बई–400 078

लोक सभा के अध्यक्ष
द्वारा नामनिर्दिष्ट

26. श्री राजीव शुक्ला
वर्तमान पताः सी–1/2, लोदी गार्डन
अमृता शेर गिल मार्ग, नई दिल्ली

स्थायी पताः 119/501
दर्शन पुरवा, कानपुर
उत्तर प्रदेश–208 012

27. श्री प्रकाश जावड़ेकर
वर्तमान पताः 24, महादेव रोड
नई दिल्ली–110 001

स्थायी पताः 11,
सुवान अपार्टमैंट्स
मयूर कॉलोनी
कोथरुड, पुणे–411 038
महाराष्ट्र

राज्य सभा के सभापति
द्वारा नामनिर्दिष्ट

[फा. सं. 4/8/2010–प्रेस]
खुर्शीद अहमद गनाइ, संयुक्त सचिव

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1915] नई दिल्ली, बुधवार, 5 अक्तूबर 9, 2011 / आश्विन 13, 1933

सूचना और प्रसारण मंत्राालय

अधिसूचना

का.आ. 2305 (ई)— केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू को भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करती है।

[फा. सं. 4 / 11 / 2011—प्रेस]
खुर्शीद अहमद गनाइ, संयुक्त सचिव

न्यायनिर्णयों का आलेख 2011-2012

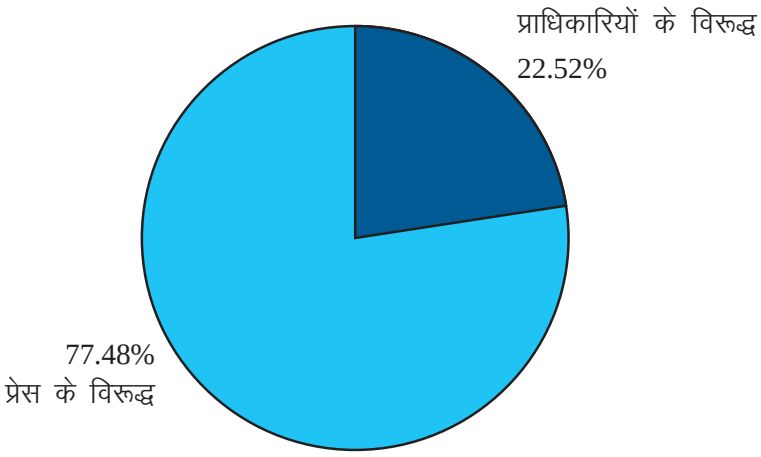

*प्राधिकारियों के विरूद्ध

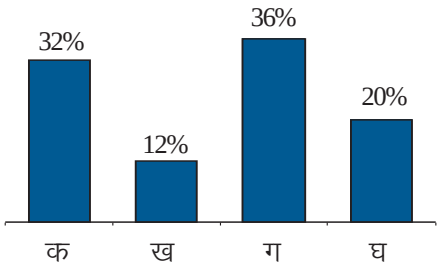

*प्रेस के विरूद्ध

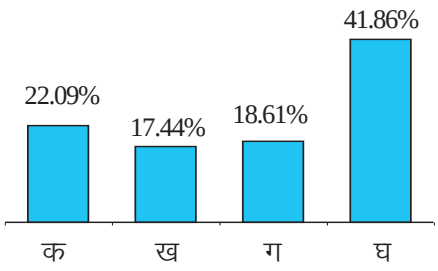

पाद टिप्पणः

क. अनुमोदित

ख. अस्वीकृत

ग. आश्वासन/निपटान/संशोधित

घ. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण कार्रवाई बंद

* दो मामलों सहित, (प्रत्येक श्रेणी में एक) जिन्हें सीधे ही परिषद् के सम्मुख रखा गया

दिनांक 23.11.2011 को अनुसंधान मिशन संबंधी दक्षिण अफ्रीका के प्रेस फ्रीडम कमीशन के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर रिपोर्ट

दक्षिण अफ्रीका के प्रेस फ्रीडम कमीशन के पांच कार्यपालकों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रिंट मीडिया में विनियम की संरचना का पता लगाने के लिए माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू से दिनांक 23 नवंबर, 2011 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सुश्री नटोंबिफुथी म्थोबा, बिजनेस प्रतिनिधि, प्रोफेसर क्वामे कैरकारी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, सुश्री जाबुलिले मालोटसाने, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री म्वुयो म्हांगवाने, काउंसिलर, पॉलिटिकल साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन और श्री मनोज नायर, सूचना अधिकारी, साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन शामिल थे। श्री श्रवण गर्ग, सदस्य, श्री राजीव रंजन नाग, सदस्य और श्री एस.एन. सिन्हा तथा श्री जोगेंद्र चावला, पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद्, और भारतीय प्रेस परिषद् के सचिव तथा अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष के इतिहास का उल्लेख किया, जो अंततः विदेशी शासकों से भारत की स्वतंत्रता के नेता सिद्ध हुए। भारत द्वारा नस्लवाद के मुद्दे पर समर्थन किए जाने पर श्री नेल्सन मंडेला द्वारा इसी प्रकार किए गए संघर्ष की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दक्षिण अफ्रीका को मिली वास्तविक स्वतंत्रता और वहां के लोकतंत्र पर प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि दोनों देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी भी वहां आर्थिक समस्याएं, गरीबी आदि बनी हुई है और मीडिया ने वहां आदर्श भूमिका निभाई है जो बेहतर जीवन जीने के ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण बात है।

प्रेस फ्रीडम कमीशन के दौरे का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के प्रिंट मीडिया और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संपादकों के फोरम द्वारा की गई शुरुआत थी, जिसके कारण प्रिंट मीडिया में इसकी बहुत आलोचना हुई और इसे स्व–नियमन की विधि अपनानी पड़ी। प्रेस की स्वतंता में लोकतांत्रिकता को बढ़ावा देने के लिए मानव की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता और विशेषतः स्थानीय और वैश्विक प्रिंट मीडिया के विनियमन के संबंध में अनुसंधान किया जाना था। इस प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में स्व–विनियमन, सह–विनियमन, स्वतंत्र विनियमन और राज्य विनियमन पर भी चर्चा की।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आई है कि दक्षिण अफ्रीका में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक सांविधिक निकाय द्वारा विनियमित किया जाता है और इसके प्रमुख एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं।

परिषद् के सचिव ने वर्ष 1966 में परिषद् की स्थापना और भारतीय प्रेस परिषद् के वर्तमान गठन से संबंधित मामले, कार्य, उद्देश्य, शक्तियां, शिकायत, नामांकन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताया तथा मीडिया में नैतिकता, सरकारी सूचनाओं तक पहुंच और उनका प्रकाशन, मीडिया संबंधी शिक्षा में प्रशिक्षण और मीडिया उद्योग के ढांचे के वित्तपोषण पर गहन चर्चा की गई।

सूचनाओं के आदान–प्रदान से दोनों देशों को लाभ हुआ। इससे मीडिया और मीडिया विनियामक निकायों के कार्यों की गहन जानकारी प्राप्त हुई।

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतो में न्याय निर्णयों की विषयगत सारिणी (20112-012)

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1.	श्री सतीश भाटिया, जिला संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की सामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत।	17 नवम्बर, 2011	निष्फल होने के कारण समाप्त
2.	श्री अवधेश सिंह पटेल, संवाद्दाता, अमर उजाला, बांदा, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत।	,,	निदेश
3.	महा सचिव, यू.टी. पत्रकार संघ, दमन की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत।	,,	प्रेक्षणों सहित निबटान
4.	श्री सतीश शर्मा, प्रबंध सम्पदाक की सवेरा इंडिया टाइम्स, ननी दमन की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत।	,,	प्रेक्षणों सहित निबटान
5.	श्री अनुराग श्रीवास्तव, संवाद्दाता, स्वतंत्र भारत, कानपुर, उत्तर प्रदेश की एस.एच.ओ., जालौन, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	,,	परामर्श
6.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, मालिक/प्रकाशक/संपादक, साप्ताहिक अमर तानव, हाथरस, जिला महामाया नगर, उत्तर प्रदेश की श्री एस.आर. आदित्य, पुलिस अधीक्षक एस.पी. सिंह, जिला समाज कल्याण विभाग और श्री नारायण लाल, एजेंट, जिला समाज कल्याण विभाग के विरूद्ध शिकायत।	,,	प्राधिकारियों को सावधान किया गया

वि.– न्याय निर्णयों का विलय

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
7.	श्री कमलेश कुमार झा, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, समस्तीपुर, बिहार की श्री महेश्वर हजारी, विधायक, बिहार के विरूद्ध शिकायत।	27 मार्च, 2012	निबटान
8.	श्री राम सिंह गौतम, संवाद्दाता, मानवता की रक्षा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की श्री नवीन मित्तल, अधिवक्ता, बुलंदशहर के विरूद्ध शिकायत।	”	न्यायाधीन
9.	श्री मुकेश ठाकुर, संवाद्दाता, अग्नि ब्लास्ट मासिक पत्रिका, इंदौर, मध्य प्रदेश की (i) श्री उमा शंकर गुप्ता, राज्य गृह मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल (ii) एस.एस.पी., इंदौर (iii) आईपीएंडआरडी आयुक्त, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	”	खारिज
10.	श्री अशोक सिंघल, प्रकाशक/संपादक, धौलपुर तीक्ष्ण, धौलपुर, राजस्थान की जिला प्रशासन, धौलपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत।	”	खारिज
11.	श्री बी.एन. देवदास, अधिवक्ता कोयम्बतूर तमिलनाडु की उप शहरी आयुक्त, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत।	”	न्यायाधीन
12.	श्री के. नागईमुगन, चेन्नई, तमिलनाडु की पुलिस प्राधिकरण के विरूद्ध शिकायत।	”	न्यायाधीन
13.	'हिंदुस्तान टाइम्स' 'दी हिन्दू' और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के दिनांक 3.3.2010 के अंकों में प्रकाशित 'कन्नड़ प्रभा' और 'जयकिरण' के कार्यलयों में कथित हमले पर मूल कार्रवाई।	”	जाँच समाप्त
	प्रेस को सुविधायें		
14.	श्रीमती नजमा बेगम, प्रकाशक/संपादक, हिंदी दैनिक एक्शन, भोपाल, मध्य प्रदेश की डी.ए.वी.पी. के विरूद्ध शिकायत।	17 नवम्बर, 2011	निदेश

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
15.	श्री हरजीत दुआ, फ्रीलांसर, दिल्ली की सूचना और प्रचार निदेशालय, एनसीटी, दिल्ली सरकार के विरूद्ध शिकायत।	17 नवम्बर, 2011	निदेशों सहित निबटान
16.	श्री यू.एस. सिंघल, संपादक (पी जी) पब्लिक न्यूज (ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय समाचारपत्र) पीतमपुरा, नई दिल्ली की सुश्री सुषमा गौड़, वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी, डीएमआरसी, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत।	,,	मामला समाप्त
17.	श्री अमर सिंह जौहरी, संपादक, आखिरी कोशिश, पानीपत, हरियाणा की निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और मुख्य निवार्चन अधिकारी, हरियाणा चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निबटान परामर्श सहित
18.	श्री कमल बक्शी, संपादक/प्रकाशक, दिव्य प्रभात, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की (i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और (iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरूद्ध शिकायत।	27 मार्च, 2012	प्रेक्षणों सहित निबटान
19.	श्री रामचरण माली, संपादक, वनवासी एक्सप्रेस, बारन, राजस्थान की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के विरूद्ध शिकायत।	,,	निदेशों सहित निबटान
20.	श्री अनुराग शुक्ला, पत्रकार, सत्ता एक्सप्रेस, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	,,	निदेश
21.	श्री विनय गुप्ता, मुख्य सचिव, इंडियन न्यूजपेपर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पीतमपुरा, नई दिल्ली की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंडीगढ़, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत।	,,	निदेश

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
22.	श्री मदन वर्मा, संपादक, गुड हरियाणा, जींद, हरियाणा की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंढीगढ और सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत।	27 मार्च, 2012	खारिज
23.	मो0 अब्दुल अज़ीम स्वच्छंद पत्रकार, हैदराबाद की निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	”	निबटान
24.	श्री पी.वी. रमन राव, संवाद्दाता, पीटीआई, गंतूर, आंध्र प्रदेश की जिला जन संपर्क अधिकारी, गंतूर के विरूद्ध शिकायत।	”	खारिज

प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतों में न्याय निर्णयों की विषयगत सारिणी (2011-2012)

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	सिद्धांत और प्रकाशन		
1.	श्री अमर कुमार सिंह, हैड अंग्रेजी विभाग, एस.के.एम. विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड की संपादक, प्रभात खबर के विरूद्ध शिकायत ।	17 नवम्बर, 2011	खारिज
2.	श्री नवदीप सिंह विर्क, आई.पी.एस., अपर पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा की संपादक, अमर उजाला, नोयडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर बंद
3.	श्री शिव कुमार फैजाबादी, सचिव, जागरूक नागरिक मंच, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, माया अवध, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खेद प्रकाशित मामाला समाप्त
4.	श्री अशोक कोमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	प्रेक्षणों सहित निबटान
5.	श्री एम.के. बेनिवाल, नई दिल्ली की संपादक, दी हिंदु, तमिलनाडु, के विरूद्ध शिकायत । वि0	”	निराधार होने पर खारिज
6.	श्री एम.के. बेनिवाल, नई दिल्ली की संपादक, दी हिंदु, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	निराधार होने पर खारिज
7.	श्री एन.बी. मणि, अवर सचिव, टेक्नॉलोजी विभाग बोर्ड, साइंस और टेक्नॉलोजी मंत्रालय, नई दिल्ली की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर बंद

वि0: न्यायनिर्णयों का विलय

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
8.	श्री चन्द्र भूषण शर्मा, प्रधानाचार्य, एस.एस. कॉलेज, शास्त्री नगर, जहानाबाद बिहार की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च 2012	खारिज
9.	श्री वी.एम. बेदसे, नासिक, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों/ प्रेक्षणों सहित निबटान
10.	श्री वी.एम. बेदसे, नासिक, महाराष्ट्र की संपादक, सकल, पुणे के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	निदेशों/ प्रेक्षणों सहित निबटान
11.	श्री वी.एम. बेदसे, नासिक, महाराष्ट्र की संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, मुम्बई के विरूद्ध शिकायत ।		,,	खारिज
12.	डॉ0 जोरा सिंह, अध्यक्ष, देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, चंडीगढ़ की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।		,,	अस्वीकृत
13.	श्री नंगसैंलेम्बा एओ, जेडीपीआर जनसंपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की संपादक, दैनिक भास्कर, जोधपुर, राजस्थन के विरूद्ध शिकायत ।		,,	खारिज
14.	श्री एस.वी. मनी, पत्रकार/लेखक, चेन्नई की संपादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	बंद
15.	श्री एस.वी. मनी, पत्रकार/लेखक, चेन्नई की संपादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निबटान

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
16.	श्री आर. मनोहर, हैड प्रोग्राम्स, मानवाधिकार शिक्षा एवं मॉनीटरिंग दक्षिण भारत सैल बेंगलूरू की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च 2012	निदेश
17.	श्री आर. मनोहर, हैड प्रोग्राम्स, मानवाधिकार शिक्षा एवं मॉनीटरिंग, दक्षिण भारत सैल बेंगलूरू की संपादक, डेक्कन क्रॉनिकल,, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	निदेश
18.	चौधरी वी. सूर्यनारायन, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, हैदराबाद के विरूद्ध शिकायत।		,,	बंद
	प्रेस और मानहानि			
19.	श्री अनिल कुमार कमल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, बिजनौर टाइम्स, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		17 नवम्बर, 2011	भर्त्सना
20.	श्री अनिल कुमार कमल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, चिंगारी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	भर्त्सना
21.	श्री अनिल कुमार कमल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	भर्त्सना
22.	श्री अनिल कुमार कमल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, रॉयल, बुलेटिन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	भर्त्सना

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
23.	श्री ए.टी.एम. रंगरामानुजम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली की संपादक आंध्र ज्योति, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	17 नवम्बर 2011	कोई कार्रवाई नहीं
24.	श्री ए.टी.एम. रंगरामानुजम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली की संपादक साक्षी, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0 ,,	निदेश
25.	श्री डी.एन. नागेन्द्र जायस, शिमोगा, कर्नाटक की सम्पादक, लक्ष्मीशा पत्रिके के विरूद्ध शिकायत ।	,,	जारी न रखने पर निबटान
26.	डॉ. पदमजा जयराम, अनुराधा नर्सिंग होम, शिमोगा जिला, कर्नाटक की संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिके, कन्नड़ साप्तहिक के विरूद्ध शिकायत ।	,,	सावधान
27.	श्री अशोक नाथ, सहायक, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की संपादक, आनंद बाजार पत्रिका, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्युत्तर प्रकाशित
28.	श्री अशोक नाथ, सहायक, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की संपादक, दी टेलीग्राफ कोलकाता के विरूद्ध शिकायत ।	वि0 ,,	प्रत्युत्तर प्रकाशित
29.	एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवा निवृत्त) गोवा की संपादक, आउटलुक पत्रिका, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों सहित निबटान
30.	सुश्री रीता सेन, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली की संपादक, दि इक्नॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	,,	भर्त्सना

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
31.	श्री देवी राम, की अपने अधिवक्ता श्री तेजबीर एस. अहलावत, रोहतक, हरियाणा के जरिये संपादक, दैनिक जागरण, नोएडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	17 नवम्बर, 2011	भर्त्सना
32.	सचिव, राजधानी नगर सहकारी बैंक लि. लखनऊ, उत्तर प्रदेश (एडवोकेट श्री आशुतोष पांडे के जरिये) की संपादक, लोक दृष्टि, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर बंद
33.	श्री आर.पी. मिश्रा, लेखा अधिकारी, यू.पी. जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम की संपादक, प्रखर विचार/ पत्रिका आस्था, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित
34.	श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, रेलवे, की संपादक, आज, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर बंद
35.	श्री जगदीश प्रसाद, धोबी मोहाल कानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	जारी न रखे जाने पर बंद
36.	श्री रियाज अहमद खाँ, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति (अधिवक्ता एस. जुल्फेकार हसनेन नक्वी) की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	प्रत्याहृत
37.	डॉ. विनोद कुमार राय, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर. आर. मेमोरियल सर्जिकल सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की संपादक, नामांतर, हिंदी मासिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
38.	मौ. अमीर रशदी मदानी, नजीम, जमीयत–उर–रशद मदरसा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की संपादक, आज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	17 नवम्बर, 2011	चेतावनी
39.	मौहम्मद मोतिन खान, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट–II, सरस्वाती, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत ।	,,	जारी न रखे जाने पर बंद
40.	श्री ब्रह्म कुमार त्रिमूर्ति प्रबंधक, खादी कर्मचारी/श्रमिक कल्याण समिति, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, जनमोर्चा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों सहित निबटान
41.	श्री सुमन डागर, अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन पंचायत मंदिर, बियावर, राजस्थान की संपादक, डिक्टेटर, बियावर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों सहित निबटान
42.	श्री पी.पी. कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक, श्रमिक संघ, जिला पानीपत, हरियाणा की संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्याहृत
43.	श्री आर.डी. राही, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, हरदोई की संपादक, दैनिक आज के विरूद्ध शिकायत ।	,,	निबटान
44.	श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,	प्रत्याहृत
45.	श्री जी.एन.के. तोमर, मुख्य महानिदेशक, आल इंडिया बैंक रिकवर रैपिड एक्शन फोर्स, नोएडा की सम्पादक, दैनिक जागरण नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत । वि0	,,	बंद

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
46.	श्री जी.एन.के. तोमर, मुख्य महानिदेशक, आल इंडिया बैंक रिकवर रैपिड एक्शन फोर्स, नोएडा की सम्पादक अमर उजाला नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	17 नवम्बर, 2011	बंद
47.	श्री संदीप कुमार वर्मा, मुख्य रेल टिकट परीक्षक, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड की संपादक, दैनिक जागरण, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
48.	डॉ. राम शर्मा, प्राध्यापक, मेरठ कैंट, (अधिवक्ता के जरिये) उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	कार्यवाही बंद कर दी गई
49.	श्री अभिराम दास, बालासोर, उड़ीसा की संपादक, ओडिसा खबर, बालासोर, उड़ीसा के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
50.	श्री विनोद कुमार शर्मा, उपाधीक्षक, शिक्षा–सह–प्रादेशिक शिक्षा अधिकारी, बनीपुर, दरभंगा, बिहार की संपादक, हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च, 2012	खारिज
51.	श्री एस. कामराजू, तालूक और जिला परमबलूर, तमिलनाडु की संपादक, विलमूरासू मासिक पत्रिका, चेन्नई तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
52.	कुमारी नीलम गुप्ता, अलीगढ़ की संपादक अकिंचन भारत के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	निदेशों / प्रेक्षण सहित निबटान
53.	कुमारी नीलम गुप्ता, अलीगढ़ की संपादक दैनिक हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों / प्रेक्षण सहित निबटान

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
54.	श्री एम.एस. बिट्टा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट, नई दिल्ली की श्री विरेश शांडिल्य, मुख्य संपादक, दैनिक ज्योतिकन, अंबाला के विरूद्ध शिकायत ।	27 मार्च, 2012	निबटान
55.	श्री ओम प्रकाश, अवर सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मेस्यूटिकल्स, नेशनल फार्मोस्यूटिकल प्राइज़िग अथॉरिटी, नई दिल्ली की संपादक, मैडिकेयर न्यूज, पाक्षिक रोहतक, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
56.	श्री लक्ष्मी वरधन शर्मा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
57.	श्री नवीन एच. पंडया, मलाद ईस्ट, मुंबई की संपादक, दि इकनॉमिक टाइम्स, मुंबई के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
58.	श्री देओराज सिंह पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा) की संपादक, प्रजा ताज, रीवा, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
59.	श्री निलोतपाल बासू, सदस्य, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, इकोनामिक्स टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
60.	श्री दिवान सिंह, निर्वाचन एजेंट, भिवानी, हरियाणा की संपादक, अभी–अभी, हिसार, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज
61.	श्री जगदीश वर्मा, निजी सचिव शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला शिमला की संपादक, दैनिक भास्कर, शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	”	खारिज

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
62.	श्री अनिल डावरा, आई.पी.एस., अपर महानिदेशक पुलिस, (सीआईडी) चंडीगढ़ की संपादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत ।	27 मार्च, 2012	खारिज
63.	श्री आर. सतशिवम, मदुरई, तमिलनाडु की संपादक, दिनामलार, मदुरई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत।	”	खारिज
64.	श्रीमति के. जयलक्ष्मी, जिला – करूर, तमिलनाडु की संपादक, कुमुदम रिपोर्टर पत्रिका, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत।	”	परिनिंदित
65.	श्री एच.एन. कृष्णामूर्ति, टूडकी गाँव, शिमोगा, कर्नाटक की संपादक, वारादी शिमोगा, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत।	”	बंद
66.	श्री एच.एम. महाबाला भट्ट, थिरथहल्ली, शिमोगा जिला कर्नाटक की संपादक, विधाता, थिरथहल्ली, जिला शिमोगा, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत।	”	बंद
67.	श्री एम. जी. यथिश, महा सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टेक्निकल अधिकारी एसोसिएशन (रजि.) बेंगलूरू, की संपादक, परिसर मालिन्य, बेंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत।	”	खारिज
68.	श्री एम. लक्ष्मण, संयोजक, एसोसिएशन ऑफ कन्सर्ड एडं इन्फॉर्म्ड सिटीज़न्स ऑफ मैसूर की संपादक, श्रीनाथ पत्रिका, कन्नड पाक्षिक मैसूर के विरूद्ध शिकायत।	”	निबटान
69.	श्री अब्दुल कलाम आजाद, राष्ट्रीय गोल्ड पैलेस, शिमोगा जिला, कर्नाटक की संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिके, कन्नड साप्ताहिक, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत।	”	बंद

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
70.	डॉ0 जी.एन. शिवन्ना रेड्डी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और एफ.डब्ल्यू अधिकारी, करवर, (उत्तर कन्नड) कर्नाटक की संपादक, करावली मुनजावू, करवर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च, 2012	भर्त्सना / परिनिंदित
71.	श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस, बेंगलूरू, के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
72.	श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, मिड डे, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
73.	श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	परिनिंदित
74.	श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, डी.एन.ए. बेंगलोर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
75.	श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
76.	श्री के. सुधाकर, जिला पंचायत अधिकारी काकिनाडा, आंध्र प्रदेश की संपादक, वाराधी दैनिक, काकिनाडा, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।		,,	परिनिंदित
77.	डॉ0 पी. सुब्बा रेड्डी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश की संपादक, इनाडु के विरूद्ध शिकायत।	वि0	,,	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं
78.	डॉ0 पी. सुब्बा रेड्डी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश की संपादक, साक्षी, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।		,,	कोई कार्रवाई अपेक्षित नही

क्र. सं.	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
79.	श्री कृष्णा राव पात्र, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की संपादक, आंध्र भूमि, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च, 2012	खारिज
80.	श्री कृष्णा राव पात्र, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की संपादक, आंध्र ज्योति, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	वि0	,,	खारिज
81.	श्री कृष्णा राव पात्र, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की संपादक, साक्षी विशाखापटनम के विरूद्ध शिकायत ।		,,	खारिज
	प्रेस और नैतिकता			
82.	श्री जयंत डेका और अन्य (एडवोकेट) मंगलदाई, जिला कोर्ट, असम की संपादक, असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी, असम के विरूद्ध शिकायत ।		17 नवम्बर, 2011	परामर्श
83.	श्रीमती सुप्रीता एस. अमीन, प्रधानाचार्य, एम.आई.सी.ई. उडुपी (उपायुक्त उडुपी कर्नाटक सरकार के जरिए), कर्नाटक की संपादक इंडिया टुडे, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च, 2012	खारिज
	साम्प्रदायिक जातीय, राष्ट्र विरोधी लेखन			
84.	कर्नल संजय दीक्षित, उत्तर कमान जीएस (आई डब्ल्यू) की संपादक ग्रेटर कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर के विरूद्ध शिकायत ।		17 नवम्बर, 2011	खंडन प्रकाशित करने के लिए सहमत
85.	श्री डी. वेंकटेशन, चेन्नै की संपादक, आउटलुक, सफदरजंग एनकलेव, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।		27 मार्च, 2012	प्रेक्षणों सहित कार्रवाई बंद

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकार्ड किए गए सिद्धांतों की सूची

प्रेस को सुविधायें

प्राधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे छोटे समाचारपत्रों को उत्पीड़ित न करें और लोकधन न्यासी के रूप में, सरकार की कार्यवाई में पारदर्शिता लाना अनिवार्य है ताकि एक ही प्रकार के समाचारपत्रों के लिए निर्णय सही और समुचित हों और शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध लेने के लिए अथवा समझौताकारी न हो। **(श्रीमती नजमा बेगम, संपादक/प्रकाशक, हिंदी दैनिक एक्शन, भोपाल, मध्य प्रदेश बनाम डीएवीपी, शिकायत सं0 6, पीसीआई रिव्यू, जनवरी 2012)**

यह समझ में आता है कि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है और दांडिक अपराध के लिए दंडित किया जाता है तथा प्रत्यापन देने से नकार दिया जाता है, परंतु प्राथमिकी दर्ज़ किये जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे दोषी हैं। पत्रकारिता जैसे व्यवसाय में, ऐसे प्रावधान ऐसे अवसर मुहैया करा सकते हैं जिनसे विवश होकर पत्रकार प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों को लेकर शिकायत कर सकते हैं। **(श्री हरजीत दुआ, स्वतंत्र पत्रकार, दिल्ली बनाम मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार और सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, शिकायत सं0 7, पीसीआई रिव्यू, जनवरी 2012)**

प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में न्यायनिर्णयों में रिकार्ड किए गए सिद्धांतों की सूची

सिद्धांत और प्रकाशन

रिपोर्ट/लेख/पत्रों के प्रकाशन के लिए सामग्री का चयन करना संपादक के विवेक के अंतर्गत आता है और संपादक को बाध्य करने के लिए प्रेस परिषद् कोई माध्यम या तरीका नहीं है कि वह उस सूचना को उसमें शामिल करे। **(श्री वी.एम वेडसे, नासिक, महाराष्ट्र बनाम संपादक (i) लोकसत्ता, मुंबई, (ii) महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबई और (iii) सकल, पुणे, शिकायत संख्या 16, पीसीआई रिव्यू, अप्रैल 2012)**

प्रेस और मानहानि

समाचारपत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामलों पर समाचारों, विचारों/टिप्पणी और सूचना पाठकों को निष्पक्ष और सम्मानित तरीके से उपलब्ध कराएं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी समाचार रिपोर्ट के संबंध में उचित सावधानी और सतर्कता तथा समयबद्धता का पालन करें जिसमें किसी व्यक्ति के कॅरियर की प्रगति के लिए जोखिम बन सकता है और वह इस प्रकार की भाषा को संयत रखे जिससे संवेदनशीलता पैदा हो सकती है। **(श्री अशोक कुमार नाथ, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता बनाम संपादक (i) आनंद बाजार पत्रिका, और (ii) टेलीग्राफ, कोलकाता शिकायत संख्या 20, पीसीआई रिव्यू, जनवरी 2012)**

मानहानिकारक लेखों के प्रति सतर्कता संबंधी नैतिक मानदंड अपेक्षित हैं, जिनमें समाचारपत्रों और पत्रिकाओं द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं छापा जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट रूप से मानहानिकारक या अपमानजनक हो, बशर्ते कि ऐसा उचित सावधानी और सत्यापन किए जाने के बाद किया जाए तथा ऐसा करने के विश्वसनीय कारण/प्रमाण विद्यमान हों कि यह सही है तथा यह प्रकाशन जनता के हित के लिए किया जाएगा। **(श्री एस कामराजू, पेरांबलूर तालुक और जिला, तमिलनाडु बनाम संपादक, विलमुरासु, मासिक पत्रिका, चेन्नै, शिकायत संख्या 24, पीसीआई रिव्यू, अप्रैल 2012)**

सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन/संस्था के कार्यों और आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकारों के मापदंड प्रेस को यह अधिकार देते हैं कि वह इसकी निष्पक्ष आलोचना कर सकते हैं। अतः ऐसे निकाय उनके कार्य की आलोचनात्मक रिपोर्टें करने के संबंध में मानहानि का आरोप नहीं लगा सकते हैं। **(नेशनल फार्मास्यूटिकल**

प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए), फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली बनाम संपादक, मैडी केयर न्यूज फोर्टनाइटली, रोहतक, हरियाणा, शिकायत संख्या 27, पीसीआई रिव्यू, अप्रैल 2012)

प्रेस और नैतिकता

समाचारपत्र को सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इसके प्रकाशन से युवा लोग भटक सकते हैं या भ्रष्ट हो सकते हैं **(श्री जयंत डेका और अन्य, असम बनाम संपादक, असमिया प्रतिदिन, असम, शिकायत संख्या 41, पीसीआई रिव्यू, जनवरी, 2012)**

राष्ट्र–विरोधी लेखन

कश्मीर घाटी में प्रेस का एक विशिष्ट कार्य है अर्थात वह सेना, प्रशासन और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र है। समाचारपत्र अपने लेख या राय में व्यक्तियों के संबंध में ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते जिससे प्राधिकरण और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया पैदा हो और विश्वास के ताने–बाने को नुकसान पहुंचे। हालांकि इसके लिए पूरी व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सेना के कार्मिकों के विवरण जांच के मामलों में शामिल हैं और जांच पूरी होने पर उन्हें आदर्श के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है और इस संबंध में दिए गए विवरणों को प्रकाशित किया जा सकता है। अतः ऐसे किसी भी प्रकाशन के संबंध में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए ताकि इसको सही किया जा सके और इस संबंध में यह सलाह दी जाती है कि समाचारपत्रों को दोनों पक्षों के संबंध में संतुलित विचार व्यक्त करने चाहिए और अपने लेखों की रिपोर्टिंग/प्रकाशन में इसके प्रभावों का विश्लेषण करना चाहिए **(कर्नल संजय दीक्षित, कर्नल जनरल स्टाफ, उत्तरी कमान जी एस (आईडब्ल्यू), मार्फत 56 एपीओ बनाम संपादक, ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर, शिकायत संख्या 42, पीसीआई रिव्यू, जनवरी, 2012)**

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषय सूची (2011-2012)

क्र. सं.	पक्षों के नाम	आदेश की तिथि	आदेश पारित
1.	श्री विकाश स्वैन, मालिक और प्रकाशक, सूर्यप्रवा, उड़िया दैनिक की घोषणापत्र रद्द करने के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट, खोरदा, उड़ीसा द्वारा जारी आदेश दिनांक 8.9.2009 के विरूद्ध अपील	23.8.2011	आक्षेपित आदेश अपास्त
2.	सुश्री गीता हांडा, करोल बाग, दिल्ली की भारत के समाचारपत्र पंजीयक, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.3.2011 के विरूद्ध अपील	23.8.2011	अस्वीकृत
3.	श्री मनसुखभाई गंगाशंकर रावल, जिला अमरेली, गुजरात की सब–डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, अमरेली, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.11.2010 के विरूद्ध अपील	23.8.2011	अस्वीकृत
4.	श्री बिपिनगिरि के गोस्वामी, संपादक, गोस्वामी प्रकाश और श्री बलदेव गिरि एम. गोस्वामी, सचिव, श्री महागुजरात दशनाम गोस्वामी महामंडल, गांधीनगर गुजरात की सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गांधी नगर, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.7.2008 के विरूद्ध अपील पर प्रेस और रजिस्ट्रेशन अपील बोर्ड के आदेश दिनांक 7.8.2009 के संदर्भ में अध्यक्ष/सचिव, महागुजरात दशनाम गोस्वामी महामंडल, गुजरात की पुनर्विचार याचिका–श्री बलदेवगिरि एम गोस्वामी की अंतः क्षेप अर्जी	15.3.2012	खारिज